mudra

# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2018
# 2019

# विषय-सूची

परिदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य ..... 01

अध्यक्ष का संदेश ..... 02

निदेशक मंडल ..... 03

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना-उपलब्धियों के चार वर्ष ..... 04

निदेशकों की रिपोर्ट ..... 11

स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट ..... 32

तुलनपत्र ..... 42

लाभ हानि खाता विवरणी ..... 43

नकदी प्रवाह विवरणी ..... 44

ईक्विटी में बदलाव संबंधी विवरणी ..... 46

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ ..... 47

वित्तीय विवरणियों पर नोट्स ..... 61

नोटिस ..... 101

## परिदृष्टि

पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये एकीकृत वित्तीयन एवं सहायता सेवा-प्रदाता बनना, जो सर्वोत्कृष्ट होने के साथ साथ विश्व स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों तथा मानकों के अनुरूप हो।

## ध्येय

आर्थिक सफलता तथा वित्तीय सुरक्षा की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी, टिकाऊ एवं मूल्य आधारित उद्यमिता-संस्कृति निर्मित करना।

## उद्देश्य

हमारा मूल उद्देश्य साझीदार संस्थानों को समर्थन और प्रोत्साहन देकर सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के लिए विकास का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर समावेशी और टिकाऊ तरीके से विकास सुनिश्चित करना है।

# अध्यक्ष का संदेश

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) के प्रदर्शन को साझा करना मेरा सौभाग्य है. विगत वर्ष प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और साथ ही मुद्रा दोनों के लिए चौथा सफल वर्ष रहा है।

## विगत वर्ष

पिछले कुछ वर्षों में, पीएमएमवाई ने समावेशी वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज के निम्नतम वर्ग में बैंक, लघु वित्त बैंक, ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और अल्प वित्त संस्थाओं जैसे विविध चैनलों के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल संस्वीकृतियाँ ₹ 3.21 लाख करोड़ रहीं जो कि ₹ 3 लाख करोड़ के निर्धारित लक्ष्य से अधिक थीं।

मुद्रा बैंकों, ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अल्प वित्त संस्थाओं को पीएमएमवाई के अंतर्गत दिये ऋण हेतु पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है. वित्तीय वर्ष 20198-19 के दौरान:

- मुद्रा ने ₹ 7,558.10 करोड की राशि संस्वीकृत की तथा ₹ 7,136.46 करोड संवितरित किये.
- बकाया पोर्टफोलियो ₹ 11,847 करोड की नई ऊंचाई पर पहुँच गया.
- परिचालनों से आय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 485 करोड से 18% की वृद्धि के साथ वर्ष 2018-19 में ₹ 574 करोड हो गई.

## आगे की राह

भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। हमारी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ इस विकास प्रक्षेपवक्र की एक उत्प्रेरक हैं। पीएमएमवाई के अन्तर्गत सभी भारतीयों के लिए ऋण की उपलब्धता सुलभ करने का प्रयास किया जा रहा है। पिरामिड के तल पर समावेशी वित्तपोषण विविध चैनलों द्वारा, प्रौद्योगिकी और व्यापक ज़मीनी संपर्क के मिश्रण के माध्यम से दिया जा रहा है।

मुद्रा सूक्ष्म ऋण प्रदायन पर ध्यान दे रहा है और अधिकाधिक सूक्ष्म उधारकर्ताओं तक पहुंचने की तैयारी में है। मुद्रा सक्रिय रूप से सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि निरंतर विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में सहायता प्रदान करता है। एक संस्था के रूप में, मुद्रा अंतिम छोर के चैनल भागीदारों की बढ़ती संख्या का समर्थन और पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें आकांक्षी जिलों में ऋण देने पर विशेष जोर दिया गया है।

## निष्कर्ष

भारत में उद्यमिता निरंतर पनप रही है। मुद्रा का इरादा बड़ी संख्या में आकांक्षी उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का समर्थन करने का है।

मैं सिडबी, वित्त मंत्रालय सहित सभी हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए और टीम मुद्रा को उनके निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं

**मोहम्मद मुस्तफ़ा**
अध्यक्ष

# निदेशक मंडल

**श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा-आईएएस**
अध्यक्ष

**श्री पंकज जैन-आईएएस**
सरकार के नमिती निदेशक

**सुश्री ज्योत्सना सित्लिंग-आईएफएस**
ग़ैर कार्यपालक निदेशक

**श्री अजय कुमार कपूर**
सिडबी के नामिती निदेशक

**श्री मनोज मित्तल**
सिडबी के नामिती निदेशक

**श्री पिल्लारिसेट्टी सतीश**
स्वतंत्र निदेशक

**श्री अरविंद कुमार जैन**
स्वतंत्र निदेशक

**श्री हर्ष श्रीवास्तव**
स्वतंत्र निदेशक

**श्री आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

# प्रधान मंत्री मुद्रा योजना- उपलब्धियों के चार वर्ष

## रोज़गार सृजन एवं विषमता उन्मूलन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारम्भ 08 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से हुआ था और इसने अपने चार वर्ष पूरे कर लिये हैं। इन 4 वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 18.25 करोड ऋणखातों में संचयी रूप से ₹ 8.93 लाख करोड रुपये मंजूर किये जा चुके हैं।

योजना के प्रथम वर्ष के दौरान ₹ 1.22 लाख करोड का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध ₹ 1.37 लाख करोड की राशि बैंकों तथा अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा मंजूर की गई थी। द्वितीयं वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1.80 लाख करोड के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं, एसएफबी तथा एनबीएफसी द्वारा ₹ 1.80 लाख करोड से अधिक की राशि मंजूर की गई। वर्ष 2017-18 के दौरान अर्थात तृतीय वर्ष में कुल ₹ 2.53 लाख करोडकी रशि मंजूर की गई जबकि लक्ष्य ₹ 2.44 लाख करोड था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अर्थात योजना के परिचालन के चतुर्थ वर्ष में ₹ 3.00 लाख करोड के मंजूरी लक्ष्य का अतिक्रमण करते हुए कुल ₹ 3.21 लाख करोड की राशि संस्वीकृत की गई। इन चार वर्षों के दौरान मुद्रा ने ऋणदात्री संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया तथा मुद्रा पोर्टल के माध्यम कार्यक्रम की सघन मॉनिटरिंग का दायित्व भी निभाया।

### प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ-विगत चार वर्ष

₹8.93

लाख करोड़ की राशि **18.25** करोड लाभार्थियों को मंजूर की गई

70%

ऋण खाते महिला लाभार्थियों के हैं

52%

ऋण खाते अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के हैं

## वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमएमवाई के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

### एजेंसी वार उपलब्धियाँ

वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹ 3 लाख करोड़ था, जिसे बैंकों, अल्प वित्त संस्थाओं और एनबीएफसी में वितरित किया गया था। वर्ष के लिए उनके समग्र लक्ष्य के खिलाफ एजेंसी वार प्रदर्शन निम्नानुसार है:

**एजेंसीवार कार्यनिष्पादन**

(₹ करोड)

| एजेंसी | लक्ष्य (2018-19) | संस्वीकृत राशि (2018-19) | संस्वीकृत राशि (2017-18) | संवृद्धि (%) |
|---|---|---|---|---|
| सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (एसबीआई सहित) | 1,08,690 | 99,234.96 (91%) | 92,492.68 | 7% |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 20,560 | 18,046.89 (88%) | 15,454.51 | 17% |
| निजी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंकों सहित) | 57,850 | 64,037.25 (111%) | 49,545.11 | 29% |
| लघु वित्त बैंक | 25,000 | 29,794.37 (119%) | 19,022.89 | 57% |
| एनबीएफसी एवं ग़ैर एनबीएफसी-एमएफआई | 55,850 | 63,470.97 (114%) | 50,143.75 | 27% |
| ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कपनियाँ | 32,050 | 47,136.75 (147%) | 27,018.16 | 74% |
| **योग** | **3,00,000** | **3,21,722.79 (107%)** | **2,53,677.1** | **27%** |

नोट: कोष्ठक में आंकड़े लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्रतिशत को इंगित करते हैं

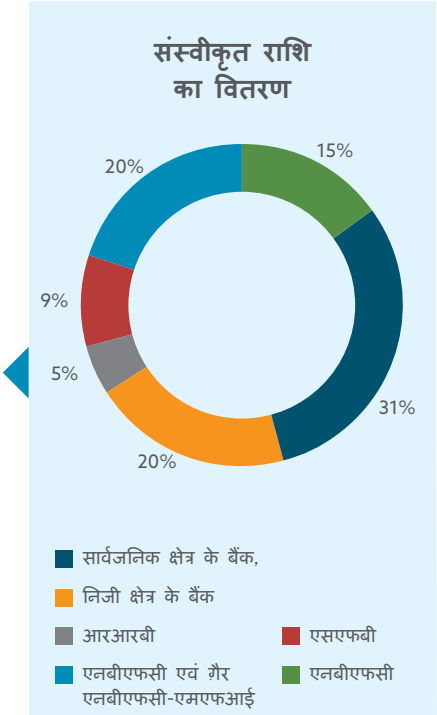


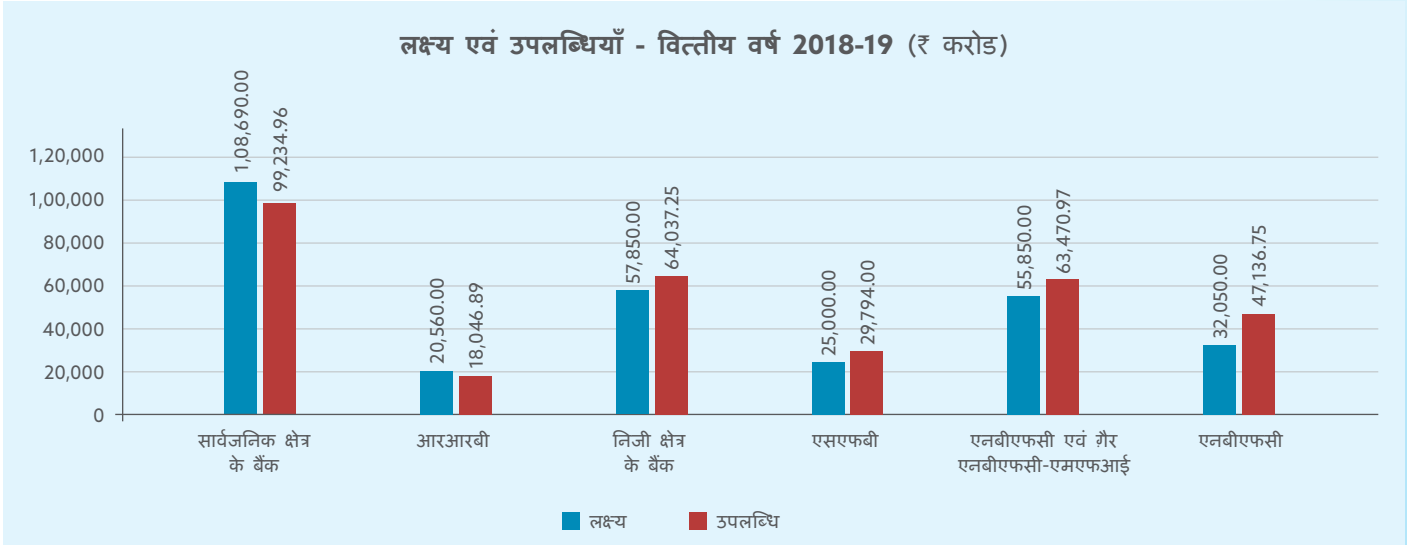

सभी संस्थानों द्वारा कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में उपलब्धि आँकडे पिछले वर्ष की तुलना में 27% की वृद्धि दर्शातें हैं । इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में वृद्धि 7% पर रही, निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 29% की वृद्धि हुई तथा RRBs की वृद्धि 17% रही।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक का स्थान 27.37 लाख खातों में ₹ 33,825.92 करोड की मंजूरी के साथ सर्वोपरि रहा। इसके बाद केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का स्थान रहा जिनकी मंजूरी की राशि क्रमश: ₹ 10,297 करोड और ₹ 6,430.74 करोड रही।

निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा तथा उन्होंने ₹ 64,037.25 करोड की मंजूरी के साथ 27% वृद्धि दर्ज़ की। इन बैंकों में बंधन बैंक का स्थान ₹ 20,913.48 करोड की मंजूरी के साथ शीर्ष पर रहा तथा उसने निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल मंजूरियों में से 33% की उपलब्धि दर्ज़ की। निजी क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बैंकों में इंडसइंड बैंक द्वारा ₹ 12,093.50 करोड तथा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ₹ 6579.41 करोड मंजूरी दर्ज़ की गई।

अल्प वित्त संस्थाओं का प्रदर्शन भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बेहतर हुआ और इसमें 27% की वृद्धि दर्ज़ हुई। अल्प वित्त संस्थाओं ने 2.48 करोड लाभर्थियों को कुल ₹ 63,470.97 करोड की ऋण राशि संस्वीकृत की। 65 लाख ऋण खातों में ₹ 17,052.64 करोड की मंजूरियों के साथ भारत फाइनैंशियल इंक्लुज़न लिमिटेड का स्थान अल्प वित्त संस्थाओं में सर्वोपरि रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुल ₹ 18,046.89 करोड का ऋण मंजूर किया। इन बैंकों में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक तथा केरल ग्रामीण बैंक द्वारा क्रमश: ₹ 2,432.54 करोड तथा ₹ 2,125.64 करोड की मंजूरी के साथ अव्वल रहे। कर्णाटक विकास ग्रामीण बैंक ने ₹ 940.78 करोड की राशि मंजूर की।

ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रमुख योगदान किया है तथा कुल ₹ 47,136.75 करोड की राशि मंजूर की है जोकि कुल मंजूरियों का 15% है।

लघु वित्त बैंकों ने उनके लिये आवंटित लक्ष्य को 119% अर्जित किया। वर्ष के दौरन दस लघु वित्त बैंकों ने 77.22 ऋण खातों में कुल मिलाकर ₹ 29,794.37 करोड की राशि मंजूर की। उज्जीवन लघु वित्त बैंक 19.45 लाख उधारकर्ताओं को ₹ 6567 कारोड़ की मंजूरी के साथ इस श्रेणी में सर्वोपरि रहा।

### राज्यवार कार्यनिष्पादन

संबंधित बैंकों द्वारा बैंक वार/एजेंसी वार लक्ष्य को अपने नेटवर्क और ऋण देने की क्षमता के आधार पर आगे पुनरावंटित किया गया। राज्य स्तर के प्रदर्शन की निगरानी एसएलबीसी द्वारा की गई। सभी राज्यों में, तमिलनाडु ₹ 34,260.05 करोड़ की मंजूरी के साथ शीर्ष पर रहा, इसके बाद कर्नाटक ₹ 29,995.35 करोड़ और पश्चिम बंगाल ₹ 26,462.13 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

**शीर्ष 10 राज्यों का कार्यनिष्पादन**

(₹ करोड)

| राज्य का नाम | लक्ष्य (2018-19) | संस्वीकृत राशि (2018-19) | संस्वीकृत राशि (2017-18) | संवृद्धि (%) |
|---|---|---|---|---|
| तमिल नाडु | 27,751.80 | 34,260.05 | 25,331.68 | 35% |
| कर्नाटक | 26,453.94 | 29,995.35 | 23,009.73 | 30% |
| पश्चिम बंगाल | 23,951.95 | 26,462.13 | 20,552.19 | 29% |
| महाराष्ट्र | 26,986.30 | 26,438.94 | 22,751.40 | 16% |
| उत्तर प्रदेश | 25,583.02 | 26,190.58 | 22,077.89 | 19% |
| बिहार | 19,100.99 | 24,405.99 | 15,919.40 | 53% |
| राजस्थान | 16,530.31 | 17,506.39 | 13,862.55 | 26% |
| मध्य प्रदेश | 16,694.76 | 17,407.92 | 14,886.15 | 17% |
| ओडिशा | 14,071.05 | 15,770.28 | 11,558.91 | 36% |
| गुजरात | 14,051.97 | 13,216.78 | 11,386.52 | 16% |

**राज्यों में बिहार और ओडिशा ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमश: 53% और 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज़ की है.**

### जिलावार कार्यनिष्पादन: -

पोर्टल में पीएमएमवाई के जिलेवार प्रदर्शन को भी दर्शाया गया। लगभग सभी एजेंसियों ने जिलेवार प्रदर्शन की सूचना दी। कुछ एजेंसियां जो जिला-वार विवरण प्रदान नहीं कर सकती थीं, उन्हें संबंधित राज्यों के तहत एक साथ समूहबद्ध किया गया। पीएमएमवाई प्रदर्शन के तहत शीर्ष 10 जिले निम्नानुसार हैं।

**जिलावार कार्यनिष्पादन**

| जिले का नाम | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | |
|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | मंजूरी की राशि (₹ करोड़) | कुल मंजूर खातों में प्रतिशत हिस्सा |
| बंगलोर शहरी | 8,95,129 | 4,547.87 | 1.50% |
| हैदराबाद | 7,45,908 | 3,187.43 | 1.25% |
| पुणे | 2,99,926 | 2,607.94 | 0.50% |
| कोलकता | 5,32,066 | 2,359.31 | 0.89% |
| उत्तर 24 परगना | 5,44,240 | 2,345.77 | 0.91% |
| बेलगाम | 3,50,551 | 2,103.70 | 0.59% |
| चेन्नई | 2,74,287 | 2,076.96 | 0.46% |
| बर्द्धमान | 4,46,672 | 2,039.27 | 0.75% |
| केंद्रीय दिल्ली | 4,28,679 | 1,967.17 | 0.72% |
| मुर्शिदाबाद | 4,72,137 | 1,864.75 | 0.79% |
| **योग** | **49,89,595** | **25,100.17** | **8.36%** |

**वर्ष के दौरान कुल मंजूरी में इन 10 जिलों का हिस्सा 8.36% रहा।**

### क्षेत्रीय समीक्षा

लक्ष्यों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया था तथा वर्ष के दौरान पीएमएमवाई ऋणों के वितरण की तुलना की गई है तथा नीचे दी गई है:

| क्षेत्र का नाम | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | |
|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | मंजूरी की राशि (₹ करोड़) | कुल मंजूर खातों में प्रतिशत हिस्सा |
| उत्तर | 1,12,92,193 | 74,437.45 | 23% |
| पूर्व | 1,86,58,660 | 79,580.84 | 25% |
| पूर्वोत्तर | 30,60,244 | 13,144.77 | 4% |
| दक्षिण | 1,73,15,948 | 96,930.34 | 30% |
| पश्चिम | 95,43,273 | 57629.39 | 18% |
| **योग** | **5,98,70,318** | **3,21,722.79** | **100%** |

**पी एम एम वाई का क्षेत्रवारा वितरण**

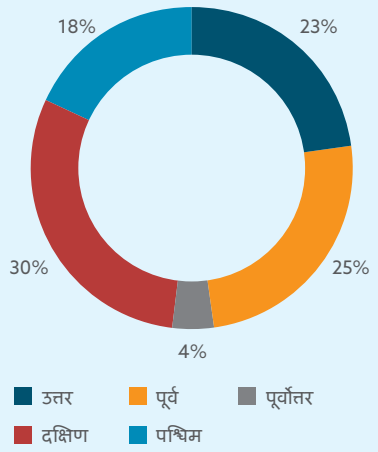


***पूर्वोत्तर:*** *असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड,सिक्किम, त्रिपुरा,*

***पूर्व:*** *ओडिशा,पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, छतिसगढ़*

***पश्चिम:*** *दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र*

***दक्षिण:*** *कर्नाटक, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंदमान और निकोबार, लक्षद्वीप*

***उत्तर:*** *चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब एवं राजस्थान*

## ऋण श्रेणी समीक्षा

मुद्रा ऋण को आकार के आधार पर तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। ये हैं शिशु (₹ 50,000 तक), किशोर (₹ 50,000 से ऊपर और ₹ 5 लाख तक) और तरुण (₹ 5 लाख से ऊपर और ₹ 10 लाख तक)। पीएमएमवाई की इन तीन श्रेणियों के हिस्सों का विश्लेषण किया गया है और नीचे तालिका में दिया गया है:

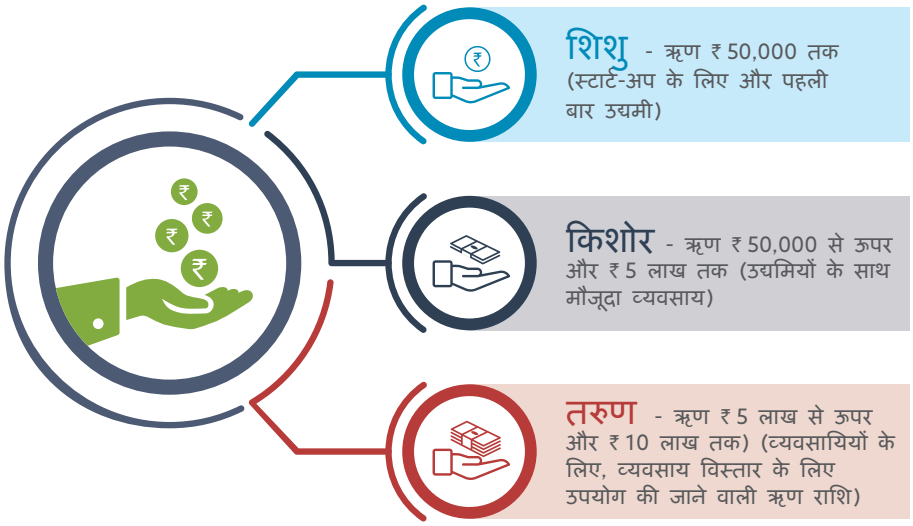

**शिशु** - ऋण ₹ 50,000 तक (स्टार्ट-अप के लिए और पहली बार उद्यमी)

**किशोर** - ऋण ₹ 50,000 से ऊपर और ₹ 5 लाख तक (उद्यमियों के साथ मौजूदा व्यवसाय)

**तरुण** - ऋण ₹ 5 लाख से ऊपर और ₹ 10 लाख तक) (व्यवसायियों के लिए, व्यवसाय विस्तार के लिए उपयोग की जाने वाली ऋण राशि)

**तीनों श्रेणियों में, शिशु ऋण में खातों की संख्या के संदर्भ में सबसे अधिक 86% हिस्सा था और इसके बाद किशोर और तरुण थे। वित्त वर्ष 2018-19 में किशोर ऋण खातों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11% हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह 9.67% थी। वित्त वर्ष 2018-19 में तरुण ऋण का हिस्सा भी बढ़कर 3% हो गया जो वित्त वर्ष 2017-18 में 1.68% था।**

### पीएमएमवाई योजना का श्रेणीवार विश्लेषण

(₹ करोड)

| श्रेणी | ऋण खातों की संख्या (वित्तीय वर्ष 2018-19) | मंजूरी की राशि (वित्तीय वर्ष 2018-19) | मंजूरी की राशि (वित्तीय वर्ष 2017-18) | % परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| शिशु | 5,15,07,438 (86%) | 1,42,345.25 (44%) | 1,06,001.6 (41.78%) | 34% |
| किशोर | 66,06,009 (11%) | 1,04,386.68 (32%) | 86,732.15 (34.19%) | 20% |
| तरुण | 17,56,871 (3%) | 74,990.86 (23%) | 60,943.36 (23.20%) | 23% |
| **योग** | **5,98,70,318** | **3,21,722.79** | **2,53,677.10** | **27%** |

नोट: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

**खातों की संख्या की दृष्टि से वितरण**

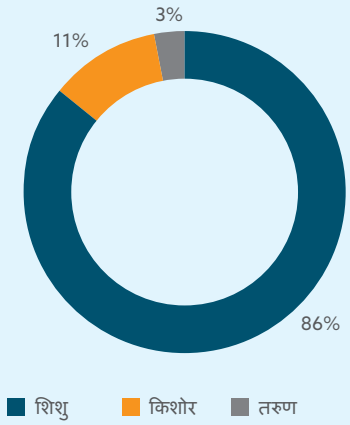


## औसत ऋण आकार

विभिन्न श्रेणियों में मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों के औसत आकार का विश्लेषण किया गया है और वह निम्नवत है:

| | संस्वीकृत राशि (₹ करोड) | | ऋण खातों की संख्या | | औसत ऋण आकार (₹) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 | 2017-18 | 2018-19 |
| **कुल** | **2,53,677.1** | **3,21,722.79** | **4,81,30,593** | **5,98,70,318** | **52,739** | **53,800** |

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पीएमएमवाई के तहत औसत ऋण का आकार पिछले वर्ष के ₹ 52,739 की तुलना में ₹ 53,800 हो गया। इसी तरह, शिशु श्रेणी के तहत औसत ऋण का आकार ₹ 27,640 रहा जोकि पिछले वर्ष के ₹ 24,883 की तुलना में मामूली अधिक रहा।

## समाज के कमज़ोर वर्गों को सहायता

पीएमएमवाई की विभिन्न योजनाओं के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और अल्पसंख्यक श्रेणियों के उधारकर्ताओं के हिस्से का विश्लेषण किया गया था और इसे नीचे दिया गया है:

**उधारकर्ताओं की उपश्रेणियाँ (वि. व. 2018-19)**

(₹ करोड)

| Category | शिशु | | किशोर | | तरुण | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | संस्वीकृत राशि | खातों की संख्या | संस्वीकृत राशि | खातों की संख्या | संस्वीकृत राशि | खातों की संख्या | संस्वीकृत राशि |
| सामान्य | 2,59,93,019 | 74,816.03 | 44,39,825 | 7,8947.67 | 13,02,379 | 66,365.45 | 3,17,35,223 (52%) | 2,20,129.14 (68%) |
| अनु. जा. | 87,67,153 | 23,253.35 | 5,52,277 | 5,291.86 | 1,33,089 | 1,412.16 | 94,52,519 (16%) | 29,957.36 (9%) |
| अनु. जन. जा. | 30,12,074 | 7,697.71 | 2,00,315 | 2,352.7 | 1,28,940 | 1,003.14 | 33,41,329 (6%) | 11,053.54 (3%) |
| अ. पि. जा. | 1,37,35,192 | 36,578.17 | 14,13,592 | 17,794.45 | 1,92,463 | 6,210.12 | 1,53,41,247 (26%) | 60,582.74 (19%) |
| **योग** | **5,15,07,438** | **1,42,345.25** | **66,06,009** | **1,04,386.68** | **17,56,871** | **74,990.86** | **5,98,70,318** | **3,21,722.79** |
| **उपर्युक्त में :** | | | | | | | | |
| महिला | 3,34,03,579 | 96,253.15 | 28,75,392 | 26,741.23 | 7,83,591 | 10,039.23 | 3,70,62,562 (62%) | 1,33,033.62 (41%) |
| नये ऋण खाते | 1,09,35,180 | 29,133.30 | 20,16,546 | 43,337.87 | 4,42,076 | 33,561.89 | 1,33,93,802 (22%) | 1,06,033.06 (33%) |
| अल्पसंख्यक | 54,55,596 | 15,004.01 | 7,25,905 | 9,629.53 | 70,139 | 5,490.23 | 62,51,640 (10%) | 30,123.77 (9%) |

नोट: कोष्ठक मे प्रदर्शित आँकडे प्रतिशत में हिस्सेदारी बताते हैं

कुल संस्वीकृत ऋण राशि में से 41% स्वीकृत ऋण राशि महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी थी। शिशु वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी खातों की संख्या और 68% राशि के मामले में 65% रहे। यह मुख्य रूप से शिशु ऋणों में एमएफआई की उच्च हिस्सेदारी के कारण है, जहां महिलाएं सूक्ष्म वित्त ऋण की प्रमुख लाभार्थी हैं।

पीएमएमवाई कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों (अनुजा./अनु जन जा./अ.पि.जा.) की भागीदारी, ऋण खातों के संदर्भ में, और स्वीकृत ऋण राशि के संदर्भ में 31% थी। एससी, एसटी और ओबीसी

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऋण लेने वालों की अल्पसंख्यक श्रेणी में खातों की संख्या और राशि के हिसाब से क्रमशः 10% और 9% की हिस्सेदारी रही।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नए ऋण खातों की संख्या कुल ऋण खातों की 22% और स्वीकृत राशि के मामले में 33% थी। वर्ष के दौरान पीएमएमवाई के अंतर्गत लगभग 1.33 करोड़ नए ऋण खाते स्वीकृत किए गए, जो पिछले वर्ष के दौरान स्वीकृत 1.25 करोड़ खातों से अधिक थे।

**सामान्य, अनु. जा. अनु. जन जा तथा अ. पि. जा. का कुल खातों की संख्या में प्रतिशत भाग**

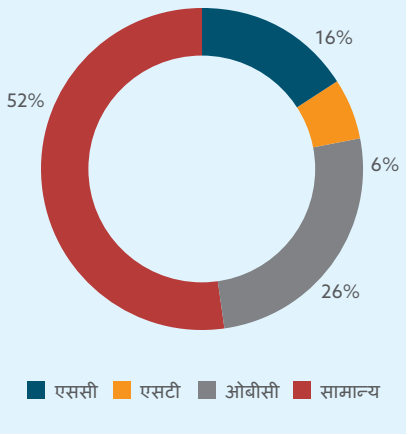

**मुद्रा कार्ड**

मुद्रा कार्ड, एक रुपे डेबिट कार्ड है जिसे पीएमएमवाई के तहत जारी की गई कार्यशील पूंजी सीमाओं के लिये जारी किया जाता है। प्रथम वर्ष के दौरान ₹ 1,477 करोड़ की राशि के लगभग 5.17 लाख कार्ड जारी किए गए। तत्पश्चात, वित्त वर्ष 2017 के दौरान ₹ 1,564.61 करोड़ की राशि के 1.84 लाख कार्ड जारी किए गए। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, 1.52 लाख कार्ड ₹ 1481.43 करोड़ की राशि के जारी किए गए थे। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1,711.94 करोड़ की राशि के लिए 1.67 लाख कार्ड जारी किए गए हैं।

चूंकि एक वर्ष के दौरान जारी किए गए कार्ड अगले वर्ष में भी लागू होते हैं, इसलिए रिपोर्ट किए गए कार्ड की संख्या वर्ष के दौरान जारी किए गए केवल नए जारी किये गए कार्ड से संबंधित है, जो मौजूदा कार्डों के अतिरिक्त है, जिससे कुल प्रयुक्त मुद्रा कार्ड की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है।

**निष्कर्ष**

इस प्रकार प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भारत सरकार की एक बड़ी पहल है, जो देश में लाखों वित्तविहीन सूक्ष्म इकाइयों को ऋण प्रदान करती है। कार्यक्रम ने पिछले चार वर्षों में ₹ 8.93 लाख करोड़ की संस्वीकृति के साथ 18.25 करोड़ ऋण खातों को लाभान्वित किया है।

# निदेशकों की रिपोर्ट

**माननीय सदस्यगण,**

आपके निदेशक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफ़ाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) के कारोबार और संचालन पर चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं। लेखा परीक्षित वित्तीय रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संलग्न है।

## वित्तीय परिणाम

आपकी कंपनी की परिचालन से आय वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 485.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 574.32 करोड़ हो गई। वर्ष के दौरान कुल आय ₹ 805.17 करोड़ से बढ़कर 860.93 करोड़ रही, जबकि कर उपरांत लाभ उच्च प्रावधानों के कारण ₹ 171.16 करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 33.48 करोड़ रह गया। वित्तीय परिणामों के मुख्य अंश तालिका 1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

**वित्तीय परिणाम की मुख्य बातें, वित्तीय वर्ष 2018–2019**

(₹ करोड़)

| विवरण | 2017–18 | 2018–19 |
|---|---|---|
| परिचालनों से आय | 485.90 | 574.32 |
| अन्य आय | 319.27 | 286.61 |
| (ए) कुल आय | 805.17 | 860.93 |
| कर्मचारी अनुलाभ व्यय | 7.13 | 6.54 |
| वित्तीय लागत | 514.84 | 514.94 |
| मूल्यह्रास व्यय | 0.07 | 0.09 |
| प्रावधान तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि | 14.40 | 282.34 |
| अन्य व्यय | 7.06 | 5.82 |
| (बी) कुल व्यय | 543.51 | 809.73 |
| कर पूर्व लाभ (ए-बी) | 261.66 | 51.2 |
| (सी) कुल कर संबंधी व्यय | 90.49 | 17.72 |
| वर्ष हेतु लाभ | 171.16 | 33.48 |
| लाभांश@ | 20.95 | 3.35 |
| लाभांश कर* | 4.31 | 0.69 |
| सामान्य आरक्षितियों में अंतरित राशि | 100.00 | 15.00 |
| सांविधिक आरक्षितियों में अंतरित राशि | 31.64 | 6.70 |
| सीएसआर निधि में अंतरित राशि | 0.00 | 6.72 |
| अधिशेष | 26.69 | 27.72 |
| प्रतिशेयर आय (₹) | 1.02 | 0.20 |

@ बशर्ते वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों का अनुमोदन हो.
* एजीएम के पश्चात भुगतान किया जाएगा.

## विनियोग

### सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण

आपकी कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I ए के प्रावधानों के तहत एक गैर-जमा लेने वाली, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनडीएसआई-एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। शुद्ध लाभ का 20% अर्थात ₹ 6.70 करोड़ की राशि अधिनियम की धारा 45-आईसी के तहत निर्धारित सांविधिक अरक्षितियों में अंतरित कर दी गई है।

### सामान्य आरक्षितियों में अंतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) के तहत आवश्यकता के अनुसार, 28 मई, 2019 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के प्रस्ताव के अनुसार ₹ 15 करोड़ की राशि को सामान्य आरक्षितियों में अंतरित कर दिया गया है।

### लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए (वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 0.125 प्रति शेयर की तुलना में) आनुपातिक आधार पर ₹ 0.02 प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 अंकित मूल्य पर) के पहले और अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। उक्त प्रस्ताव आपकी कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2019 को आपकी कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में हैं।

## शेयर पूँजी

आपकी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी यथा 31 मार्च, 2019 को ₹ 1675.93 करोड़ रही, जिसमें ₹ 10 मूल्य प्रत्येक के 167.59 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे, जो पूरी तरह से सिडबी द्वारा अभिदत्त थे।

## मुख्य वित्तीय बिंदु

### प्रगति अब तक

(राशि करोड में)

| यथा मार्च 31 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| कुल आस्तियाँ | 10,159 | 17,274 | 17,236 |
| बकाया पोर्टफोलियो | 6,114 | 10,555 | 11,847 |
| प्राधिकृत पूँजी | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| प्रदत्त पूँजी | 1,676 | 1,676 | 1,676 |
| नेटवर्थ | 1,921 | 2,102 | 2,094 |

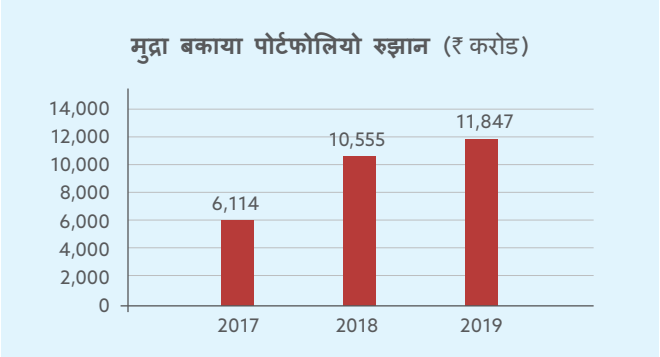


## पूँजी पर्याप्तता

31 मार्च, 2019 को आपकी कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 64.30% था, जो कि बड़े आकार, गैर-डिपॉजिट लेने, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनडीएसआई-एनबीएफसी) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 15% की न्यूनतम सीमा सीमा से काफी अधिक है।

## जमाएँ

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, और आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसा नहीं करेगी।

## ऋणों, गारंटियों या निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) (ए) सपठित कंपनी (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियम, 2014 के नियम 11 (2) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकृत NBFC द्वारा व्यवसाय के सामान्य क्रम में दिए गए ऋण, दी गई गारंटी, या प्रतिभूतियों को अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

अतएव, आपकी कंपनी द्वारा प्रदान किए गए पुनर्वित्त के विवरणों का इस रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया है।

आपकी कंपनी के निवेशों का विवरण वित्त वर्ष 2018-19 के वित्तीय विवरणों के नोट 7 के तहत दिया गया है।

## संबद्ध पक्ष लेनदेन

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान किये गये संबंधित पक्ष लेनदेन जिनका विवरण लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के नोट 38 में दिया गया है, व्यवसाय के सामान्य क्रम में एक हाथ की दूरी के आधार पर अर्थात पर्याप्त दूरी बनाए रखते हुए किये गये हैं। जहाँ भी आवश्यक हो, निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।

इसके अलावा, आपकी कंपनी द्वारा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित-पार्टी लेनदेन नहीं किये गये हैं। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों के खातों से संबंधित अध्याय IX के तहत निर्धारित नियमों के फॉर्म एओसी-2 में निर्दिष्ट लेनदेन के विवरणों का खुलासा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे लागू नहीं हैं।

## परिचालन

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने 10 बैंकों, 8 एमएफआई और 4 एनबीएफसी को ₹ 7,558.10 करोड़ की मंजूरियाँ की और ₹ 7,130.46 करोड़ रुपये का संवितरण किया। एमएफआई और एनबीएफसी श्रेणी के तहत संवितरण में गिरावट आई क्योंकि कुछ एमएफआई एसएफबी में बदल गए थे और वित्त वर्ष 2019 के दौरान वित्तीय सेवाओं के बाजार पर आईएलएंडएफएस संकट के प्रभाव के कारण विपरीत प्रभाव पडा।

## मंजूरियाँ और संवितरण (₹ करोड)

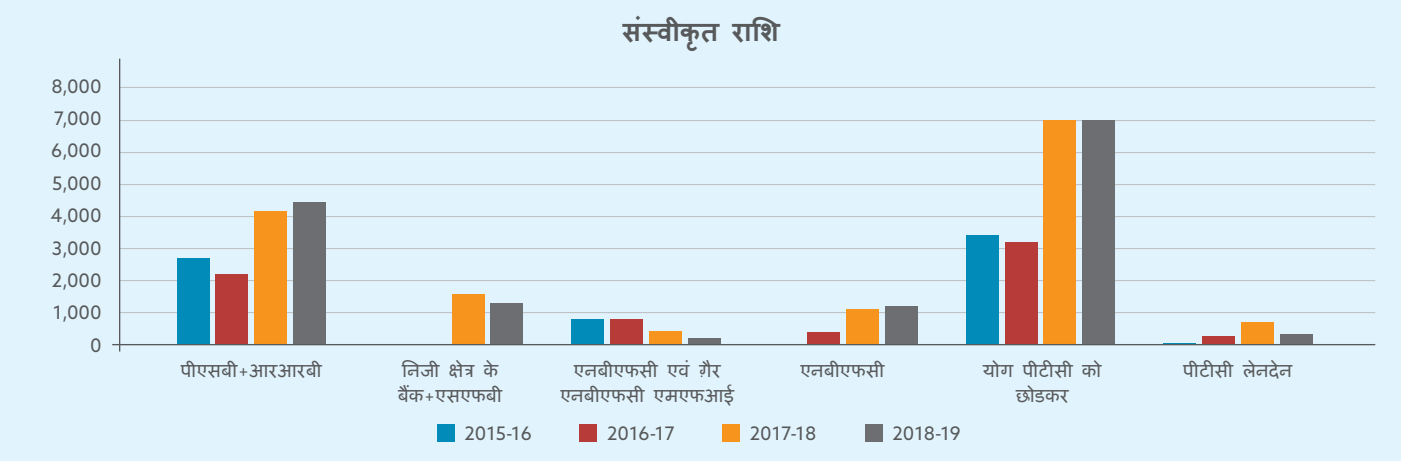


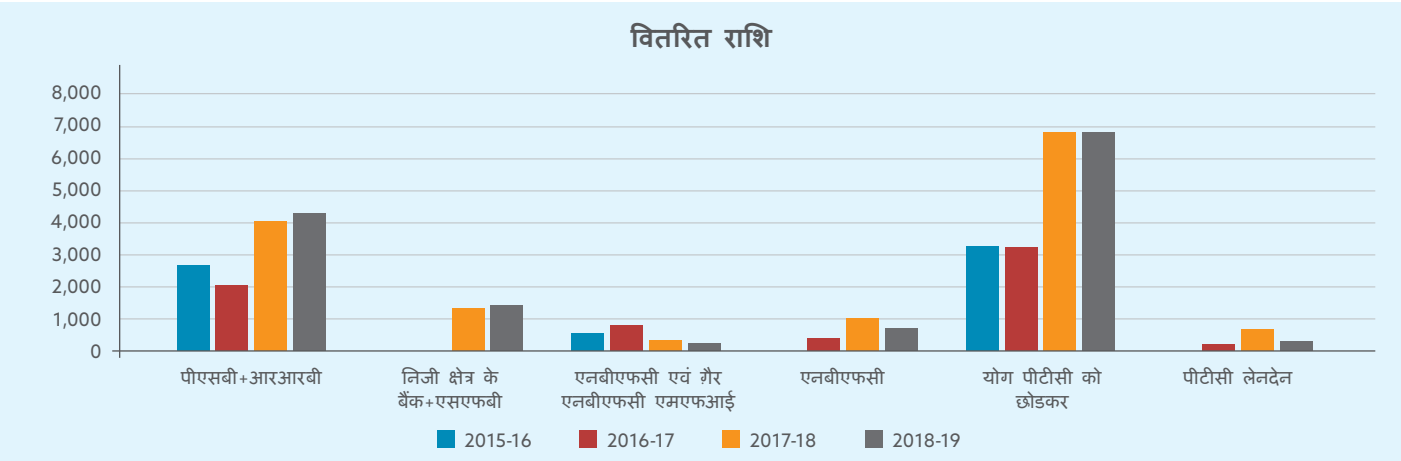


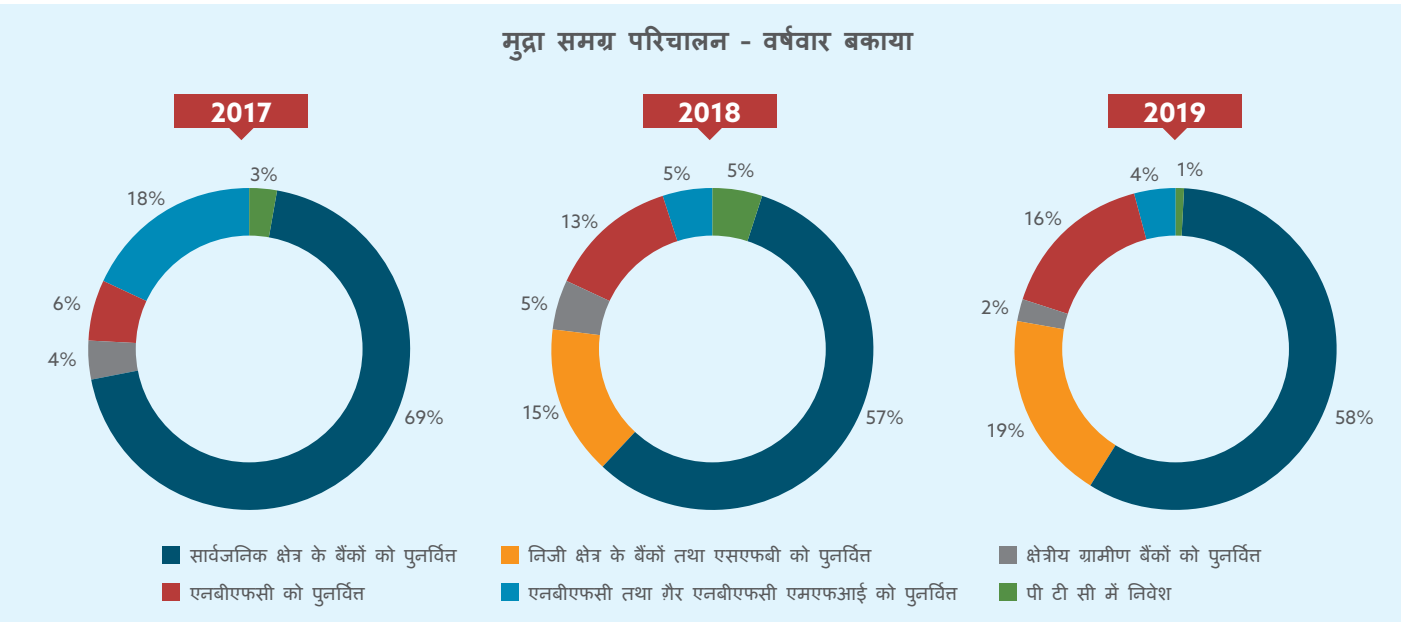

## प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगे सूक्ष्म/लघु उद्यमों के लिए बैंकों, एनबीएफसी और एमएफआई द्वारा मुद्रा ऋण उपलब्ध कराने की परिकल्पना करती है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत स्वीकृत 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि को भी पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मुद्रा ऋणों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ₹ 50,000 तक के ऋण शिशु ऋण
- ₹ 50,000 से ₹ 5 लाख तक किशोर ऋण, तथा
- ₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख तक तरुण ऋण

उक्त श्रेणियों के नाम सूक्ष्म उद्यमों के विकास/विकास के चरण और उनकी वित्त पोषण जरूरतों को दर्शाते हैं।

## पीएमएमवाई की मॉनिटरिंग

मुद्रा ने विभिन्न एजेंसियों द्वारा ऋण प्रदायन पर आँकडे जिसमें सूक्ष्म जानकारी जैसे कि ऋण के प्रकार, उधारकर्ताओं के प्रकार और एजेंसी-वार, राज्य-वार और जिलेवार प्रारूपों में उनका विवरण एकत्र करने और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुद्रा पीएमएमवाई पोर्टल विकसित किया है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार और मुद्रा नियमित रूप से इस पर प्रगति की समीक्षा करते हैं।

## वर्ष 2018-19 के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

वर्ष के दौरान 5.98 करोड़ सूक्ष्म ऋण खाते प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए.

लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण सारणी 2 में दिया गया है:

वर्ष 2018-29 के दौरान तथा संचयी रूप से मुद्रा ऋणों की श्रेणियाँ और लाभार्थियों का विवरण:

| श्रेणी | 2018-19 | | | 4 वर्षों हेतु संचयी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या | मंजूर राशि (₹ करोड) | संवितरित राशि (₹ करोड) | खातों की संख्या | मंजूर राशि (₹ करोड) | संवितरित राशि (₹ करोड) |
| शिशु | 5,15,07,438 **(86%)** | 1,42,345.25 **(44%)** | 1,39,651.55 **(45%)** | 5,15,07,438 **(86%)** | 3,96,342.6 **(44%)** | 3,89,799.2 **(45%)** |
| किशोर | 66,06,009 **(11%)** | 1,04,386.68 **(32%)** | 99,868 **(32%)** | 1,59,92,846 **(9%)** | 2,87,716.5 **(32%)** | 2,75,201.5 **(32%)** |
| तरुण | 17,56,871 **(3%)** | 74,990.86 **(23%)** | 72,291.84 **(23%)** | 35,13,944 **(2%)** | 2,09,318.6 **(23%)** | 2,01,515 **(23%)** |
| **योग** | **5,98,70,318** | **3,21,722.79** | **3,11,811.39** | **18,25,82,882** | **8,93,377.7** | **8,66,515.7** |
| उक्त में से | | | | | | |
| महिलाएँ | 3,70,62,562 **(62%)** | 1,33,033.62 **(41%)** | 1,29,153.23 **(41%)** | 12,73,95,959 **(70%)** | 3,98,761 **(45%)** | 3,70,764 **(43%)** |
| नव उद्यमी/खाते | 1,33,93,802 **(22%)** | 106033.06 **(32%)** | 1,00,925.58 **(32%)** | 4,84,17,267 **(27%)** | 3,38,092 **(38%)** | 3,23,464 **(37%)** |
| अनु जा/अनु जनजा/अ.पि.जा. | 2,81,35,095 **(48%)** | 1,01,593.64 **(31%)** | 98,023.68 **(31%)** | 9,52,60,902 **(52%)** | 3,05,827 **(34%)** | 2,97,187 **(34%)** |

(कोष्ठक में आंकड़े कुल में अपना हिस्सा दर्शाते हैं)

खातों की संख्या के संदर्भ में महिलाओं का उच्च प्रतिशत मुख्य रूप से शिशु ऋणों में एमएफआई की उच्च हिस्सेदारी के कारण है, जहां महिलाएं ज्यादातर ग्राहक बनती हैं।

पीएमएमवाई की विभिन्न योजनाओं के तहत उधारकर्ताओं की विशेष श्रेणियाँ – अनु. जा., अनु. जन. जा., अ. पि. जा., महिलाओं और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2018-19 में महत्वपूर्ण बनी हुई है। महिला उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी खातों की संख्या के अनुसार 62% और मंजूरी की राशि के अनुसार 41% है।

पीएमएमवाई कार्यक्रम में समाज के कम-विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों (एससी, एसटी और ओबीसी) की भागीदारी ऋण खातों की संख्या के मामले में 48% और स्वीकृत ऋण राशि के संदर्भ में 31% थी। स्वीकृत किए गए ऋण खातों की संख्या के संदर्भ में, क्रमशः अनु. जा., अनु. जन. जा., अ. पि. जा., श्रेणियों की हिस्सेदारी 16%, 6% और 26% थी।

वित्त वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक श्रेणी के उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी खातों की संख्या और राशि की की दृष्टि से क्रमशः 10% और 9% रही है।

वित्त वर्ष 2018-19 में नए ऋण खातों की हिस्सेदारी कुल ऋण खातों की संख्या में 22% और कुल स्वीकृत राशि का 32% थे। वित्त वर्ष 2017-18 में 1.25 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान पीएमएमवाई के तहत लगभग 1.33 करोड़ नए ऋण खाते स्वीकृत किए गए।

मुद्रा योजना ने इस प्रकार अनेक सूक्ष्म उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद की है जो अन्यथा औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर थे और बहुत हद तक 'वित्तविहीन के वित्तपोषण की समस्या को हल किया है।

## मुद्रा द्वारा आयोजित सेक्टर संबंधी आयोजन

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए विभिन्न आयोजन किए, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं:

## सेक्टर संबंधी आयोजनों में सहभागिता

मुद्रा ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न आयोजनों में सहभागिता की-

1) 27 अक्टूबर, 2018 को सिडबी द्वारा आयोजित सिडबी नेशनल माइक्रो फाइनांस कॉन्ग्रेस 2018 में सहभागिता की;

2) प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2 नवंबर, 2018 को विज्ञान भवन में आरंभ किये गये एमएसएमई सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में भाग लिया

## नैगम संचालन

### निदेशक मंडल की बैठकें

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, मुद्रा के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार विभिन्न तिथियों पर 5 बैठकें की। इन बैठकों का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

इन बैठकों बीच के समय के अंतराल और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार बैठकों के आयोजन करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों और सचिवीय मानकों का अनुपालन किया गया।

## निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी नीति

### कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

आपकी कंपनी में एक पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक है, जो मुद्रा के रोल पर है। उसके पारिश्रमिक का भुगतान आपकी कंपनी द्वारा किया जाता है।

### ग़ैर कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक

गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों और नामिती निदेशकों के अलावा) को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक और निदेशकों की समिति की

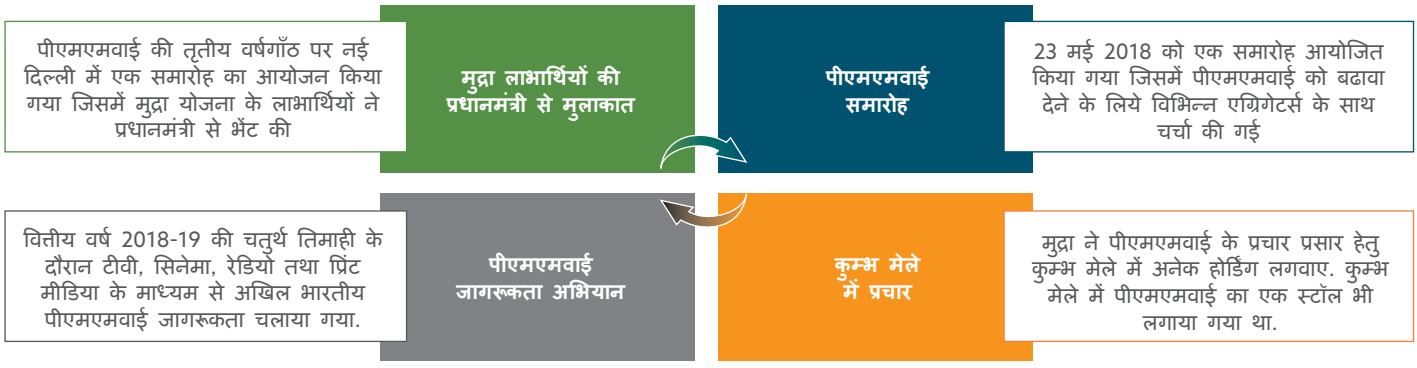

बैठक में सहभागिता हेतु सिटिंग फीस के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

## स्वतन्त्र निदेशकों द्वारा घोषणापत्र

मुद्रा के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशकों से एक घोषणापत्र प्राप्त हुआ है, और निदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ये सभी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

## कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी ने किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया है जिसका पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सपठित कंपनियों के नियम 5 (2) और (प्रबंधकीय कार्मिकों के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के तहत निर्धारित सीमाओं के दायरे में आता है।

### प्रशिक्षण एवं करियर विकास

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष के दौरान स्टाफ सदस्य आरबीआई और सिडबी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हुए।

## निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

### प्रवेश

वर्ष के दौरान निम्नांकित नियुक्तियाँ की गई:

- श्री आलोक गुप्ता को 07 अगस्त, 2018 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री हर्ष श्रीवास्तव को 27 सितंबर, 2018 से स्वतंत्र निदेशक
- श्रीमती रजनी सूद को 29 जनवरी, 2019 से मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया
- सुश्री पूजा कुकरेती को 12 फरवरी, 2019 को कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया।

### पुनर्नियुक्तियाँ

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री अजय कुमार कपूर, नामांकित निदेशक, और श्री आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक, आगामी एजीएम में रोटेशन द्वारा रिटायर हो जाते हैं और योग्य होने पर पुन: नियुक्ति चाहते हैं। बोर्ड ने उनकी दोबारा नियुक्ति की सिफारिश की है।

### सेवानिवृत्तियाँ और त्यागपत्र

- श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुद्रा को 21 दिसंबर, 2018 से प्रभावी सिडबी में प्रत्यावर्तित कर दिया गया।
- श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव ने सिडबी में अपने प्रत्यावर्तन के कारण, बोर्ड के निदेशक के रूप में 21 दिसंबर, 2018 को इस्तीफा दे दिया।

### पद में परिवर्तन

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के विवरण, और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निर्देशन में परिवर्तन **अनुबंध I** में दिए गए हैं।

## निदेशक मंडल की समितियाँ

यथा 31 मार्च, 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 और RBI के विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल की छह समितियाँ और उप-समितियाँ थीं-लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, कार्यकारी समिति और आईटी रणनीति समिति। निदेशक मंडल और समितियों की संरचना अनुबंध 1 में प्रदान की गई है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी ने व्यापार के क्रमबद्ध और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, और विभिन्न योजनाओं और प्रक्रियाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू किया है। इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पुष्टि, पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालन के बाद, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी।

## महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

इस रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों पर हस्ताक्षर करने के बाद आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

## विनियामकों, न्यायालयों तथा ट्रिब्युनलों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों, न्यायालयों, या ट्रिब्यूनलों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किए जा रहे हैं जो भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

## वार्षिक विवरणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के अनुसार, निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिटर्न का एक उद्धरण बोर्ड की रिपोर्ट में **अनुबंध III** के रूप में संलग्न है।

## सचिवीय मानक

कंपनी सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

## निदेशकों का उत्तरदायित्व: विवरणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुसार, निदेशक इस बात की पुष्टि करते हैं कि, उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार-

(ए) महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ, वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था

(बी) उन्होंने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया है, उन्हें निरंतर लागू किया है, और इस तरह के उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए हैं, ताकि वित्त वर्ष 2018 और 19 के अंत में और कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में और उस अवधि के लिए कंपनी का नुकसान सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके

(सी) कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उन्होंने उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

(डी) उन्होंने चलने वाली कंपनी के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

(ई) उन्होंने कंपनी द्वारा माने जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है, और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित थे, और

(एफ) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है, और ये प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

## कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी प्रकटन

कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति को अपनाया है। और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए नियम ("अधिनियम")। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी नीति मुद्रा के बुलेटिन बोर्ड पर उपलब्ध है।

कंपनी ने अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में एक आंतरिक समिति (आईसी) का भी गठन किया है। बुलेटिन बोर्ड पर आईसी का विवरण दिया गया है। कंपनी को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

## लेखापरीक्षा रिपोर्टें और लेखापरीक्षक

### लेखापरीक्षा रिपोर्ट्स

- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई शर्त, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। इसके अलावा, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आपकी कंपनी के खिलाफ किए गए धोखाधड़ी का कोई उदाहरण नहीं था, जिसे ऑडिटर्स द्वारा केंद्र सरकार को सूचित किया जाना था। इस वार्षिक रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

- वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध II के रूप में संलग्न है।

## लेखापरीक्षक

### सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सिडबी के स्वामित्व या नियंत्रण में है, जिसे संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा पीसी घडियाली एंड असोसियेट्स (चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू -100037) को वित्तीय वर्ष 2018-19 का ऑडिट करने के लिए मुद्रा का लेखपरीक्षक नियुक्त किया गया था।

### सचिवीय लेखापरीक्षक

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत आवश्यक है, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव दीपेंद्र ओमप्रकाश शुक्ला को नियुक्त किया है।

### सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

आपकी कंपनी की अनुपूरक लेखा परीक्षा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएडी), प्रधान निदेशक- वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के कार्यालय द्वारा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के साथ आईएएडी द्वारा मांगी गई जानकारी विधिवत रूप से उनके कार्यालय को विधिवत उपलब्ध कराई गई थी।

लेखापरीक्षा के आधार पर, प्रधान निदेशक- वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के कार्यालय द्वारा 28 अगस्त, 2019 के पत्र कै माध्यम से 'शून्य' अवलोकन के साथ एक ऑडिट प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पत्र की एक प्रति लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी के साथ संलग्न है।

### भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण

31 मार्च, 2018 को आपकी कंपनी के बही खातों और वित्तीय स्थिति के अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण, भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण (डीएनबीएस) विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट के आधार पर, आरबीआई के कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट दी है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरीक्षण पर एक अनुपालन रिपोर्ट आरबीआई को प्रस्तुत की गई है।

### आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत आवश्यकताओं के संदर्भ में, मेसर्स कोचर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।

उन्होंने मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे विधिवत रूप से ध्यान में रखा गया है, सुधारात्मक कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है और ऑडिट समिति को सूचित किया गया है।

## नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

ऑडिट की गई वित्तीय स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की नेट वर्थ, टर्नओवर और पेड-अप शेयर कैपिटल, 2018-19 में, उस सीमा को पार कर गई है, जिसके लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समिति का गठन आवश्यक है।

आपकी कंपनी ने सीएसआर बजट के तहत मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार करने में काफी प्रयास किए। हालाँकि, सीएसआर नीति में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने वाले उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उक्त एजेंडा को आगे बढ़ाया जाएगा.

सीएसआर नीति का विवरण हमारी वेबसाइट www.mudra.org.in पर उपलब्ध है,

## सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10), कंपनी के नियम 7 (बोर्ड और उसके शक्तियों की बैठक) नियम 2014 के साथ सपठित, के अनुपालन के मद्देनजर आपकी कंपनी ने एक सतर्कता कक्ष स्थापित किया है और वह सिडबी के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की समग्र निगरानी में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिदेशों का अनुसरण करती है।

सीवीओ प्रभारी सीवीओ, सिडबी को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

## आरबीआई दिशानिदेश

एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्त संस्थान (एनडीएसआई) के रूप में, आपकी कंपनी हमेशा लागू आरबीआई कानूनों और विनियमों के अनुपालन में काम करना चाहती है, और उसी को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करती है।

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को डीएफएस, आरबीआई, मंत्रालय, सिडबी, इत्यादि के माध्यम से सूचना का अधिकार (आरटी आई) संबंधी 167 आवेदन प्राप्त किए जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रत्यक्ष, पीएमएमवाई और मुद्रा योजनाओं के बारे में पूछताछ की गई। निर्धारित समय

सीमा के भीतर आपकी कंपनी द्वारा सभी आवेदनों का निपटान किया गया।

## पारदर्शिता/खुलासे

167 आवेदन प्राप्त हुए. ऐसे सभी आवेदन संबंधित बैंकों के क्षे. का./अंचल कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किये गये

0 प्रथम अपीलीय प्रधिकारी को प्रस्तुत तथा सीआईसी को प्रेषित आवेदन

## ऊर्जा संरक्षण: विदेशी मुद्रा आय तथा बहिर्वाह

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के तहत आवश्यक विवरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों की प्रकृति को देखते हुए इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है।

आपकी कंपनी केवल परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों के दौरान बिजली की खपत करती है।

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की कोई आमदनी और बहिर्वाह नहीं हुआ है।

## प्रौद्योगिकी समावेश

मुद्रा एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में काम कर रहा है। इसने सामान्य खाता बही खातों और ऋण प्रबंधन की अपनी व्यापक जरूरतों और के लिए सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण किया है। एक पोर्टल सभी बैंकों/एमएफआई/एनबीएफसी के आंकड़ों को एकत्र करने और उन्हें समेकित करने के लिए है, जो पीएमएमवाई के तहत उनके द्वारा दिए जा रहे ऋण से संबंधित हैं। पोर्टल काफी सुदृढ है और विभिन्न प्रकार के आँकडों को एकत्र करता है और विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट बनाता है।

इस पोर्टल का उपयोग भारत सरकार द्वारा पीएमएमवाई कार्यनिष्पादन के लिए रणनीतिक, अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी के लिए किया जा रहा है।

## आभार

निदेशक मंडल अपने सभी हितधारकों, विशेष रूप से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय; और, सिडबी से प्राप्त उत्कृष्ट संरक्षण और उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों द्वारा रखे गये निरंतर भरोसे और विश्वास के लिए भी आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल सभी स्तरों पर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साह, प्रतिबद्धता और समर्पण को भी स्वीकार करता है।

आपका निदेशक मंडल कंपनी के लेखापरीक्षकों और भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रति उनकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए भी आभारी है।

कृते एवं वास्ते निदेशक मंडल
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

अध्यक्ष

दिनांक: 18 सितंबर, 2019
स्थान: मुम्बई

# निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध

**अनुबंध I**

**यथा 31 मार्च, 2019 को निदेशक मंडल**

| क्रमांक | नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री) | | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1. | मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईएएस | अध्यक्ष एवं निदेशक, मुद्रा | अगस्त 28, 2017 |
| | | **सिडबी नामिती** | |
| 2 | पंकज जैन, आईएएस | संयुक्त सचिव, डीएफएस, भारत सरकार-<br>भारत सरकार के नामिती निदेशक | जनवरी 28, 2016 |
| 3 | अजय कुमार कपूर | उपप्रबंध निदेशक, सिडबी, सिडबी के नामिती निदेशक | मार्च 18, 2015 |
| 4. | मनोज मित्तल | उपप्रबंध निदेशक, सिडबी, सिडबी के नामिती निदेशक | फरवरी 22, 2017 |
| 5. | ज्योत्सना सित्लिंग, आईएफएस | संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय,<br>भारत सरकार | जून 20, 2015 |
| 6. | आलोक गुप्ता | प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ, मुद्रा | अगस्त 07, 2018 |
| | | **स्वतंत्र निदेशक** | |
| 7. | पिल्लारिसेट्टी सतीश | | नवंबर 10, 2015 |
| 8. | अरविंद कुमार जैन | | फरवरी 8, 2018 |
| 9. | हर्ष श्रीवास्तव | | सितंबर 27, 2018 |

**वर्ष 2018-19 के दौरान समाप्ति**

| क्रमांक | नाम (श्री / श्रीमती / सुश्री) | पदनाम | नियुक्ति की तारीख | समाप्ति की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जीजी माम्मेन | प्रबन्ध निदेशक एवं<br>सीईओ, मुद्रा | अप्रैल 13, 2015 | अप्रैल 12, 2018 |
| 2. | रत्ना विश्वनाथन | स्वतंत्र निदेशक | नवंबर 10, 2015 | मई 11, 2018 |
| 3. | सुरेंद्र श्रीवास्तव | निदेशक | जुलाई 27, 2018 | दिसंबर 21, 2018 |

**वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें**

| क्रमांक | बैठक की तारीख | निदेशक मंडल की सदस्य संख्या | उपस्थित निदेशकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | अप्रैल 13, 2018 | 8 | 8 |
| 2. | मई 11, 2018 | 8 | 8 |
| 3. | जुलाई 27, 2018 | 8 | 8 |
| 4. | नवंबर 15, 2018 | 10 | 9 |
| 5. | जनवरी 29, 2019 | 9 | 8 |

## मुद्रा के निदेशक मंडल की समितियाँ

### लेखापरीक्षा समिति

| नाम | पद | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|
| श्री पिलारिसेट्टी सतीश | अध्यक्ष | दिसंबर 01, 2015 |
| श्री अजय कुमार कपूर | सदस्य | दिसंबर 01, 2015 |
| श्री अरविंद कुमार जैन | सदस्य | जुलाई 18, 2018 |

### नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

| नाम | पद | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|
| श्री पंकज जैन | अध्यक्ष | अप्रैल 23, 2018 |
| श्री अजय कुमार कपूर | सदस्य | अप्रैल 07, 2015 |
| श्री पिलारिसेट्टी सतीश | सदस्य | दिसंबर 01, 2015 |
| श्री अरविंद कुमार जैन | सदस्य | जुलाई 18, 2018 |

### नैगम सामाजिक दायित्व समिति

| नाम | पद | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|
| श्री आलोक गुप्ता | अध्यक्ष | अगस्त 07, 2018 |
| श्री पिलारिसेट्टी सतीश | सदस्य | जनवरी 28, 2016 |
| सुश्री ज्योत्सना सित्लिंग | सदस्य | अप्रैल 23, 2018 |
| श्री हर्ष श्रीवास्तव | सदस्य | अक्टूबर 15, 2018 |

### जोखिम प्रबंधन समिति

| नाम | पद | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|
| श्री आलोक गुप्ता | अध्यक्ष | अगस्त 07, 2018 |
| श्री अरविंद कुमार जैन | सदस्य | अप्रैल 23, 2018 |
| श्री पिलारिसेट्टी सतीश | सदस्य | जनवरी 01, 2019 |

# सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

## वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु

**[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनियों के नियम संख्या 9 का उद्देश्य (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुरूप]**

सदस्य
**माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)**
स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुम्बई: 400051, महाराष्ट्र, भारत

मैंने **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड** (बाद में इसे 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उच्च नैगम प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया है जिससे मुझे कॉरपोरेट चालन/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार मिला।

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवाही पुस्तिका, प्रपत्रों और रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन और कंपनी तथा इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी ने 31 मार्च 2019 ('ऑडिट पीरियड') को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन-तंत्र है।

मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई बहियों, कागजों, कार्यवाही की पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की निम्नांकित के प्रावधानों के संबंध में जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम; (कंपनी के लिए लागू नहीं)

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम; (कंपनी के लिए लागू नहीं)

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियम और कानून विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक किए गए; (कंपनी के लिए लागू नहीं)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निम्नांकित विनियमों एवं दिशानिदेशों:-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011; (कंपनी के लिए लागू नहीं)

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992; (कंपनी के लिए लागू नहीं)

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण की आवश्यकता के मुद्दे) विनियम, 2009 (कंपनी के लिए लागू नहीं);

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 (कंपनी के लिए लागू नहीं);

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) विनियम, 2008 (कंपनी के लिए लागू नहीं);

एफ़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के बारे में और ग्राहक के साथ व्यवहार; (कंपनी के लिए लागू नहीं);

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; (कंपनी के लिए लागू नहीं); तथा

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (कंपनी के लिए लागू नहीं);

(v) कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून, यथा:

ए) *एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न के संबंध में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या होल्डिंग) कंपनियां प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2015 सपठित भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र, यदि लागू हो।

*(पूर्ववर्ती गैर-बैंकिंग वित्तीय (नॉन-डिपॉज़िट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) कंपनी प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) के दिशा-निर्देश, 2007 की अधिसूचना सं. नं. डीबीआरबीआर 09/सीजीएम (सीडीएस) -2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 को सुपर्सीड किया)

मैंने निम्नांकित के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन कि भी जाँच की है:

ए) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक

बी) शेयर बाजारों के साथ कंपनी द्वारा किये गये सूचीबद्ध समझौते (कंपनी के लिए लागू नहीं)

तथापि, जैसा कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने सीएसआर समिति का गठन किया है और सीएसआर बजट के तहत मंजूरी के लिए पात्र प्रस्ताव प्राप्त के लिए काफी प्रयास किए, किंतु सीएसआर नीति में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने वाले उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न हो पाने के कारण व्यय करना सँभव नहीं हुआ और इसलिये सीएसआर राशि को वित्त वर्ष 2019-20 के लिये अग्रेणीत किया गया है।

**मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि :**

- कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

- निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन के संबंध में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेज दिये गये थे, और बैठक में सार्थक भागीदारीके लिये बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

- बहुमत का निर्णय के मान्य होता है तथा इसे कार्यवाही के हिस्से के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

**मैं यह भी रिपोर्ट करता हूँ कि:**

- लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुसार कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के पालन में कंपनी के मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली कोई घटना नहीं हुई।

कृते दीप शुक्ला एंड असोसियेट्स
कंपनी सचिव

---

दीप शुक्ला
{प्रवर्तक}
एफसीएस: 5652
सीपी संख्या 5364

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 19 जुलाई, 2019

## सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध

**सदस्य**
**माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लि. (मुद्रा लि.)**

मैं यह भी कहता हूं कि इस तिथि की मेरी उक्त रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय/सांविधिक अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ऑडिट के आधार पर इन रिकॉर्ड्स पर एक राय व्यक्त करना है।

2. मैंने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रत्यावेदन प्राप्त किया है।

5. नैगम और अन्य लागू कानूनों, नियमों, नियमों के प्रावधानों का अनुपालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिये जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते दीप शुक्ला एंड असोसियेट्स
कंपनी सचिव

_____

दीप शुक्ला
{प्रवर्तक}
एफसीएस: 5652
सीपी संख्या 5364

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 19 जुलाई, 2019

**अनुबंध III**

## फार्म संख्या एमजीटी 9

### वार्षिक रिटर्न का सार

**यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु**
**कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी**
**(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार**

## I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सीआईएन | यू65100एमएच2015पीएलसी274695 |
| 2. | पंजीकरण की तारीख | 18 मार्च 2015 |
| 3. | कंपनी का नाम | माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड |
| 4. | कंपनी की श्रेणी/उपश्रेणी | पब्लिक लिमिटेड शेयर्स द्वारा/भारतीय ग़ैर शासकीय कंपनी |
| 5. | पंजीकृत कार्यालय क पता तथा संपर्क विवरण | स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051 |
| 6. | क्या यह सूचीबद्ध कंपनी है? | नहीं |
| 7. | रजिस्ट्रार तथा स्थानांतरण ऐजेन्ट का नाम, पता तथा संपर्क विवरण, यदि कोई हो तो. | लिंकइनटाइम इंडिया प्रा. लि.<br>सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग,<br>विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई-400083 |

## II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 फीसदी या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाए)

| क्रमांक | सभी प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण | उत्पाद/सेवा के एनआईसी कोड | कंपनी के कुल प्रत्यावर्तन में % |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंकों, एनबीएफसी तथा एमएफआई (एनबीएफसी-एमएफआई सहित) को ऋण तथा पुनर्वित्त प्रदान करना | 649 | 100.00 |

## III. धारक, सहायक तथा सहयोगी कम्पनियाँ

| क्रमांक | कंपनी का नाम व पता | सीआईएन/ जीएलएन | % धारित शेयर | प्रयोज्य धारा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | *भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश | अप्रयोज्य | 100% | Sec. 2 (87)(II) |

* सिडबी एक विकास वित्तीय संस्थान है, जिसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1989 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।

## IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल ईक्विटी में शेयर पूँजी विवरण का प्रतिशत)

### (i) श्रेणीवार शेयरधारिता

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की संख्या [यथा 1 अप्रैल 2018] | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [यथा 31 मार्च 2019 को] | | | | वर्ष कई दौरान बदलाव का प्रतिशत % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | योग | कुल शेयरों का % | डीमैट | भौतिक | योग | कुल शेयरों का % | |
| **ए. प्रवर्तक** | | | | | | | | | |
| **(1) भारतीय** | | | | | | | | | |
| ए) व्यक्ति/एचयूएफ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बी) केंद्र सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सी) राज्य सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| डी) निकाय निगम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ई) बैंक/एफआई | 1675925920 | 0 | 1675925920 | 100.00 | 1675925920 | 0 | 1675925920 | 100.00 | 0.00 |
| एफ) अन्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **(2) विदेशी धारिता** | | | | | | | | | |
| ए) व्यक्ति | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बी) निकाय निगम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (ए)** | **1675925920** | **0** | **1675925920** | **100.00** | **1675925920** | **0** | **1675925920** | **100.00** | **0.00** |
| **बी. सार्वजनिक शेयरधारिता** | | | | | | | | | |
| **1. संस्थाएँ** | | | | | | | | | |
| ए) म्युचुअल निधियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बी) बैंक/एफआई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सी) केंद्र सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| डी) राज्य सरकार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ई) उद्यम पूँजी निधियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एफ) बीमा कंपनियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जी) एफआईआई | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एच) विदेशी उद्यम पूँजी निधियाँ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आई) अन्य (उल्लेख करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उप योग (बी) (1):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2. ग़ैर संस्थागत** | | | | | | | | | |
| ए) निकाय निगम | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) विदेशी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बी) व्यक्ति | 0 | 6 | 6 | 0.01 | 6 | 0 | 6 | 0.01 | 0 |
| i) ₹ 1 लाख तक की मामूली शेयरधारिता वाले व्यक्ति शेयरधारक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के आरम्भ में धारित शेयरों की संख्या [यथा 1 अप्रैल 2018] | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [यथा 31 मार्च 2019 को] | | | | वर्ष कई दौरान बदलाव का प्रतिशत % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | डीमैट | भौतिक | योग | कुल शेयरों का % | डीमैट | भौतिक | योग | कुल शेयरों का % | |
| ii) ₹ 1 लाख से अधिक की मामूली शेयरधारिता वाले व्यक्ति शेयरधारक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सी) अन्य (उल्लेख करें) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अनिवासी भारतीय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विदेशी नैगम निकाय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विदेशी नागरिक | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाशोधन सदस्य | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| न्यास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विदेशी निकाय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **उपयोग (बी)(2):-** | **0** | **6** | **6** | **0.01** | **6** | **0** | **6** | **0.01** | **0** |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी=बी)(1)+(बी)(2) | 0 | 6 | 6 | 0.01 | 6 | 0 | 6 | 0.01 | 0 |
| **सी. जीडीआर तथा एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा धारित शेयर** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **सकल योग (ए+बी+सी)** | **1675925920** | **6** | **1675925926** | **100** | **1675925926** | **0** | **1675925926** | **100** | **0** |

### (ii) प्रवर्तक की शेयर धारिता

| क्र. सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | | वर्ष के अंत में शेयरधारिता | | | % वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से गिरवी रखे/ भारित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से गिरवी रखे/ भारित शेयरों का % | |
| 1 | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक | 1675925920 | 100 | 0 | 1675925920 | 100 | 0 | 0.00 |
| **योग** | | **1675925920** | **100** | **0** | **1675925920** | **100** | **0** | **0.00** |

### (iii) प्रवर्तक की शेयर धारिता में बदलाव

| क्र. सं. | विवरण | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों में % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों में % |
| 1 | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक | | | | |
| | वर्ष के आरम्भ में | 1,675,925,920 | 100 | 1,675,925,920 | 100 |
| | वर्ष के अंत में | 1,675,925,920 | 100 | 1,675,925,920 | 100 |

## (iv) शीर्ष 10 शेयर धारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अतिरिक्त) का शेयरधारिता पैटर्न

| क्र. स. | | वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता | | दिनांक | शेयरधारिता में वृद्धि/ह्रास | कारण | वर्ष कई दौरान तथा वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | | | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | श्री एस. एन. सिंह (सिडबी के प्रतिनिधि) | 1 | 0 | 31जुलाई 2017 | 0 | शेयरों का अंतरण | 1 | 0 |
| 2 | श्री कैलाश चंद्र भानू (सिडबी के प्रतिनिधि) | 1 | 0 | 31जुलाई 2017 | 0 | | 1 | 0 |
| 3 | श्री रबिंद्र कुमार दास (सिडबी के प्रतिनिधि) | 1 | 0 | 31जुलाई 2017 | -1 | | 0 | 0 |
| 4 | श्री देबाशीष घोष (सिडबी के प्रतिनिधि) | 1 | 0 | 31जुलाई 2017 | -1 | | 0 | 0 |
| 5 | श्री रूप कुमार शर्मा (सिडबी के प्रतिनिधि) | 1 | 0 | 31जुलाई 2017 | -1 | | 0 | 0 |
| 6 | श्री मुकेश कुमार पांडेय (सिडबी के प्रतिनिधि) | 1 | 0 | 31जुलाई 2017 | -1 | | 0 | 0 |
| 7 | श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल (सिडबी के प्रतिनिधि) | 0 | 0 | 27जुलाई 2017 | 1 | | 1 | 0 |
| 8 | श्री विनय एस. हेडाऊ (सिडबी के प्रतिनिधि) | 0 | 0 | 27जुलाई 2017 | 1 | | 1 | 0 |
| 9 | श्री अनिल कुलकर्णी (सिडबी के प्रतिनिधि) | 0 | 0 | 27जुलाई 2017 | 1 | | 1 | 0 |
| 10 | श्रीमती वाय. मुन्नीकुमारी (सिडबी के प्रतिनिधि) | 0 | 0 | 27जुलाई 2017 | 1 | | 1 | 0 |

## (v) निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

| क्र. स. | प्रत्येक निदेशक तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता | वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता | | वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कंपनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | - | - | 0.00 | - | 0.00 |

## V. ऋणग्रस्तता: कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया ब्याज/उपचित किंतु देय नहीं शामिल है.

| | जमाराशियों को छोडकर प्रतिभूत ऋण | प्रतिभूतिरहित ऋण | जमाराशियाँ | कुल ऋणग्रस्तता |
|---|---|---|---|---|
| **वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | - | - | ₹ 150,00,00,00,000 | ₹ 150,00,00,00,000 |
| ii) ब्याज जोकि देय है किंतु अदा नहीं किया गया | - | - | - | - |
| iii) ब्याज उपचित किंतु देय नहीं | - | - | ₹ 164,12,90,036 | ₹ 164,12,90,036 |
| **योग (i+ii+iii)** | **-** | **-** | **₹ 151,64,12,90,036** | **₹ 151,64,12,90,036** |
| **वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव** | | | | |
| *वृद्धि | - | - | ₹ 5,000,00,00,000 | ₹ 5,000,00,00,000 |
| घटाना | - | - | ₹ 5,000,00,00,000 | ₹ 5,000,00,00,000 |
| **निवल बदलाव** | **-** | **-** | **0** | **0** |
| **वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता** | | | | |
| i) मूलधन | - | - | ₹ 150,00,00,00,000 | ₹ 150,00,00,00,000 |
| ii) ब्याज जोकि देय है किंतु अदा नहीं किया गया | - | - | - | - |
| iii) ब्याज उपचित किंतु देय नहीं | - | - | ₹ 134,29,47,779 | ₹ 134,29,47,779 |
| **योग (i+ii+iii)** | **-** | **-** | **₹ 151,34,29,47,779** | **₹ 151,34,29,47,779** |

* बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र की कमी के तहत जमा।

## VI. निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

### ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधकों का परिश्रमिक

| क्र. स. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंधनिदेशक/पूर्णकालिक निदेशक (सीईओ/प्रबंधक का नाम (2018-19) | प्रबंधनिदेशक/पूर्णकालिक निदेशक (सीईओ/प्रबंधक का नाम (2017-18) | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सकल वेतन | श्री आलोक गुप्ता (प्र.नि. एवं सीईओ) (अगस्त 2018 से अद्यतन) | श्री जीजी माम्मेन (प्र.नि. एवं सीईओ) (अप्रैल 12, 2018 से अप्रैल 12, 2018 तक) | |
| | (ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | ₹ 46,47,848 | 2,49,609 | ₹ 48,97,457 |
| | (बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य | - | - | - |
| | (सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज़ में लाभ | - | | - |
| 2 | स्टॉक विकल्प | - | | - |
| 3 | उद्यम ईक्विटी | | | - |
| 4 | कमीशन<br>- लाभ का %<br>- अन्य – स्पष्ट करे | - | | - |
| 5 | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | - | | - |
| | **योग (ए)** | **₹ 46,47,848** | **2,49,609** | **₹ 48,97,457** |
| | **अधिनियम के अनुसार सीमा** | | | |

## बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

| क्र. सं. | परिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम | | | | कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **स्वतंत्र निदेशक** | **सुश्री रत्ना विश्वनाथन** | **श्री पिल्लारिसेट्टी सतीश** | **श्री अरविंद कुमार जैन** | **श्री हर्ष श्रीवास्तव** | |
| | बोर्ड/समितियों की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क | ₹ 60,000 | ₹ 2,20,000 | ₹ 2,40,000 | ₹ 60,000 | ₹ 5,80,000 |
| | कमीशन | | - | - | - | - |
| | अन्य, स्पष्ट करें | | - | - | - | - |
| | **योग (1)** | **₹ 60,000** | **₹ 2,20,000** | **₹ 2,40,000** | **₹ 60,000** | **₹ 5,80,000** |
| 2 | अन्य ग़ैर कार्यपालक निदेशक | | - | - | - | - |
| | बोर्ड/समितियों की बैठकों में उपस्थिति हेतु शुल्क | | - | - | - | - |
| | कमीशन | | - | - | - | - |
| | अन्य, स्पष्ट करें | | - | - | - | - |
| | **योग (2)** | | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **योग (बी)=(1+2)** | | **-** | **-** | **-** | |
| | **कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक** | | | | | |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा | | | | | |

## सी. प्र.नि./प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

| क्र. सं. | परिश्रमिक का विवरण | महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक | | | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **मुख्य वित्तीय अधिकारी** | **मुख्य वित्तीय अधिकारी** | **कम्पनी सचिव** | |
| | | **श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव (दिसंबर 21, 2018 तक)** | **श्रीमती रजनी सूद (29 जनवरी, 2019 से अबतक)** | **सुश्री पूजा कुकरेती** | |
| 1 | **सकल वेतन** | | | | |
| | (ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन | ₹ 26,89,386 | ₹ 9,86,579 | ₹ 1,07,142 | ₹ 37,83,107 |
| | (बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य | ₹ 5,19,631 | ₹ 1,57,813 | - | ₹ 6,77,444 |
| | (सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के एवज़ में लाभ | | | - | - |
| 2 | स्टॉक विकल्प | | | - | - |
| 3 | उद्यम ईक्विटी | | | - | - |
| 4 | कमीशन | | | - | |
| | - लाभ का % | | | - | - |
| | - अन्य, स्पष्ट करें... | | | - | - |
| 5 | अन्य, स्पष्ट करें | | | - | - |
| | **योग** | **₹ 32,09,017** | **₹ 11,44,392*** | **₹ 1,07,142** | **₹ 44,60,551** |

नोट:- सीईओ के पारिश्रमिक का विवरण आइटम नंबर VI में दिया गया है।
* वेतन रिपोर्टिंग की तारीख (26 दिसंबर, 2018) से मुद्रा को है

## VII. दंड/सज़ा/अपराधों की कम्पाउंडिंग

| प्रकृति | कंपनी अधिनियम की धारा | संक्षिप्त विवरण | लगाये गये दंड/सज़ा/ कम्पाउंडिंग शुल्क का विवरण | प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय | अपील, यदि कोई की गई हो (विवरण दें) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ए. कम्पनी** | | | | | |
| दंड | | | | | |
| सज़ा | | | | | |
| **कंपाउंडिंग** | | | | | |
| **बी. निदेशक** | | | | | |
| दंड | | | | | |
| सज़ा | | | शून्य | | |
| कंपाउंडिंग | | | | | |
| **सी. अन्य चूक करने वले अधिकारी** | | | | | |
| दंड | | | | | |
| सज़ा | | | | | |
| कंपाउंडिंग | | | | | |

कृते और वास्ते निदेशक मंडल
माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

अध्यक्ष

स्थान: मुम्बई
दिनांक: सितंबर 18, 2019

# स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सदस्य माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड

## वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

### अभिमत

हमने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, पंजीकृत एवं नैगम कार्यालय: स्वावलंबन भवन, सी -11 जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र 400051 ("कंपनी") की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2019 का तुलनपत्र , लाभ हानि विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी और वित्तीय विवरणियों से संबंधित नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी भी शामिल है।

हमारे अभिमत के अनुसार तथा हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के क्रियाकलाप से संबंधित उक्त पृथक पृथक वित्तीय विवरणियाँ, लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाह कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत वांछित समस्त जानकारी उस तरह से प्रस्तुत करती हैं जिससे वे अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों सपठित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 यथासंशोधित (इंडएएस), तथा भारत में सामान्यत: मान्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हों.

### अभिमत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसएएस) के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारे वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी की स्वतंत्र आवश्यकताओं के का पालन करते हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और इनके तहत निर्धारित नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणियों की हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा विषय वे हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के पृथक पृथक वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र वित्तीय विवरणियों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

| क्रमांक | मुख्य लेखापरीक्षा विषय | हमारी लेखा परीक्षा में इन्हें कैसे शामिल किया गया |
|---|---|---|
| 1. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये किये गये प्रावधान/समायोजन | रुपये 285 करोड की जमराशि आईएलएफएस में रखी गई थी जो निधि की अस्थायी तैनाती के इरादे से की गई थी, ज़ब तक कि इसे कंपनी के मुख्य व्यवसाय पुनर्वित्त के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था। इसलिए, उक्त जमा को निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।<br>इसके अलावा, रेटिंग एजेंसी द्वारा उक्त जमा का अवमूल्यन करने के मद्देनजर, इसे चूक रूप में और इंडएएस 109 के तहत अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के मानक के तहत, निवेश का अवमूल्यन होने के परिणामस्वरूप, पूर्ण प्रावधान उक्त डिपॉजिट के लिये किया गया है। |

| क्रमांक | मुख्य लेखापरीक्षा विषय | हमारी लेखा परीक्षा में इन्हें कैसे शामिल किया गया |
|---|---|---|
| 2. | भारतीय रिज़र्व बैंक अनुपालन | आरबीआई ने अपने पत्र सं डीएनबीआर (पीडी). सीओ. सं. 244/03.10.001/2015-16 दिनांक 03 अगस्त, 2015 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इसके जोखिम के संबंध में मुद्रा को क्रेडिट एकाग्रता मानदंड (एकल उधारकर्ता) की प्रयोज्यता से छूट दी है। हालांकि, अन्य एक्सपोज़र के संबंध में, मुद्रा आरबीआई द्वारा निर्धारित एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र मानदंडों का अनुपालन करता है और वर्ष के दौरान, कंपनी प्रूडेंशियल एक्सपोज़र लिमिट्स–एकल उधारकर्ता सीमा(एसजीएल/समूह उधारकर्ता सीमा) (जीबीएल) से अधिक नहीं थी। |
| 3. | कंपनी की आय का मुख्य स्रोत पुनर्वित्त से एनबीएफसी, एमएफआई, बैंकों और इसी तरह की संस्थाओं और बैंकों क़ो प्रदत्त पुनर्वित्त पर प्राप्त होने वाला ब्याज और बैंकों एवं अन्य संस्थाओं में जमा में अल्पावधि निवेश से प्राप्त होने वाला ब्याज है। इस तरह की गतिविधि को करने के लिए, प्राप्त वित्तीय संसाधनों पर ब्याज लागत लगती है। उक्त गतिविधियों के लिए आकस्मिक, प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है, जिसे आंशिक रूप से इसकी धारक कंपनी के साथ उनके प्रयासों के लिए, सहमति के आधार पर साझा किया जाता है। | ब्याज और प्रसंस्करण शुल्क इत्यादि की शर्तों के आधार पर, इसके लेखांकन की समझ और संबंधित उपचन संबंधी आवश्यकताओं के जोखिम के लिए इसमें समय-समय पर, आवश्यक परीक्षण जाँच शामिल हैं। |

## अन्य विषय

हमारी राय में और हमारी सबसे जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन इंड ए एस के रूप में वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और लेखांकन के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं आमतौर पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में स्वीकृत सिद्धांतों, और इसकी कुल व्यापक आय (लाभ और अन्य व्यापक आय शामिल), इसका नकदी प्रवाह और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन शामिल हैं।

## वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित उन मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है, जो इन वित्तीय विवरणियों को बनाने के लिये, वित्तीय प्रदर्शन (इक्विटी में परिवर्तन) और कंपनी के नकदी प्रवाह को आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं के अनुसार वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भी क्यों न हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, कंपनी की निरंतर परिचालन (गोइंग कंसर्न) की क्षमता का आकलन करने, गोइंग कंसर्न के लिये लागू प्रकटीकरण, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते गोइंग कंसर्न आधार का उपयोग करना प्रबंधन का का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने का या इसके परिचालनों को बंद करने का इरादा नहीं रखता या प्रबंधन के पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

## लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पृथक पृथक वित्तीय विवरणियाँ समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हीं क्यों न हो, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से हमेशा किसी गलतबयानी का पता चल ही जाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और तब महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि, एकल रूप से या कुल मिलाकर, उनका युक्तिसंगत रूप से इन पृथक पृथक वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करना संभावित है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। हम-

ए. पृथक पृथक वित्तीय विवरणों में गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए हों, उन जोखिमों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और युक्तिसंगत हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली गलतबयानी का पता न लगने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।

बी. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को इस उद्देश्य से डिजाइन करते हैं तथा लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता से किया जा रहा है।

सी. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं।

डी. प्राप्त होने वाले लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष देते हैं कि प्रबंधन गोइंग कंसर्न आधार पर उपयुक्त लेखांकन कर रहा है, तथा क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की गोइंग कंसर्न के रूप ने परिचालन की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह खड़ा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पृथक पृथक वित्तीय विवरणियों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित किया जा सकता है. हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी गोइंग कन्सर्न के रूप में अपना परिचालन स्थगित कर सकती है।

ई. पृथक पृथक वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें प्रकटन भी शामिल हैं, और यह भी देखते हैं कि क्या पृथक पृथक वित्तीय विवरणियाँ अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय विवरणियों में गलतबयानी के परिमाण की गम्भीरता इस बात पर निर्भर करती है कि इससे एकल रूप से अथवा सकल रूप से वित्तीय विवरणियों का प्रयोग करने वाले किसी युक्तिसंगत ज्ञान वाले व्यक्ति द्वारा लिये जाने वाले आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकती हो। हम (i) अपनी लेखारीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) वित्तीय वक्तव्यों में चिह्नित गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक गंभीरता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध आयोजना और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों, जिनमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल है, उन लोगों के साथ संवाद करते हैं जिनके पास कम्पनी के नियंत्रण का प्रभार रहता है। हम कंपनी के शासन के लिये उत्तरदायी लोगों को एक विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के विषय में भी उन्हें बताया है।

## अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताएँ

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश"), की अपेक्षानुसार, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट विषयों पर "अनुबंध ए" में एक विवरणी देते हैं।

2. जैसा कि धारा 143 (3) और अधिनियम द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

   ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ऑडिट के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

   बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखाबहियों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन बहियों की हमारी परीक्षा से प्रकट होता है।

   सी) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ हानि विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए कैश फ्लो के विवरण खाते की प्रासंगिक बहियों का मिलान किया गया है।

   डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी (नियम) नियम 2014 के नियम के साथ पढ़ते हैं।

   ई) 31 मार्च, 2019 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया, 31 मार्च, 2019 को नियम अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

   एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट "अनुबंध ए" में देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असम्बद्ध राय व्यक्त करती है।

   जी) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार;

      i) कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों;

      ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए किसी भी तरह की सामग्री नुकसानदेह थी; तथा

      iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में हस्तांतरित किए जाने के लिए कोई राशि नहीं थी।

3. धारा 143 (5) और अधिनियम के तहत संशोधित निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i) कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से संसाधित करने के लिए प्रणाली उपलब्ध है। आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं है।

   iii) ऐसे किसी शुल्क की माफी/लेखांकित शुल्क वापस करने के कोई मामले नहीं हैं है जो देय था लेकिन प्राप्त/बट्टे खाते में डाला नहीं गया था।

   iii) केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त/प्राप्य नहीं हैं।

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता संख्या: 133178

हेतू एवं वास्ते
**पी सी घडियाली एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या. 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 03/06/2019

# स्वतंत्र लेखपरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

**[31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के खंड "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 2(एफ) में संदर्भित अनुबंध**

**[कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट]**

हमने यथा 31 मार्च, 2019 को तक उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के साथ **माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ("कंपनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीडब्ल्यूए) के द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा अपनाए गये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। आईएएस उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइनिंग, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल जोकि इसके व्यवसाय को सुसंगठित तथा कुशल तरीके से प्रभावपूर्वक परिचालित किये जा रहे हैं जिसमें कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का पता लगना, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत आवश्यक है, शामिल है।

## लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश नोट (मार्गदर्शी नोट) के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों का आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक पालन किया है। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें लेखापरीक्षा को इस तरह से आयोजित और निष्पादित करें कि उससे युक्तिसंगत रूप से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गये हैं या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यदि इनमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो तो उसके जोखिम का आकलन करना, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणियों में गलतबयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और निपटान को प्रतिबिंबित करता है; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को वित्तीय

विवरणियों की तैयारी के लिए आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की अस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान के समय पर रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, ऐसी संभावना रहती है कि मिलीभगत, नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलतबयानी इत्यादि हो सकती हैं जिनका पता नहीं लगता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण बिगड़ सकता है।

## अभिमत

हमारी राय के अनुसार, हमारी जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी के पास यथा 31 मार्च, 2019 को सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से लागू थे जोकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित है।

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता संख्या: 133178

हेतू एवं वास्ते
**पी सी घडियाली एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या. 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 03/06/2019

# स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

**[31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के खंड "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुबंध]**

हमारे द्वारा उचित समझी गई जाँच तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. अचल आस्तियों के संबंध में:

   ए) कंपनी अचल आस्तियों का पूर्ण विवरण जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है को दर्शाते हुये उचित अभिलेख रखती है।

   बी) कंपनी के पास अचल आस्तियों की सभी मदों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए सत्यापन का एक प्रोग्राम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी आस्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस प्रोग्राम के लिए, कुछ अचल आस्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं।

   सी) कोई अचल आस्ति कंपनी के स्वामित्व में नहीं है। इसके अनुसार, कंपनियों (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3 (i) (सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

ii. कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है और उसने किसी भी सामान का सौदा नहीं किया है और कंपनी लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी इंवेंटरी नहीं रखती है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश 2016 के खंड 3 (ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

iii. कम्पनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल किसी भी पार्टी को प्रतिभूति-सहित या प्रतिभूति-रहित, कोई भी ऋण नहीं दिया है।

iv. ऋण, निवेशों, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के संबंध में धारा 185 एवंस हारा 186 का अनुपालन किया गया है ।

v. कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों तथा इनके और इसके तहत बनाए गए नियमों को आकर्षित करने वाली किसी भी सार्वजनिक जमाराशि को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं ।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्ड के रखरखाव हेतु कंपनी को नहीं निदेशित किया है ।

vii. ए) कंपनी उपयुक्त प्राधिकारियों के निर्विवाद वैधानिक देयों जैसे व्यावसायिक कर, सेवा कर, माल और सेवा कर के संबंध में देय राशि, स्रोत पर कर कटौती, आयकर और उस पर लागू अन्य वैधानिक देय राशिको नियमित रूप से जमा करती है।

   बी) व्यवसाय कर, वस्तु एवं सेवाकर, स्रोत पर काटा गया कर, आय कर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय राशि के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया 31 मार्च, 2019 तक बकाया नहीं था, जिसे देय तारीख से छह महीने से अधिक हो गए हों।

   सी) हमारे द्वारा जांच किये गये कंपनी के अभिलेखों के आधार पर, आयकर, वस्तु और सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का कोई बकाया नहीं है, जो कि किसी भी विवाद के कारण, उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है।

viii. हमारे की गई कंपनी के अभिलेखों की जाँच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी बैंक या सरकार को ऋण और उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान से उधार नहीं लिया है और न ही उन्होंने कोई डिबेंचर जारी किया है।

ix. सार्वजनिक निर्गम में किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया है अत: कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश., 2016 का बिंदु (ix) लागू नहीं है।

x. आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार हमारे द्वारा की गई कंपनी की बहियों और अभिलेखों की परीक्षा के दौरान, वर्ष के दौरान न तो कंपनी द्वारा धोखाधड़ी न ही कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी धोखाधड़ी के मामले में सामने आए हैं और न ही रिपोर्ट किये गये हैं और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसी किसी भी घटना के बारे में सूचित किया गया है।

xi. प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सपठित अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य अनुमोदन के अनुसार किया गया है।

xii. यह कम्पनी निधि कंपनी नहीं है अत: कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का बिंदु (xii) लागू नहीं है।

xiii. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरणों का उपयुक्त रूप से खुलासा किया गया है।

xiv. हमें प्रदान की गई जानकारी और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की अपेक्षाओं को शेयरों के निजी प्लेसमेंट के लिए अनुपालन किया गया है और राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए धन उठाया गया था। समीक्षा के दौरान कंपनी ने इस वर्ष में कोई तरजीही आवंटन या पूरी तरह से या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है।

xv. कंपनी ने निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xvi. कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाणपत्र) रखती है। कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दिनांक 6 अप्रैल, 2015 के पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 14.03313 के साथ "पब्लिक डिपॉज़िट्स स्वीकार किए बिना" एनबीएफआई के रूप में पंजीकृत है।

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता सं. 133178

वास्ते एवं कृते
**पी सी घडियाली एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 103132 डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 03/06/2019

# लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
**माइक्रो यूनिट डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)**

आरबीआई के "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2008।" के अनुपालन में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

1. हमने यथा 31 मार्च, 2019 को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) ('कंपनी') की संलग्न बैलेंस शीट और उक्त तारीख को वर्ष के लिए लाभ और हानि और नकदी प्रवाह विवरण के की लेखापरीक्षा की है तथा हमारा लेखापरीक्षा परामर्श दिनांक 03 जून, 2019 को जारी किया गया है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखपरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना था। हमारी लेखापरीक्षा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निर्दिष्ट तरीके से संपन्न हुआ।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2008, और समय-समय पर जारी ('दिशानिदेश') और ऊपर दिए गए पैराग्राफ 1 हमारी लेखापरीक्षा में संदर्भित और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर जो इस उद्देश्य के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा था, हम इसके द्वारा पैराग्राफ 3 और 4 के निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं।

   I) प्रबंधन ने हमें सूचित किया है कि कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) के व्यवसाय में लगी हुई है, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iए ("अधिनियम") में परिभाषित किया गया है। समय-समय पर, इस अधिनियम की धारा 45-आईए के तहत पंजीकरण (सीओआर) प्रमाण पत्र रखने की आवश्यकता होती है। कंपनी को सीओआरसंख्या. एन-14.03313 दिनांक 6 अप्रैल 2015 को "सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार किए बिना" एनबीएफआई के रूप में आरबीआई के साथ पंजीकृत किया गया है।

   II) 31 मार्च, 2019 को प्रबंधन द्वारा निर्धारित आस्ति और आय के पैटर्न के आधार पर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और कंपनी के अन्य रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित तिथि को समाप्त वर्ष और सिस्टमिकली महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (नॉन-डिपॉज़िट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) कंपनी प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2015 समय-समय पर ("प्रूडेंशियल नॉर्म्स") में यथा संशोधित के पैरा 15 के संदर्भ में कंपनी उक्त सीओआर को जारी रखने के लिए पात्र है।

   III) कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार और एनबीएफसी के वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीएनबीएस.पीडी, सीसी नंबर 85/03.02.089/2006-07 दिनांक 6 दिसंबर, 2006 के द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर कंपनी यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एक आस्ति वित्तपोषण कंपनी नहीं है जैसा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में परिभाषित किया गया है, जो कि सार्वजनिक जमाओं (रिज़र्व बैंक) के निर्देशों, 1998 की समय-समय पर वित्तीय वर्ष के दौरान उस पर किए गए व्यवसाय के संदर्भ में संशोधित है।

   IV) मुद्रा के निदेशक मंडल ने अपनी पहली बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है कि कंपनी कोई सार्वजनिक जमा नहीं रखती है और भविष्य में लिखित रूप में बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे स्वीकार नहीं करेगी।

   V) कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सार्वजनिक जमा को स्वीकार नहीं किया है।

   VI) कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान सभी महत्वपूर्ण मामलों में, आय मान्यता, लेखा मानकों, आस्ति वर्गीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों और प्रणालीगत महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा स्वीकार

अथवा धारित न करने वाली) कंपनी प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) के दिशा-निर्देश, 2015, समय-समय पर यथासंशोधित के संदर्भ में इसपर लागू आस्ति प्रावधानों के साथ अनुपालन किया है।

VII) यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म एनबीएस-7 में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणी में प्रकट की गई पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही ढंग से आ गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर् के अनुपालन में है।

ऊपर दिए गए अनुच्छेद 1 में उल्लिखित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस रिपोर्ट को अद्यतन करने की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

यह रिपोर्ट केवल दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्टिंग के लिए जारी की गई है, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग या वितरित नहीं की जानी है।

**कृते पी सी घडियाली एन्ड कं. एलएलपी**
फर्म पंजीकरण संख्या: 103132 डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037
सनदी लेखाकार

**सचिन घडियाली**
सहभागी
सदस्यता सं. 133178

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 03/06/2019

# तुलन पत्र

यथा 31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र

(₹ लाख)

| विवरण | नोट सं. | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **आस्तियाँ** | | | | |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | |
| (ए) नकदी तथा नकदी समतुल्य | 4 | 1,71,052.50 | 3,72,388.02 | 40,274.05 |
| (बी) नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष | 5 | 3,08,055.20 | 1,10,390.31 | 1,74,260.44 |
| (सी) ऋण | 6 | 11,83,404.34 | 10,53,901.77 | 6,10,247.48 |
| (डी) निवेश | 7 | 40,040.37 | 1,76,049.62 | 1,79,681.76 |
| (ई) अन्य वित्तीय आस्तियाँ | 8 | 8,960.57 | 10,507.84 | 8,752.37 |
| **ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ** | | | | |
| (ए) चालू कर आस्तियाँ (निवल) | 9 | - | 247.31 | 749.71 |
| (बी) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) | 10 | 10,950.61 | 1,087.28 | 680.57 |
| (सी) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | 11 | 7.78 | 14.79 | 12.28 |
| (डी) विकासोन्मुख अमूर्त आस्तियाँ | | 47.50 | - | - |
| (ई) अन्य अमूर्त आस्तियाँ | 12 | 1.42 | 3.32 | 3.06 |
| (एफ) अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ | 13 | 1,068.62 | 768.63 | 0.00 |
| **कुल आस्तियाँ** | | **17,23,588.92** | **17,25,358.88** | **10,14,661.72** |
| **देयताएँ तथा ईक्विटी** | | | | |
| **देयताएँ** | | | | |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | | |
| (ए) देय राशियाँ | 14 | | | |
| I) व्यवसाय देयताएँ | | - | - | - |
| II) अन्य देयताएँ | | 253.10 | 263.05 | 64.89 |
| (बी) जमाराशियाँ | 15 | 15,00,000.00 | 15,00,000.00 | 8,12,500.00 |
| (सी) अन्य वित्तीय देयताएँ | 16 | 13,463.08 | 16,558.27 | 9,064.92 |
| **ग़ैर वित्तीय देयताएँ** | | | | |
| (ए) चालू कर देयताएँ (निवल) | 9 | 473.40 | - | - |
| (बी) आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | 10 | - | - | - |
| (सी) अन्य ग़ैर वित्तीय देयताएँ | 17 | 42.61 | 3.34 | 0.13 |
| **कुल देयताएँ** | | **15,14,232.19** | **15,16,824.67** | **8,21,629.93** |
| **ईक्विटी** | | | | |
| (ए) ईक्विटी शेयर पूँजी | 18 | 1,67,592.59 | 1,67,592.59 | 1,67,592.59 |
| (बी) अन्य ईक्विटी | 19 | 41,764.14 | 40,941.62 | 25,439.20 |
| **कल ईक्विटी** | | **2,09,356.73** | **2,08,534.21** | **1,93,031.79** |
| **कुल देयताएँ तथा ईक्विटी** | | **17,23,588.92** | **17,25,358.88** | **10,14,661.72** |
| नोट्स का अवलोकन करें जोकि वित्तीय विवरणियों का हिस्सा हैं. | 1 से 62 | | | |

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**हेतु पी. सी. घडियाली**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या: 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता सं.: 133178

**वास्ते निदेशक मंडल**

**आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

**मनोज मित्तल**
निदेशक
डीआईएन: 02781399

**रजनी सूद**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**पूजा कुकरेती**
कंपनी सचिव
A48834

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 03, 2019

# लाभ हानि खाता विवरणी

यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख)

| विवरण | | नोट सं. | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|---|
| I. | **परिचालनों से आय** | | | |
| | ब्याज आय | 20 | 78,358.40 | 66,644.05 |
| | शुल्क तथा कमीशन आय | 21 | 385.59 | 384.11 |
| | उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ | 22 | 7,347.66 | 13,487.89 |
| | **परिचालनों से कुल आय** | | **86,091.65** | **80,516.05** |
| II. | **अन्य आय** | 23 | 1.13 | 1.07 |
| III. | **कुल आय(I+II)** | | **86,092.79** | **80,517.12** |
| IV. | **व्यय** | | | |
| | वित्तीय लागत | 24 | 51,494.52 | 51,484.50 |
| | वित्तीय लिखतों पर विपरीत प्रभाव | 25 | 28,234.02 | 1,440.27 |
| | कर्मचारी अनुलाभ व्यय | 26 | 653.57 | 713.25 |
| | मूल्यह्रास, परिशोधन और विपरीत प्रभाव | 27 | 9.09 | 7.37 |
| | अन्य व्यय | 28 | 581.94 | 705.93 |
| | **कुल व्यय (IV)** | | **80,973.14** | **54,351.33** |
| V. | **असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)** | | 5,119.64 | 26,165.80 |
| | असाधारण मदें | | - | - |
| VI. | **कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)** | | 5,119.64 | 26,165.80 |
| VII. | **कर संबंधी व्यय:** | 29 | | |
| | वर्तमान कर | | 11,634.87 | 9,455.95 |
| | आस्थगित कर | | (9,863.34) | (406.70) |
| VIII. | **वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (VI-VII)** | | 3,348.11 | 17,116.55 |
| | अन्य व्यापक आय | | | |
| (ए) | ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा | | | |
| (बी) | ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा | | | |
| | **अन्य व्यापक आय (ए+बी)** | | - | - |
| | **कुल व्यापक आय** | | **3,348.11** | **17,116.55** |
| IX. | **प्रति ईक्विटी शेयर उपार्जन** | 30 | | |
| | आधारभूत (₹) | | 0.20 | 1.02 |
| | मंदित (₹) | | 0.20 | 1.02 |

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**हेतु पी. सी. घडियाली**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या: 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

**वास्ते निदेशक मंडल**

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता सं.: 133178

**आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

**मनोज मित्तल**
निदेशक
डीआईएन: 02781399

**रजनी सूद**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**पूजा कुकरेती**
कंपनी सचिव
A48834

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 03, 2019

# नकदी प्रवाह विवरणी

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ लाख)

| विवरण | | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| **ए.** | **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | |
| | **कर पूर्व लाभ** | 5,119.64 | 26,165.80 |
| | **कर पूर्व निवल लाभ** | | |
| | **समायोजन:** | | |
| | सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) से ब्याज आय | (21,312.39) | (18,437.97) |
| | म्युचुअल फंड्स की बिक्री से लाभ | (7,416.84) | (13,462.02) |
| | मूल्यह्रास तथा परिशोधन | 9.09 | 7.37 |
| | वित्तीय लिखतों पर प्रतिकूल प्रभाव | 28,234.02 | 1,440.27 |
| | म्युचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन | 69.17 | (25.87) |
| | अपफ्रंट शुल्क का परिशोधन | (15.59) | (145.61) |
| | **कार्यशील पूँजी शुल्क से पूर्व परिचालनगत लाभ/(हानि)** | **4,687.11** | **(4,458.03)** |
| | **कार्यशील पूँजी का चलन** | | |
| | ऋणों में (वृद्धि)/कमी | (1,29,229.53) | (4,44,940.41) |
| | अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि)/कमी | (310.76) | (350.43) |
| | अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी | (45.12) | (51.34) |
| | अन्य देय राशियों में वृद्धि/(कमी) | (9.96) | 198.17 |
| | अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी) | (3,095.19) | 7,493.36 |
| | अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) | 39.27 | 3.21 |
| | **परिचालनों से उत्पन्न नकदी** | **(1,27,964.18)** | **(4,42,105.47)** |
| | प्रदत्त आयकर | (11,169.04) | (9,670.84) |
| | **परिचालनगत गतिविधियों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी** | **(1,39,133.21)** | **(4,51,776.31)** |
| | | | |
| **बी.** | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | अचल आस्तियों तथा अमूर्त आस्तियों की खरीद | (47.70) | (10.14) |
| | निवेश में (वृद्धि)/कमी- जमा प्रमाणपत्र | 12,189.41 | (6,142.90) |
| | निवेश में (वृद्धि)/कमी-नैगम जमाराशियाँ | 59,527.38 | (88,027.38) |
| | सावधि जमाराशियों (तीन माह से अधिक की परिपक्वता वाली) में (वृद्धि)/कमी | (1,97,664.89) | 63,870.13 |
| | सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्र से ब्याज आय | 23,802.25 | 16,755.20 |
| | म्युचुअल निधि की बिक्री पर लाभ | 7,416.84 | 13,462.02 |
| | म्युचुअल निधि में निवेश में कमी | 35,100.00 | 98,097.47 |
| | **निवेश गतिविधियों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी** | **(59,676.71)** | **98,004.40** |

(₹ लाख)

| विवरण | | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|---|
| **सी.** | **वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | |
| | प्राप्त जमाराशियाँ | - | 6,87,500.00 |
| | प्रदत्त लाभांश | (2,094.91) | (1,341.07) |
| | डीडीटी सहित प्रदत्त लाभांश | (430.69) | (273.06) |
| | **वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी** | **(2,525.59)** | **6,85,885.87** |
| | **नकदी तथा नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/वृद्धि** | **(2,01,335.51)** | **3,32,113.97** |
| | वित्तीय वर्ष के आरम्भ में नकदी तथा नकदी समतुल्य | 3,72,388.02 | 40,274.05 |
| | **वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य** | **1,71,052.50** | **3,72,388.02** |

**नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य का मिलान**

उक्त के अनुसार नकदी तथा नकदी समतुल्य में निम्न राशियाँ शामिल हैं:

| | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| बैंकों में चालू खातों में शेष | 498.97 | 26.54 |
| हाथ में नकदी | 0.04 | 0.03 |
| 3 माह से कम परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियाँ | 1,70,553.50 | 3,72,361.44 |
| **योग** | **1,71,052.50** | **3,72,388.02** |

वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में बदलाव से संबंधित प्रकटन हेतु नोट संख्या 37 देखें.
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ नोट संख्या 1 से 3 पर हैं.
साथ के नोट इन वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग है.

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**हेतु पी. सी. घडियाली**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या: 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता सं.: 133178

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 03, 2019

**वास्ते निदेशक मंडल**

**आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

**मनोज मित्तल**
निदेशक
डीआईएन: 02781399

**रजनी सूद**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**पूजा कुकरेती**
कंपनी सचिव
A48834

# ईक्विटी में बदलाव संबंधी विवरणी

यथा 31 मार्च, 2019 को

## ए. ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | **1,67,592.59** | **1,67,592.59** |
| वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में बदलाव | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **1,67,592.59** | **1,67,592.59** |

## बी. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख)

| विवरण | आरक्षितियाँ तथा अधिशेष | | | | | | अन्य व्यापक आय | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रतिभूति प्रीमियम | डेवेलपमेंट निधि | सामान्य आरक्षितियाँ | प्रतिधारित कमाई | नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षितियाँ | | |
| 01 अप्रैल, 2017 को शेष | 7,407.41 | | 11,500.00 | 3,056.36 | - | 3,475.43 | - | 25,439.20 |
| अवधि हेतु लाभ | | | | 17,116.55 | | | - | 17,116.55 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण | - | - | - | (3,164.38) | | 3,164.38 | - | - |
| सामान्य आरक्षितियों को अंतरण | - | - | 10,000.00 | (10,000.00) | | - | - | - |
| विकास निधि को अंतरण | - | 200.00 | - | (200.00) | | - | - | - |
| **योग** | **7,407.41** | **200.00** | **21,500.00** | **6,808.53** | **-** | **6,639.81** | **-** | **42,555.75** |
| प्रदत्त लाभांश | - | - | - | (1,341.07) | | - | - | (1,341.07) |
| लाभांश वितरण कर | - | - | - | (273.06) | | - | - | (273.06) |
| **यथा 31 मार्च, 2018** | **7,407.41** | **200.00** | **21,500.00** | **5,194.40** | **-** | **6,639.81** | **-** | **40,941.62** |
| अवधि हेतु लाभ | | | | 3,348.11 | | | - | 3,348.11 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईसी के अंतर्गत सृजित सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण | - | - | - | (669.62) | | 669.62 | - | - |
| सामान्य आरक्षितियों को अंतरण | - | - | 1,500.00 | (1,500.00) | | | - | - |
| विकास निधि को अंतरण | - | - | - | (671.58) | 671.58 | | - | - |
| **योग** | **7,407.41** | **200.00** | **23,000.00** | **5,701.31** | **671.58** | **7,309.44** | **-** | **44,289.73** |
| प्रदत्त लाभांश | - | - | - | (2,094.91) | | - | - | (2,094.91) |
| लाभांश वितरण कर | - | - | - | (430.69) | | - | - | (430.69) |
| **यथा 31 मार्च, 2018** | **7,407.41** | **200.00** | **23,000.00** | **3,175.72** | **671.58** | **7,309.44** | **-** | **41,764.14** |

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**हेतु पी. सी. घडियाली**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या: 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

**वास्ते निदेशक मंडल**

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता सं.: 133178

**आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

**मनोज मित्तल**
निदेशक
डीआईएन: 02781399

**रजनी सूद**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**पूजा कुकरेती**
कंपनी सचिव
A48834

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 03, 2019

# महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - पृथक वित्तीय विवरणियाँ

## 1. नैगम सूचना

माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) भारत की एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जोकि कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है। इसका पंजीकृत कार्यालय स्वावलम्बन भवन, सी 11, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई – 400051 में स्थित है।

मुद्रा बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों सहित), ग़ैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों (एनबीएफसी) तथा अल्प वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है तथा प्रतिभूतिकरण लेनदेन में सहभागिता करता है।

## 2. तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरणियाँ कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) सपठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 यथासंशोधित तथा अधिनियम के अन्य संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

मुद्रा एक ग़ैर बैंकिंग वित्तीय संस्था (एनबीएफआई) के रूप में पंजीकृत है तथा इसे उन सभी विनियामक तथा प्रकटन मानकों का अनुपालन करना होता है जो एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर लागू होते हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष तक की वित्तीय विवरणियों को कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (यथासंशोधित) और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया गया था।

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष की ये वित्तीय विवरणियाँ पहली वित्तीय विवरणियाँ हैं, जिन्हें कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित इंडएएस के अनुसार जिसमें इंडएएस 101 प्रथमत: इंड एएस अंगीकरण शामिल है, के अनुसार तैयार किया गया है।

इंडएएस में संक्रमण की तिथि 01 अप्रैल, 2017 है। विगत जीएएपी से इंड एएस में संक्रमण के फलस्वरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह पर क्या प्रभाव पडा है, इसकी व्याख्या के लिए नोट 41 को देखें।

निम्नांकित आस्तियों एवं देयताओं को छोडकर सभी अन्य वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है:

i) कतिपय वित्तीय आस्तियाँ जिनका मूल्यन उचित मूल्य पर किया जाता है.

ii) परिभाषित अनुलाभ योजनाएँ – योजना आस्तियों का मूल्यन उचित मूल्य पर किया जाता है

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गये हैं जो कंपनी की कामकाजी और प्रस्तुति मुद्रा है और सभी मूल्यों को निकटतम लाख में प्रस्तुत किया गया है, सिवाय जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए।

**वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति**

कंपनी तरलता के क्रम में अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत करती है। रिपोर्टिंग दिनांक से 12 महीनों के भीतर (वर्तमान) तथा रिपोर्टिंग दिनांक से 12 से अधिक महीने के बाद (ग़ैर वर्तमान) पुनर्प्राप्ति या निपटान के बारे में एक विश्लेषण नोट 34 में प्रस्तुत किया गया है।

## 3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### 3.1 राजस्व मान्यता

**मान्यता एवं माप:**

राजस्व को उस स्थिति में मान्यता दी जाती है जब राजस्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना होती है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ इकाई में प्रवाहित होंगे। राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य मूल्य के उचित मूल्य पर किया जाएगा।

**3.1.1 ब्याज आय:**

एफवीटीपीएल के रूप में मापी गयी या नामित लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय लिखतों के लिए ब्याज-आय प्रभावी ब्याज पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करके लाभ या हानि खाते में मानी गयी है। एफवीटीपीएल के रूप में मापी गयी वित्तीय लिखतों पर ब्याज अवधि के दौरान उचित मूल्य कें उतारचढाव में ही शामिल है।

ब्याज आय की गणना गैर-क्रेडिट विकृत वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि (यथा, किसी भी अपेक्षित ऋण हानि संभावना के लिए समायोजित करने से पहले वित्तीय परिसंपत्ति की परिशोधित लागत पर) ईआईआर को लागू करके की जाती है। क्रेडिट-विकृत वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ब्याज आय की गणना क्रेडिट-विकृत वित्तीय परिसंपत्तियों (यानी सकल वहन राशि में से क्रेडिट जोखिम (ईसीएल) संभावना को कम कर के) ईआईआर को लागू करके की जाती है।

ईआईआर वह दर है जो वित्तीय लिखत की अवधि या जहां उपयुक्त हो उससे कम अवधि के लिए, वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि या वित्तीय देयता की परिमित लागत में अनुमानित भावी नकद भुगतान या प्राप्ति की राशि की छूट देता है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, वित्तीय लिखत की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और समान विकल्पों) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट घाटे पर विचार नहीं किया जाता।

तथापि, रूढिवादी दृष्टिकोण रखते हुए तथा यह देखते हुए कि यह व्यय है तथा इसलिए भी कि इसकी राशि महत्वपूर्ण नहीं है (कुल राजस्व और व्यय का 0.1%) मुद्रा द्वारा अपनी मूल कंपनी के साथ साझा की गई अपफ्रंट फीस भविष्य के ऋणों और अग्रिमों (इंड एएस के अंतर्गत वांछित) के भविष्य के जीवन के दौरान परिशोधित नहीं किया गया है।

## 3.2 कराधान

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग है।

**वर्तमान कर**

वर्तमान आयकर प्रभार की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अधिनियमित या सख्ती से लागू किए गए कर कानूनों के आधार पर की जाती है। कर योग्य लाभ लाभ और हानि विवरणी में दर्शाये गये 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न है क्योंकि इसमें आय या व्यय की मदों और अन्य वर्षों में कर-योग्य या कटौती-योग्य मदों तथा उन मदों को जो कभी कर-योग्य या कटौती-योग्य नहीं हैं-, के कारण है।

**आस्थगित कर**

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणियों में परिसंपत्तियों और देयताओं के वहन मूल्य और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए जाने वाले संबंधित कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के आधार पर माना गया है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर-योग्य अस्थायी अंतरों के लिए माना गया है।

आस्थगित कर आस्तियों को आम तौर पर सभी घटाए गए अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है।

यदि प्रारंभिक मान्यता (व्यापार संयोजन के अलावा) के कारण लेनदेन में परिसंपत्तियों और देनदारियों का अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करता है, तो ऐसे आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को नहीं माना जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे उस हद तक कम कर दिया जाता है कि संपत्ति के सभी या किसी भाग को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होना संभव न रहे.

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होना संभावित हो, जिसमें देयता का निस्तारण किया जा रहा हो, अथवा आस्ति की वसूली उन कर दरों (तथा कराधान कानून) के आधार पर की जा रही हो, जोकि तत्पश्चात अथवा रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लागू हो.

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप, कर परिणामों को दर्शाती है, जो कि इकाई की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि को वसूल करने या निपटाने के लिए अपेक्षित होती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं एक ही शासी कर कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं और इकाई के पास इस तरह के सेटऑफ को कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है।

एमएटी क्रेडिट अप्रयुक्त कर क्रेडिट के रूप में होते हैं जो इकाई द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि के लिये अग्रेनीत किये जाते हैं, अत: इन्हें आस्थगित कर आस्ति के साथ समूहित किया जाता है।

**वर्ष हेतु वर्तमान तथा आस्थगित कर**

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ या हानि के अंतर्गत माना जाता है, सिवाय जब वे उन वस्तुओं से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी के अंतर्गत मान लिया गया हो. ऐसी स्थिति में, वर्तमान और स्थगित कर को क्रमश: अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में सीधे मान लिया जाता है।

## 3.3 कर्मचारी अनुलाभ:

**मान्यता तथा मापन:**

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपेक्षित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में, अनुपस्थिति के मुआवजे की देनदारियों को आकलित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मार्केट यील्ड का उपयोग करके अनुलाभ में छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ हानि विवरणी में शामिल किया गया है।

**रोज़गारोपरांत दायित्व:**

कंपनी निम्नलिखित रोजगारोपरांत योजनाओं का संचालन करती है:

(ए) निर्धारित अनुलाभ योजना जैसे कि ग्रेच्युटी और पेंशन दायित्व.

(बी) सेवानिवृत्ति योजना, भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

**ग्रेच्युटी:**

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का अंतर की राशि होती है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है।

परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बांडों पर बाजार के प्रतिलाभ के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देने पर निर्धारित होता है, जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होते हैं।

शुद्ध ब्याज लागत की गणना परिभाषित लाभ दायित्व के निवल शेष और योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर को लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ हानि विवरणी में कर्मचारी अनुलाभ व्यय में शामिल है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को सीधे अन्य व्यापक आय में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

**परिभाषित योगदान योजनाएँ**

परिभाषित योगदान योजनाएं जैसे कि सेवानिवृत्ति योजना, भविष्य निधि को एक व्यय के रूप में लाभ हानि विवरणी में प्रभरित किया जाता है, जब एक कर्मचारी संबंधित सेवाओं को प्रदान करता है। यदि तुलनपत्र की तारीख से पहले प्राप्त की गई सेवा के लिए देय योगदान, पहले से भुगतान किए गए योगदान से अधिक है, तो पहले से ही भुगतान किए गए योगदान में कटौती के बाद योजना के लिए देय घाटे को देयता के रूप में मान्यता दी गई है। यदि तुलनपत्र की तारीख से पहले प्राप्त सेवाओं के कारण पहले से भुगतान किया गया योगदान देय योगदान से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

वर्तमान में, दो कर्मचारियों को छोड़कर जोकि अनुबंध के आधार पर कंपनी के पेरोल पर हैं, अन्य कोई भी कर्मचारी नहीं है जो जिसके लिए रोजगारोपरांत लाभ लागू नहीं हैं।

## 3.4 संपत्ति, सन्यंत्र एवं उपकरण

**मान्यता तथा परिमापन:**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को आस्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि यह संभावित है कि भविष्य में आर्थिक

लाभ इकाई में प्रवाहित होते हैं और लागत क विश्वसनीय परिमापन किया जा सकता है। फ्रीहोल्ड भूमि की लागत का निर्धारण ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अन्य सभी वस्तुओं का परिमापन ऐतिहासिक लागत में से मूल्यह्रास और क्षति हानि घटाकर किया जाता है। वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए किये गये सीधे व्यय को ऐतिहासिक लागत माना जाता है। लागत में व्यापार-छूट/रियायत को घटाकर गैर-वापसी योग्य करों और कर्तव्यों सहित खरीद मूल्य तथा संपत्ति को अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे वहन की गई लागत और वस्तु को हटाने और उस स्थान पर पुनर्स्थापित करने की लागत जहाँ वह स्थित है, की प्रारंभिक अनुमानित लागत भी शामिल है।

परवर्ती लागतों को अस्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या जब उचित हो, एक अलग आस्ति के रूप में पहचाना जाता है, यदि तभी उक्त मद आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलना संभावित हो और मद की लागत का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सकता है।

अलग-अलग आस्ति के रूप में रखी गई आस्ति की स्थिति में बदलाव आने पर इसके मूल्य को अमान्य कर दिया जाता है. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ हानि विवरणी के लिए अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क लिया जाता है जिस अवधि में वे खर्च किए जाते हैं।

**संक्रमण तिथि:**

संस्था ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्य को 1 अप्रैल, 2017 (संक्रमण तिथि) के रूप में मान्यता देने के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार मापा है और इस तरह के वहन मूल्य को संक्रमण के रूप में उपयोग किया जाता है।

**मूल्यह्रास विधि, अनुमानित उपयोगी अवधि और अवशिष्ट मूल्य**

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी अवधि के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर लगाया गया है, जहां उपयोगी अवधि का प्रबंधन अनुमान अलग है। जब संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है तो मूल्यह्रास शुरू होता है।

₹ 5,000/- या उससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को एक वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया गया है।

आस्ति के विभिन्न वर्गों के लिए मूल्यह्रास की गणना के लिए माना जाने वाली उपयोगी अवधि निम्नानुसार है-

| आस्ति वर्ग | उपयोगी अवधि |
|---|---|
| कार्यालय उपकरण | 5 वर्ष |
| कम्प्यूटर हार्डवेयर | 3 वर्ष |
| विद्युतीय संस्थापन | 10 वर्ष |

यदि आस्ति की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो आस्ति की वहन राशि तुरंत उसकी पुनर्प्राप्ति योग्य राशि तक लिखी जाती है।

निस्तारण पर लाभ और हानि का आकलन वसूल की गई राशि की तुलना वहन राशि के साथ करके किया जाता है. ये लाभ या हानि के रूप में अन्य आय या अन्य खर्चों में शामिल किया जाता है, जैसा कि लागू हो।

## 3.5 अमूर्त आस्तियाँ

कंपनी द्वारा अधिग्रहित अमूर्त आस्तियाँ जिनकी उपयोगी अवधि परिमित होती है, का आकलन लागत मूल्य में से संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि को घटाकर मापा जाता है। लागत में ऐसे व्यय शामिल हैं जो अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे व्हन किये गये हैं।

**संक्रमण तिथि:**

इंड एएस में स्न्क्रमण की तारीख को संस्था ने अपनी सभी अमूर्त आस्तियों के मूल्य को 1 अप्रैल, 2017 (संक्रमण तिथि) के रूप में मान्यता देने के लिए पिछले जीएएपी के अनुसार मापा है और इस तरह के वहन मूल्य को संक्रमण के रूप में उपयोग किया गया है।

**परिशोधन:**

अमूर्त आस्तियों का परिशोधन अनुमानित उपयोगी अवधि कई आधार पर सीधी रेखा विधि के अनुसार किया जाता है। परिशोधन और उपयोगी अवधि विधि की समीक्षा प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संभावित आधार पर किए जाने वाले अनुमान में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव से की जाती है।

अमूर्त आस्ति के विभिन्न वर्गों के लिए परिशोधन हेतु परिमित उपयोगी अवधि निम्नानुसार हैं-

| आस्ति वर्ग | उपयोगी अवधि |
|---|---|
| कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | 3 वर्ष |

एक अमूर्त आस्ति कै कालातीत होने या निपटान से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ हानि विवरणी में आय या व्यय के रूप में माना जाता है।

## 3.6 उधार लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागत जो कि अर्हक आस्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे वहन की जाती है, उस समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत होती है जिसमें आस्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए पूरा करना और तैयार करना आवश्यक होता है। अर्हक आस्ति वे आस्तियाँ हैं जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती हैं। अन्य उधार लागत उस अवधि में खर्च की जाती है जिसमें वे वहन की जाती हैं। उधार से संबंधित लेनदेन लागत को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के तहत माना जाता है।

## 3.7 ग़ैर वित्तीय आस्तियों की दुर्बलता:

इकाई के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करे कि क्या सभी आस्तियों के लिए कोई दुर्बलता का संकेत है। यदि आस्ति दुर्बल है, तो इकाई को आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाने की आवश्यकता है। दुर्बलता हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी आस्ति की वसूली योग्य राशि उसकी वहन राशि से कम हो। वसूली योग्य राशि और वहन राशि के बीच का अंतर लाभ और हानि लेखा विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यदि दुर्बलता का संकेत है, तो प्रत्येक आस्ति के लिए वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाएगा और अगर प्रत्येक आस्ति के लिये वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो इकाई द्वारा नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का निर्धारण किया जाएगा, जिसके पास आस्ति है।

## 3.8 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

**प्रावधान**

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, तो वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके प्रावधानों में छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, विशिष्ट दायित्व के लिए जोखिम,दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

कंपनी द्वारा अनुबंध के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत अनुबंध से संभावित लाभ से कम होने पर, भारित अनुबंधों के प्रावधान को मान्यता दी जाती है। अनुबंध को समाप्त करने की अपेक्षित लागत के कम मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की अपेक्षित शुद्ध लागत के वर्तमान मूल्य पर प्रावधान का मूल्यांकन किया जाता है। किसी प्रावधान के स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी आस्तियों पर किसी भी तरह के नुकसान की पहचान करती है।

**आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ**

आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिनके अस्तित्व की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से परे एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटने अथवा ना घटने से होगी या एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभावित नहीं है दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। आकस्मिक देयता अत्यंत दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होती है, जहां एक देयता है जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती है क्योंकि इसका विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। कंपनी उस आकस्मिक देयता को नहीं मानती लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का

खुलासा करती है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है, तो वित्तीय विवरणियों में इसका प्रकटन किया जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक संपत्ति और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है।

## 3.9 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरणी में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्षों में नकदी, संस्थाओं के साथ मांग जमा, कॉर्पोरेट जमा और अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ होते हैं जो आसानी से ज्ञात करने के लिए परिवर्तनीय हैं नकदी की मात्रा और जो मूल्य में परिवर्तन के एक नगण्य जोखिम के अधीन हैं, शामिल है।

## 3.10 वित्तीय लिखतें

एक वित्तीय लिखत कोई भी ऐसा अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय आस्ति और वित्तीय देयता या किसी अन्य इकाई के इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

### 3.10.1 वित्तीय आस्तियाँ:

***(i) वर्गीकरण, मान्यता तथा परिमापन:***

वित्तीय आस्तियों को मान्यता तब दी जाती है जब इकाई लिखत के अनुबंध संबंधी प्रावधानों के लिए एक पक्ष बन जाती है।

इकाई अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नांकित परिमापन श्रेणियों में करती है:

ए) जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जा सकता है (या तो अन्य व्यापक आय के माध्यम से, या लाभ या हानि के माध्यम से), और

बी) जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाना है।

वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई के व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है और इस बात पर भी निर्भर कर्ता है कि क्या वित्तीय आस्तियों के अनुबंध की शर्तें निर्दिष्ट नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज का भुगतान बकाया हैं।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित आस्ति के लिए लाभ और हानि या तो लाभ या हानि या अन्य व्यापक आय में दर्ज किये जाएँगे। ऋण लिखतों में निवेश के लिए, यह उस बिजनेस मॉडल पर निर्भर करेगा जिसमें निवेश होता है। इक्विटी लिखतों में निवेश के लिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इकाई ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश के लिए खाते में प्रारंभिक मान्यता के समय एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

**प्रारम्भिक मान्यता:**

सभी वित्तीय आस्तियों को प्रारम्भिक तौर पर उचित मूल्य पर माना जाता है और उन लिखतों के लिए जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल में नहीं मापा जाता है, प्लस/माइनस लेनदेन लागत जो कि वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।

**परवर्ती परिमापन:**

| लिखत की प्रकृति | वर्गीकरण | वर्गीकरण की युक्तिसंगतता | परवर्ती परिमापन |
|---|---|---|---|
| ऋण लिखतें | परिशोधित लागत | संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाने वाली आस्तियाँ, जो नकदी प्रवाह मूल रूप से मूलराशि तथा मूल राशि पर ब्याज के भुगतानों से संबंधित हैं, को परिशोधन लागत पर मापा जाता है। | प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत की गणना की जाती है, जिसमें ब्याज आय, लेनदेन की लागत और छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम शामिल होता है। ईआईआर परिशोधन वित्तीय आय में शामिल है। अमूर्त लागत पर मापी गई वित्तीय लिखत की व्युत्पत्ति पर लाभ और हानि को लाभ हानि खाते में मान्यता प्रदान की गई है। |
| | अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई) | संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय आस्तियों को बेचने के लिए रखी जाने वाली आस्तियाँ, जहाँ आस्तियों का नकदी प्रवाह मूल रूप से मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करता है, को एफवीओसीआई में मापा जाता है। | ऐसे उपकरणों के वहन मूल्य में परिवर्तन ओसीआई में क्षतिजनित हानि, ब्याज आय (लेनदेन लागत और छूट या प्रीमियम पर प्रीमियम सहित) और विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को छोड़कर दर्ज किए जाते हैं जो आय विवरण में मान्यता प्राप्त है। ब्याज आय, लेन-देन की लागत और अधिग्रहण पर छूट या प्रीमियम को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके आय विवरणी (वित्त आय) में मान्यता दी जाती है। एफवीओसीआई में मापी गई वित्तीय आस्तियों की व्युत्पत्ति पर, ओसीआई में पहले से मानी गई संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि खाते में अन्य लाभ और हानि शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। |
| | लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) | वे आस्तियाँ जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। ऋण लिखत पर प्रतिलाभ और नुकसान, जोकि किसी हेजिंग संबंध का हिस्सा नहीं होता है उसे उस अवधि के लिये जिसमें यह वहन किया गया हो, को बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। | ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव को आय विवरण में उस अवधि में अन्य लाभ/(हानि) के रूप में दर्ज किए जाते हैं, जिसमें यह उत्पन्न होते हैं।<br><br>इन वित्तीय आस्तियों से होने वाली ब्याज आय को वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। |

| लिखत की प्रकृति | वर्गीकरण | वर्गीकरण की युक्तिसंगतता | परवर्ती परिमापन |
|---|---|---|---|
| इक्विटी लिखतें | एफवीओसीआई | अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी निवेश (लिखत लिखत के आधार पर) के लिए प्रारंभिक मान्यता के समय कंपनी के प्रबंधन ने एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है। यदि व्यापार के लिए इक्विटी निवेश किया जाता है तो यह चुनाव मान्य नहीं रहेगा। उक्त वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है। | ऐसी लिखतों के उचित मूल्य में बदलाव ओसीआई में अभिलिखित किये जाते हैं।<br><br>ऐसी लिखतों के निस्तारण पर किसी भी राशि को आय विवरणी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता. एफवीओसीआई पर मापे गये इक्विटी निवेश संबंधी क्षति घाटा (तथा क्षति घाटे का विपर्यय) उचित मूल्य में बदलाव से अलग रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं<br><br>तथापि ऐसी लिखतों से होने वाली लाभांश आय को आय विवरणी में अभिलिखित किया जाता है। |
| | एफवीटीपीएल | जब ऐसा कोई चुनाव नहीं किया जाता है, तो इक्विटी उपकरणों को एफवीटीपीएल में मापा जाता है। | ऐसी आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन आय विवरण में दर्ज किए जाते हैं। |

***(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करना:***

किसी वित्तीय आस्ति को तभी अमान्य किया जाता है जब कि-

(ए) इकाई ने वित्तीय आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित किया है या

(बी) वित्तीय आस्ति के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है।

जहाँ इकाई एक आस्ति को अंतरित करती है तो इकाई को यह मूल्यांकन करना होता है कि क्या इसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और अनुलाभों को पर्याप्त रूप से अंतरित कर दिया है अथवा नहीं. ऐसे मामलों में, वित्तीय आस्ति को निरस्त कर दिया जाता है। जहां इकाई ने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और अनुलाभो को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं किया है, उस स्थिति में उक्त वित्तीय आस्ति को निरस्त नहीं किया जाता है।

जहाँ इकाई ने न तो वित्तीय आस्ति को अंतरित किया है और न ही वित्तीय जोखिम के स्वामित्व के सभी जोखिमों और अनुलाभों को पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, अगर वित्तीय आस्ति पर अपना नियंत्रण नहीं रखा है, तो वित्तीय आस्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। जहां इकाई वित्तीय आस्ति का नियंत्रण बनाए रखा है, तो वित्तीय आस्ति में निरंतर भागीदारी की सीमा तक आस्ति को मान्यता दी जाती है।

***(ii) विदेशी मुद्रा विनिमय से लाभ या हानि:***

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित वित्तीय आस्तियों का उचित मूल्य उस विदेशी मुद्रा में निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्पॉट दर पर अनुवादित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा के लिए परिशोधित लागत और एफवीटीओएल पर परिकलित वित्तीय आस्तियों के लिए, विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय उनके जो हेजिंग संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में नामित होते हैं।

विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से संबंधित एफवीटीओसीआई में इक्विटी लिखतों में निवेश

की वहन राशि में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को पहचानने के उद्देश्य से, एफवीटीओसीआई ऋण लिखतों को वित्तीय आस्ति के रूप में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इस प्रकार, परिशोधित लागत पर विनिमय अंतर को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है और एफवीओटीओआई वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

**3.10.2 वित्तीय देयताएँ तथा ईक्विटी लिखतें:**

इकाई द्वारा जारी की गई ऋण और इक्विटी लिखतों को वित्तीय देनदारियों के रूप में या संविदात्मक व्यवस्था के पदार्थ और एक वित्तीय देयता और एक इक्विटी लिखत की परिभाषा के अनुसार इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

***वर्गीकरण, मान्यता तथा परिमापन:***

*(ए) इक्विटी लिखतें:*

इक्विटी लिखत एक अनुबंध है जो किसी इकाई की आस्तियों में अपनी सभी देनदारियों में कटौती के बाद एक अवशिष्ट ब्याज का प्रमाण देता है। इकाई द्वारा जारी किए गए इक्विटी लिखतों को प्राप्त आय में से प्रत्यक्ष निर्गम लागतों को घटाकर शुद्ध मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

*(बी) वित्तीय देयताएँ:*

**आरम्भिक मान्यता तथा परिमापन:**

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य तथा वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए किये गये लेनदेन की लागत पर मान्यता दी जाती है. इसमें एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को नहीं जोड़ा जाता जिन्हें उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है।

**परवर्ती परिमापन:**

वित्तीय देनदारियों को परवर्ती परिमापन के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित लागत पर
- लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर

**(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियाँ:**

वित्तीय देनदारियों के लिए बढ़ी हुई लागत उस राशि का प्रतिनिधित्व करती है जिस पर प्रारंभिक दायित्व और मूल राशि के बीच किसी भी अंतर के प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए वित्तीय मान्यता को प्रारंभिक मान्यता ऋणों के मूल पुनर्भुगतान, प्लस या माइनस संचयी परिशोधन मूल्य पर मापा जाता है।

**(ii) लाभ या हानि के द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ:**

व्यापार के लिए रखी गयी वित्तीय देनदारियों को एफवीटीपीएल पर मापा जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है। लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध लाभ या हानि वित्तीय देयता पर भुगतान किए गए किसी भी ब्याज को शामिल करती है।

***मान्यता निरस्त करना:***

जब किसी देयता का निर्वहन हो जाता है, या वह रद्द हो जाता है, या समाप्त हो जाता है तो उस वित्तीय देयता को तुलनपत्र से हटा दिया जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अलग-अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की व्युत्पत्ति और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। इसके फलस्वरूप वहन राशि में आने वाले अंतर को लाभ हानि विवरणी में मान्यता दी गई है।

*(सी) वित्तीय गारंटी संविदा:*

इकाई द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिसमें धारक को एक नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए किए जाने वाले भुगतान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उक्त निर्दिष्ट देनदार ऋण लिखत की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंध को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में पहचाना जाता है, लेनदेन लागतों के लिए समायोजित किया जाता है जो गारंटी जारी करने के लिए वहन किये गये हैं। इसके बाद, दायित्व को इंडएएस 109 की

क्षति अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित क्षति की मात्रा के उच्च स्तर पर परिकलित किया जाता है और इसमे संचयी परिशोधन को घटाकर मान्यता दी जाती है।

**3.10.3 वित्तीय आस्तियों की क्षति:**

इंडएएस 109 के अनुसार, इकाई निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और क्रेडिट जोखिम क़े लिये क्षति हानि के आकलन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- वित्तीय आस्तियाँ परिशोधित लागत पर, जैसे, अग्रिम, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा और इकाई शेष
- वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण लिखत हैं और एफवीटीओसीआई के रूप में मापी जाती हैं
- ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है, वित्तीय गारंटी अनुबंध जो एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है

ईसीएल सभी संविदात्मक नकदी प्रवाह जो कि अनुबंध के अनुसार इकाई के कारण होता है और सभी नकदी प्रवाह जो इकाई को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं (यानी, सभी नकदी की कमी), मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है के बीच का अंतर है। नकदी प्रवाह का आकलन करते समय, इकाई को निम्नांकित पर विचार करना आवश्यक है:

- वित्तीय लिखत की अपेक्षित अवधि पर वित्तीय लिखत (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्पों सहित) के सभी संविदा शर्तें। हालांकि, दुर्लभ मामलों में जब वित्तीय लिखत की अपेक्षित अवधि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इकाई को वित्तीय लिखत की शेष संविदा शर्तों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है
- नकद संपार्श्विक की बिक्री या अन्य क्रेडिट संवर्द्धन की बिक्री से आने वाला नकदी प्रवाह जो अनुबंध की शर्तों से अभिन्न है

लागू की गई विकृति पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। सामान्य तौर पर, यह माना जाता है कि भुगतान को प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है यदि भुगतान देय होने के 30 दिनों से अधिक हैं। संपूर्ण परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर एंटिटी डिफ़ॉल्ट की संभावना पर विचार करती है और क्या पूरे रिपोर्टिंग अवधि में निरंतर आधार पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इकाई परिसंपत्ति पर होने वाली डिफ़ॉल्ट के जोखिम की तुलना रिपोर्टिंग तिथि पर डिफ़ॉल्ट के जोखिम के साथ प्रारंभिक मान्यता की तारीख के रूप में करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषण दिखने वाली जानकारी पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं:

- आंतरिक क्रेडिट रेटिंग
- बाहरी क्रेडिट रेटिंग (जहाँ तक उपलब्ध है)
- व्यवसाय, वित्तीय या आर्थिक परिस्थितियों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन, जो अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उधारकर्ता की क्षमता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन सकता है।
- उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में वास्तविक या अपेक्षित महत्वपूर्ण परिवर्तन
- समान उधारकर्ता के अन्य वित्तीय साधनों पर ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि
- दायित्व का समर्थन करने वाले संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन या तीसरे पक्ष की गारंटी या क्रेडिट संवर्द्धन की गुणवत्ता में
- उधारकर्ता के अपेक्षित प्रदर्शन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, समूह में उधारकर्ताओं की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सहित।

12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर हानि भत्ता मान्य है, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता (स्टेज 1) के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है। यह राशि अगले 12 महीनों के भीतर संभव होने वाली चूक की घटनाओं से होने वाली अपेक्षित ऋण हानि का प्रतिनिधित्व करती है। ब्याज राजस्व की गणना स्टेज 1 में वित्तीय आस्तियों के लिए सकल वहन राशि पर की जाती है।

वित्तीय आस्तियों की शेष अवधि ('आजीवन अपेक्षित नुकसान') पर क्रेडिट घाटे को मान्यता दी जाती है जिन्हें क्रेडिट जोखिम (स्टेज 2) में महत्वपूर्ण वृद्धि माना जाता है और वित्तीय आस्तियों के लिए जो रिपोर्टिंग तिथि (चरण 3) में खराब होती हैं)। आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटा वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवन पर संभावित चूक की सभी घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यदि अदायगी में 30 दिनों का विलम्ब हुआ है तो वित्तीय अस्तियों को स्टेज 2 में स्थानांतरित किया जाएगा। ब्याज राजस्व की गणना स्टेज 2 में वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सकल वहन राशि पर की जाती है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड वित्तीय आस्तियों के लिए स्टेज 3 की ओर बढ़ने की प्राथमिक परिभाषा के रूप में इकाई चूक की निम्नलिखित परिभाषा पर विचार करती है।

- इकाई के लिए किसी भी भौतिक ऋण दायित्व पर 90 दिनों से अधिक समय तक उधारकर्ता ने विलम्ब किया है
- उधारकर्ता समूह द्वारा अपने क्रेडिट दायित्वों का पूर्ण रूप से भुगतान करने की संभावना नहीं है।

एक वित्तीय आस्ति को क्रेडिट-इम्पेयर्ड तब माना जाता है जब वित्तीय आस्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर एक या एक से अधिक घटनाओं का हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

- उधारकर्ता या जारीकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- अनुबंध का उल्लंघन जैसे कि चूक या विलंबित भुगतान की घटना
- उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या संविदात्मक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऋणदाता के द्वारा, ऐसी रियायत दी गई है जिसपर ऋणदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए एक सक्रिय बाजार का गायब होना
- गहरी छूट पर वित्तीय आस्ति की खरीद, जो उठाए गए क्रेडिट घाटे को दर्शाता है।

क्रेडिट इम्पेयर्ड आस्तियोंस में चूक की गई आस्ति के साथ-साथ अन्य गैर-चूक की गई आस्तियाँ भी शामिल होंगी, जिनमें दी गई क्रेडिट की परिभाषा चूक की परिभाषा से अधिक व्यापक हो।

ब्याज राजस्व की गणना केवल क्रेडिट-इम्पेयर्ड वित्तीय अस्तियोंस के लिए वहन शुद्ध राशि पर की जाती है।

प्रत्याशित ऋण नुकसान को मापने के लिए वृहद-आर्थिक कारकों सहित अग्रेषित जानकारी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

व्यापक आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन, बाजार ब्याज दर या वृद्धि दर) को आंतरिक रेटिंग मॉडल के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

**मुख्य अवधारणाएं और प्रबंधन निर्णय:**

- प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि
- अग्रेषित करने वाली जानकारी
- चूक और क्रेडिट इम्पेयर्ड आस्ति की परिभाषा
- अपेक्षित अवधि
- मॉडलिंग तकनीक

**ख़रीदी गई या मूलत: उत्पन्न क्रेडिट इम्पेयर्ड वित्तीय आस्तियाँ (पीओसीआई)**

पीओसीआई वित्तीय आस्तियाँ आरम्भिक पहचान की तारीख से क्रेडिट इम्पेयर्ड मानी जाती हैं।

ऐसी आस्तियों के लिये इकाई को आरम्भिक पहचान की तारीख से ही घाटा प्रावधान रखना पडता है जिसे लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है. ऐसी आस्तियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन इम्पेयर्मेंट लाभ में परिणत होता है।

### 3.11 उचित मूल्य परिमापन:

इकाई वित्तीय लिखतों, जैसे कि उचित मूल्य पर कुछ निवेश, कों प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को मापती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी आस्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा तथा माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में जिसका भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान के आधार पर होता है कि आस्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन निम्नांकित विधि से होता है:

- आस्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में आस्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में, ।

प्रमुख या सबसे अधिक लाभकारी बाजार इकाई के लिये सुलभ होना चाहिए।

किसी आस्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागियों द्वारा आस्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग किया जाएगा, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

सभी आस्तियाँ और देयताएं जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किए गए हैं, इस प्रकार वर्णित हैं, न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान संपत्ति या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य है
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अप्राप्य है

### 3.12 व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें:

व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें जैसे कि फॉर्वर्ड अनुबंधों को कंपनी द्वारा अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए लिया जाता है, आरंभिक रूप से उचित मूल्य पर उस तिथि को मान्यता दी जाती है जिस दिन व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और बाद में लाभ और हानि की अवधि में जब वे उठते हैं तब उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ (बचाव लेखांकन के मामले में अन्य) उनके उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है।

### 3.13 वित्तीय लिखतों को बंद करना:

वित्तीय आस्तियों और देयताओं को बंद करके उनकी शुद्ध राशि को तुलनपत्र में सूचित किया जाता है जहां मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और शुद्ध आधार पर समझौता करने या आस्ति कि वसूली और देयता का निपटान एक साथ करने का इरादा है। कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और व्यापार के सामान्य क्रम में और इकाई या प्रतिपक्ष के चूक करने, दिवालिया या दिवालियापन की स्थिति में लागू होना चाहिए।

### 3.14 सेगमेंट रिपोर्टिंग:

परिचालन सेगमेंट को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप सूचित किया जाता है। मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय सेगमेंट के संचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। सेगमेंट प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान उत्पादों/ सेवाओं की प्रकृति के आधार पर की गई है।

### 3.15 लाभांश

अंतिम लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन पर लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य होता है। अंतरिम लाभांश को इकाई के निदेशक मंडल की घोषणा की तारीख पर एक दायित्व के रूप में दर्ज किया जाता है.

### 3.16 प्रति शेयर आय:

**प्रति शेयर आधारभूत आय**

प्रति शेयर मूल आय की गणना निम्नांकित को विभाजित करके की जाती है:

- कंपनी के मालिकों के प्रयासों से हुआ लाभ
- वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से।

**प्रति शेयर कम की गई आमदनी**

प्रति शेयर आय को कम करने के लिए बुनियादी आय के निर्धारण में उपयोग किए गए आंकड़ों में निम्नांकित को गणना में शामिल करते हुए समायोजित किया गया है:

- ब्याज संभावित आय वाले शेयरों से जुड़े ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागतों के आयकर प्रभाव के बाद, और
- सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण को गणना में शामिल करते हुए अतिरिक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या ।

## 3.17 महत्वपूर्ण लेखा अनुमान, निर्णय और धारणाएं:

इंडएएस के अनुरूप इकाई की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, आस्तियों और देयताओं और साथ आने वाले खुलासे और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित आस्तियों या देयताओं की वहन राशि के लिए महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है। अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और विभिन्न अन्य कारकों पर आधारित हैं, जो माना जाता है कि वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के समय मौजूदा परिस्थितियों में लागू होती हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस वर्ष में मान्यता प्राप्त है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य में किसी भी वर्ष प्रभावित होते हैं।

इकाई की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय किए हैं जो वित्तीय स्थिति में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं:

ए. **सम्पत्ति, सन्यंत्र तथा उपकरणों की उपयोगी अवधि:** मूर्त आस्तियों की अनुमानित उपयोगी अवधि का निर्धारण और मूल्यांकन जो लागत के घटकों को पूंजीकृत करके किया जा सकता है। मूर्त आस्तियों की उपयोगी अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट जीवन पर आधारित है और कुछ श्रेणियों की संपत्ति के लिए प्रबंधन अनुमान के अनुसार भी है। जब आस्ति का पूँजीकरण किया जा सकता है और आस्तियों की लागत के किन घटकों को पूँजीकृत किया जा सकता है, इसका आकलन करते समय, अनुमान भी लगाना पड़ता है।

बी. **परिभाषित अनुलाभ योजना:** परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न मान्यताओं को शामिल किया जाता है जो भविष्य में वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

सी. **उन खातों के लिए अनुमन्य प्राप्य और अग्रिम जिनकी वसूली नहीं हुई है:** इम्पेयरमेंट प्रत्याशित क्रेडिट हानि मॉडल पर किया जाता है, जो वित्तीय आस्तियों की अपेक्षित अवधि पर नकदी की कमी का वर्तमान मूल्य है। वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान चूक और अपेक्षित क्षति दरों के जोखिम के बारे में धारणा पर आधारित हैं। इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने का निर्णय पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानों पर आधारित है।

डी. **आकस्मिकताएँ:** संसाधनों के संभावित बहिर्वाह, यदि कोई हो तो, का आकलन करने के लिए प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जोकि इकाई के खिलाफ आकस्मिकता/दावे/मुकदमेबाजी के संबंध में हो सकता है क्योंकि सटीकता के साथ लंबित मामलों के परिणाम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

## 3.18 विवेकपूर्ण मानदंड:

कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFI) के रूप में पंजीकृत है तथा निरंतर एक ऋण कंपनी के रूप में वर्गीकृत है और इसलिए सिस्टमेटिक रूप से महत्वपूर्ण नॉन-डिपोजिट टेकिंग कंपनियों के लिए इसकी एनबीएफसी गतिविधियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या होल्डिंग) कंपनियों पर लागू आवश्यक प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिज़र्व बैंक) के निर्देशों, 2007 का अनुपालन करना आवश्यक है। अनर्जक आस्तियों के लिये गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या होल्डिंग) कंपनियों प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिजर्व बैंक) के निर्देशों, 2007 के अनुसार न्यूनतम प्रावधान के किया जाता है हैं।

## 3.19 इंडएएस मानक अभी अधिसूचित नहीं:

मानकों के संशोधनों का जोकि जारी किए गए हैं लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं, इकाई के वित्तीय विवरणियों को जारी करने की तारीख तक प्रकटन किया गया है। जब वे प्रभावी हो जाते हैं, तो इकाई इन मानकों को अपनाने का इरादा रखती है।

**1. इंडएएस 116 "लीज़":**

30 मार्च 2019 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंडएएस 116 लीज़ेस को अधिसूचित किया है। इंड एएस 116 लीज़ेस मौजूदा पट्टों मानक इंड ए एस 17 और संबंधित व्याख्याओं की जगह लेगा। उक्त मानक दोनों पक्षों को अनुबंध के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है, यानी पट्टादाता और पट्टेदार। इंड एएस 116 एक एकल पट्टेदार लेखा मॉडल है और बारह महीने से अधिक की अवधि वाले सभी पट्टों के लिए आस्तियों और देयताओं को पहचानने के लिए एक पट्टेदार की आवश्यकता होती है, जब तक कि अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य का न हो। वर्तमान में, लाभ और हानि के बयान के लिए परिचालन पट्टे का खर्च लिया जाता है। मानक में पट्टेदारों के लिए संवर्धित प्रकटीकरण आवश्यकताएँ भी शामिल हैं. 116 इंडएएस के रूप में इंडएएस 17 इंडएएस में पट्टादाता के लिये कम लेखांकन आवश्यकताओं को आगे बढ़ाता है।

इंड एएस 116 को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वर्तमान में, कंपनी के साथ पट्टेदार या पट्टेदार के रूप में कोई लीज समझौता नहीं है।

**इंडएएस 12 परिशिष्ट सी, आयकर व्यवहार के विषय में अनिश्चितता:**

30 मार्च, 2019 को, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इंड 12 परिशिष्ट सी, आयकर व्यवहार के बारे में अनिश्चितता के रूप में अधिसूचित किया है, जो कर योग्य लाभ (या हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर घाटे, अप्रयुक्त कर क्रेडिट के निर्धारण का प्रदर्शन करते समय लागू किया जाना है और इंड ए एस 12 के तहत आयकर कर की दरों में अनिश्चितता होती है। परिशिष्ट के अनुसार, कंपनियों को प्रत्येक कर व्यवहार, या कर व्यवहार के समूह को स्वीकार करने वाले प्रासंगिक कर प्राधिकरण की संभावना निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जिसका कंपनियों ने उपयोग किया है या उनकी आयकर फाइलिंग में उपयोग करने की योजना, जो कर योग्य लाभ (कर नुकसान), कर आधार, अप्रयुक्त कर नुकसान, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों का निर्धारण करते समय कर उपचार की सबसे अधिक संभावना राशि या अपेक्षित मूल्य की गणना करने के लिए माना जाता है।

इंड एएस 12 परिशिष्ट सी को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी वर्तमान में स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणियों पर इस संशोधन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

**इंडएएस 12 में संशोधन - आय कर:**

30 मार्च, 2019 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने लाभांश वितरण करों के लिए लेखांकन के संबंध में इंडएएस 12, 'आयकर' में मार्गदर्शन के लिए संशोधन जारी किए।

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या इक्विटी में लाभांश के आयकर परिणामों को पहचानती है जहां इकाई मूल रूप से उन पिछले लेनदेन या घटनाओं को मान्यता देती है।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी के ऊपर किए गए संशोधन का कोई प्रभाव संक्रमण तिथि पर नहीं है।

.

# वित्तीय विवरणियों पर नोट्स

## 4 नकदी तथा नकदी समतुल्य

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| हाथ में नकदी | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| बैंकों के पास शेष | 498.97 | 26.54 | 0.44 |
| 3 माह से कम परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियाँ | 1,70,553.50 | 3,72,361.44 | 40,273.59 |
| **योग** | **1,71,052.50** | **3,72,388.02** | **40,274.05** |

## 5 नकदी तथा नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| 3 माह से अधिक किंतु 12 माह तक की परिपक्वत वाली सावधि जमाराशियाँ | 3,08,055.20 | 1,10,390.31 | 1,74,260.44 |
| **योग** | **3,08,055.20** | **1,10,390.31** | **1,74,260.44** |

नोट: सावधि जमा पर निश्चित ब्याज दर पर ब्याज प्राप्त होता है।

## 6 ऋण तथा अग्रिम

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **आस्थगित लागत** | | | |
| **सावधि ऋण** | | | |
| (ए) बैंक-वित्तपोषक बैंकों द्वारा विश्वास पर धारित बही ऋणों के द्वारा प्रतिभूत | 9,41,576.50 | 8,12,342.99 | 4,47,251.20 |
| (बी) अल्प वित्त संस्थाएँ (एमएफआई)-एमएफआई के बही ऋणों के दृष्टिबंधन के द्वारा प्रतिभूत | 47,632.00 | 58,895.96 | 1,07,934.16 |
| (सी) ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)-एनबीएफसी के बही ऋणों के दृष्टिबंधन के द्वारा प्रतिभूत | 1,87,188.98 | 1,35,156.76 | 39,884.26 |
| पास थ्रू प्रमाणपत्र मे अंशदान (पी टी सी) | 9,235.45 | 49,992.09 | 16,232.15 |
| **सकल योग (ए)** | **11,85,632.93** | **10,56,387.81** | **6,11,301.78** |
| **घटाएँ: विपरीत प्रभाव घाटा अनुमन्य राशि** | (2,228.59) | (2,486.03) | (1,054.30) |
| **निवल योग (ए)** | **11,83,404.34** | **10,53,901.77** | **6,10,247.48** |
| (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत | - | - | - |
| (ii) अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत | 11,85,632.93 | 10,56,387.81 | 6,11,301.78 |
| (iii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित | - | - | - |
| (iv) प्रतिभूतिरहित | - | - | |
| **सकल योग (बी)** | **11,85,632.93** | **10,56,387.81** | **6,11,301.78** |
| **घटाएँ: विपरीत प्रभाव घाटा अनुमन्य राशि** | (2,228.59) | (2,486.03) | (1,054.30) |
| **निवल योग (बी)** | **11,83,404.34** | **10,53,901.77** | **6,10,247.48** |

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **भारत में प्रदत्त ऋण** | | | |
| (i) सार्वजनिक क्षेत्र | 8,67,197.90 | 8,12,299.32 | 4,46,732.11 |
| (ii) अन्य | 3,18,435.03 | 2,44,088.48 | 1,64,569.66 |
| **भारत से बाहर प्रदत्त ऋण** | | | - |
| **सकल योग (सी)** | **11,85,632.93** | **10,56,387.81** | **6,11,301.78** |
| घटाएँ: विपरीत प्रभाव घाटा अनुमन्य राशि | (2,228.59) | (2,486.03) | (1,054.30) |
| **निवल योग (सी)** | **11,83,404.34** | **10,53,901.77** | **6,10,247.48** |

* मुद्रा से पुनर्वित्त लेने वाले बैंकों द्वारा मुद्रा के साथ सामान्य पुनर्वित्त करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके अंतर्गत वे लिये गये पुनर्वित्त के लिये विश्वास पर प्रतिभूतियाँ धारित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

## 7 निवेश

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत पर किया गया निवेश** | | | |
| जमा प्रमाणपत्र - सिडबी | - | 12,821.23 | 6,400.61 |
| नैगम जमा | 28,500.00 | 88,027.38 | - |
| **सकल योग (ए)** | **28,500.00** | **1,00,848.61** | **6,400.61** |
| घटाएँ: विपरीत प्रभाव हेतु प्रावधान (देखें नोट 25) | (28,500.00) | (8.54) | |
| **निवल योग (ए)** | **-** | **1,00,840.08** | **6,400.61** |
| **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश (एफवीटीपीएल)** | | | |
| म्युचुअल निधियाँ (बी) | 40,040.37 | 75,209.54 | 1,73,281.15 |
| **योग (ए+बी)** | **40,040.37** | **1,76,049.62** | **1,79,681.76** |
| (i) भारत से बाहर निवेश | - | - | - |
| (ii) भारत में निवेश | 68,540.37 | 1,76,058.16 | 1,79,681.76 |
| **सकल योग (सी)** | **68,540.37** | **1,76,058.16** | **1,79,681.76** |
| घटाएँ: विपरीत प्रभाव घाटा अनुमन्य राशि | (28,500.00) | (8.54) | - |
| **निवल योग (सी)** | **40,040.37** | **1,76,049.62** | **1,79,681.76** |

## 8 अन्य वित्तीय आस्तियाँ

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| सावधि जमाओं पर प्राप्य ब्याज | 7,655.46 | 9,513.50 | 8,108.45 |
| अन्य ऋण एवं अग्रिम | 1,305.11 | 994.35 | 643.92 |
| **योग** | **8,960.57** | **10,507.84** | **8,752.37** |

## 9 कर आस्तियाँ/(देयताएँ)

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **कर आस्तियाँ** | | | |
| अग्रिम आयकर (प्रावधान के उपरांत निवल) | - | 247.31 | 749.71 |
| **कर देयताएँ** | | | |
| वर्तमान कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर के उपरांत निवल) | (473.40) | - | - |
| **योग** | **(473.40)** | **247.31** | **749.71** |

## 10 आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयताएँ) (निवल)

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **निम्न से संबंधित आस्थगित कर:** | | | |
| प्रारंभिक व्यय | 40.32 | 72.95 | 105.96 |
| ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की मान्यता | 186.66 | 190.26 | 240.65 |
| ऋण तथा अग्रिम पर प्रत्याशित ऋण हानि | 778.76 | 860.37 | 364.87 |
| निवेश पर विपरीत प्रभाव अनुमन्य राशि | 9,959.04 | 2.95 | - |
| **निम्नलिखित मदों हेतु आस्थगित कर देयता:** | | | |
| कर मूल्यह्रास तथा बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के बीच समयांतर | (0.06) | (1.34) | (1.95) |
| म्युचुअल निधियों का उचित मूल्यांकन | (14.11) | (37.91) | (28.96) |
| **न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) पात्रता हेतु क्रेडिट** | **-** | **-** | **-** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियाँ** | **10,950.61** | **1,087.28** | **680.57** |

## 10 (ए): आस्थगित कर आस्तियों/(देयताओं) का सारांश

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 1 अप्रैल, 2017 | लाभ एवं हानि में जमा /(प्रभारित) | यथा 31 मार्च, 2018 | लाभ एवं हानि में जमा /(प्रभारित) | यथा 31 मार्च, 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कर मूल्यह्रास तथा बहियों में प्रभारित मूल्यह्रास के बीच समयांतर** | **(1.95)** | **0.61** | **(1.34)** | **1.28** | **(0.06)** |
| ऋण तथा अग्रिम पर प्रत्याशित ऋण हानि | 364.87 | 495.50 | 860.37 | (81.61) | 778.76 |
| निवेशों पर विपरीत प्रभाव अनुमन्य राशि | - | 2.95 | 2.95 | 9,956.09 | 9,959.04 |
| म्युचुअल निधि का उचित मूल्यांकन | (28.96) | (8.95) | (37.91) | 23.80 | (14.11) |
| प्रारम्भिक व्यय | 105.96 | (33.01) | 72.95 | (32.63) | 40.32 |
| एआईआर मॉडल के अनुसार ऋणें अपफ्रंट शुल्क मान्यता | 240.65 | (50.39) | 190.26 | (3.60) | 186.66 |
| **न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) पात्रता हेतु क्रेडिट** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयताएँ)** | **680.57** | **406.70** | **1,087.28** | **9,863.34** | **10,950.61** |

## 11 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख)

| विवरण | कार्यालय उपकरण | कम्प्यूटर हार्डवेयर | विद्युतीय संस्थापन तथा उपकरण | योग |
|---|---|---|---|---|
| **यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु** | | | | |
| **सकल बही राशि** | | | | |
| यथा 1 अप्रैल, 2018 को लागत | 0.98 | 19.13 | 0.46 | 20.57 |
| परिग्रहीतियाँ | 0.20 | - | - | 0.20 |
| विक्रय | | | | |
| **यथा 31 मार्च, 2019 को सकल बही मूल्य** | 1.18 | 19.13 | 0.46 | 20.76 |
| | | | | |
| **संचित मूल्यह्रास** | | | | |
| यथा 1 अप्रैल, 2018 को संचित मूल्यह्रास | 0.28 | 5.46 | 0.05 | 5.78 |
| वर्ष के दौरान लगाया गया मूल्यह्रास | 0.29 | 6.86 | 0.05 | 7.20 |
| विक्रय | | | | |
| **यथा 31 मार्च, 2019 को उपचित मूल्यह्रास** | 0.57 | 12.31 | 0.10 | 12.98 |
| **यथा 31 मार्च, 2019 को निवल बही मूल्य** | **0.61** | **6.82** | **0.36** | **7.78** |
| | | | | |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि हेतु** | | | | |
| **सकल बही राशि** | | | | |
| यथा 01 अप्रैल, 2017 को स्वीकृत लागत | **0.98** | **10.84** | **0.46** | **12.28** |
| परिग्रहीतियाँ | | 8.29 | | 8.29 |
| विक्रय | | | | - |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को सकल बही मूल्य** | 0.98 | 19.13 | 0.46 | 20.57 |
| | | | | |
| **संचित मूल्यह्रास** | | | | |
| वर्ष के दौरान लगाया गया मूल्यह्रास | 0.28 | 5.46 | 0.05 | 5.78 |
| विक्रय | | | | |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को संचित मूल्यह्रास** | 0.28 | 5.46 | 0.05 | 5.78 |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को निवल बही मूल्य** | **0.70** | **13.67** | **0.41** | **14.79** |

## 12 अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ लाख)

| विवरण | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | योग |
|---|---|---|
| **यथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु** | | |
| **सकल बही राशि** | | |
| यथा 1 अप्रैल, 2018 को लागत | 4.91 | 4.91 |
| परिग्रहीतियाँ | - | |
| विक्रय | | |
| **यथा 31 मार्च, 2019 को सकल बही मूल्य** | **4.91** | **4.91** |
| | | |
| **संचित मूल्यह्रास** | | |
| यथा 1 अप्रैल, 2018 को संचित मूल्यह्रास | 1.59 | 1.59 |
| वर्ष के दौरान लगाया गया मूल्यह्रास | 1.90 | 1.90 |
| विक्रय | | |
| विपरीत प्रभाव के कारण हानि | | |
| **यथा 31 मार्च, 2019 को संचित मूल्यह्रास** | 3.49 | 3.49 |
| **यथा 31 मार्च, 2019 को निवल बही मूल्य** | **1.42** | **1.42** |
| | | |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि हेतु** | | |
| **सकल बही मूल्य** | | |
| यथा 01 अप्रैल, 2017 को स्वीकृत लागत | 3.06 | 3.06 |
| परिग्रहीतियाँ | 1.85 | 1.85 |
| विक्रय | | |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को सकल बही मूल्य** | **4.91** | **4.91** |
| | | |
| **संचित मूल्यह्रास** | | |
| वर्ष के दौरान लगाया हया मूल्यह्रास | 1.59 | 1.59 |
| विक्रय | | |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को संचित मूल्यह्रास** | 1.59 | 1.59 |
| **यथा 31 मार्च, 2018 को निवल बही मूल्य** | **3.32** | **3.32** |

## 13 अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| सांविधिक/शासकीय प्राधिकरणों के पास शेष | 1,068.62 | 768.63 | 0.00 |
| **योग** | **1,068.62** | **768.63** | **0.00** |

## 14 देय राशियाँ

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **व्यापार देनदारियाँ** | | | |
| सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशियाँ | - | - | - |
| सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों को छोडकर अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | - | - | - |
| **योग** | **-** | **-** | **-** |
| **अन्य देनदारियाँ** | | | |
| सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशियाँ | - | - | - |
| सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों को छोडकर अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि | 253.10 | 263.05 | 64.89 |
| **योग** | **253.10** | **263.05** | **64.89** |

**नोट (ए):** संबंधित पक्षों को देय राशियों हेतु, संदर्भ नोट 38

**नोट (बी):** ऐसी कोई एमएसएमई इकाइयाँ नहीं हैं जिन्हें वर्ष के दौरान देय किसी भी राशि का 45 दिनों से अधिक विलंब से भुगतान किया गया हो। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वाछित उक्त सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध आपूर्तिकर्ता के स्टेटस के आधार पर उक्त पक्षों की पहचान करके प्रस्तुत की गयी है। साथ ही, ऐसी किसी भी पक्ष को कोई बकाया ब्याज भी देय नहीं है।

## 15 जमाराशियाँ

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **परिशोधित लागत पर** | | | |
| बैंकों से | 15,00,000.00 | 15,00,000.00 | 8,12,500.00 |
| **योग** | **15,00,000.00** | **15,00,000.00** | **8,12,500.00** |

कंपनी ने किसी भी निदेशक/महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है. किसी भी निदेशक अथवा अन्य व्यक्ति ने कंपनी की गारंटी नहीं ली है. साथ ही, कंपनी ने जमाराशियों तथा उसपर लगे ब्याज की अदायगी में चूक नहीं की है।

## 16 अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| उपचित ब्याज | 13,463.08 | 16,558.27 | 9,064.92 |
| **योग** | **13,463.08** | **16,558.27** | **9,064.92** |

## 17 अन्य ग़ैर वित्तीय देयताएँ

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| सांविधिक बकाया के लेनदार | 42.61 | 3.34 | 0.13 |
| **योग** | **42.61** | **3.34** | **0.13** |

## 18 इक्विटी शेयर पूँजी

(₹ लाख)

| विवरण | | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ए. | **प्राधिकृत शेयर पूँजी** | | | |
| | ₹ 10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 5,00,00,00,000 and 01 अप्रैल, 2017: 5,00,00,00,000) | 5,00,000.00 | 5,00,000.00 | 5,00,000.00 |
| | **योग** | **5,00,000.00** | **5,00,000.00** | **5,00,000.00** |
| बी. | **निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त:** | | | |
| | ₹ 10 प्रत्येक के 1,67,59,25,926 ईक्विटी शेयर (31 मार्च, 2018: 1,67,59,25,926 तथा 01 अप्रैल, 2017:1,67,59,25,926) | 1,67,592.59 | 1,67,592.59 | 1,67,592.59 |
| | **योग** | **1,67,592.59** | **1,67,592.59** | **1,67,592.59** |

**सी. ईक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान:**

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | 1,67,59,25,926 | 1,67,592.59 | 1,67,59,25,926 | 1,67,592.59 |
| वर्ष के दौरान निर्गत | - | - | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **1,67,59,25,926** | **1,67,592.59** | **1,67,59,25,926** | **1,67,592.59** |

**डी. कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण**

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | | यथा 31 मार्च, 2018 | | यथा 01 अप्रैल, 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या | % धारिता | शेयरों की संख्या | % धारिता | शेयरों की संख्या | % धारिता |
| भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) | 1,67,59,25,920 | 99.9999996% | 1,67,59,25,920 | 99.9999996% | 1,67,59,25,920 | 99.9999996% |
| **योग** | **1,67,59,25,920** | **99.9999996%** | **1,67,59,25,920** | **99.9999996%** | **1,67,59,25,920** | **99.9999996%** |

**ई. धारक कंपनी द्वारा धारित कंपनी के शेयर**

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) | 1,67,59,25,920 | 1,67,59,25,920 | 1,67,59,25,920 |
| **योग** | **1,67,59,25,920** | **1,67,59,25,920** | **1,67,59,25,920** |

**एफ. ईक्विटी शेयरों के साथ जुडे हुए निबंधन एवं अधिकार**

कंपनी के पास केवल एक ही तरह के ईक्विटी शेयर हैं जिनका सम मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर है. प्रत्येक ईक्विटी शेयर धारक एक मत प्रति शेयर का पात्र है. कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा तथा भुगतान करती है. निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन की शर्त पर होगा।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारकों को सभी वरीयता प्राप्त राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

**जी. बोनस शेयर**

कंपनी द्वारा आरंभ से (वर्ष 2015-2016 से) ही कोई बोनस शेयर निर्गत नहीं किया है।

## 19 अन्य ईक्विटी

(₹ लाख)

| विवरण | नोट | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|---|
| प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षितियाँ | (i) | 7,407.41 | 7,407.41 | 7,407.41 |
| सामान्य आरक्षितियाँ | (ii) | 23,000.00 | 21,500.00 | 11,500.00 |
| प्रतिधारित कमाई | (iii) | 3,175.72 | 5,194.40 | 3,056.36 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षितियाँ | (iv) | 7,309.44 | 6,639.81 | 3,475.43 |
| विकास निधि | (v) | 200.00 | 200.00 | - |
| नैगम सामाजिक दायित्व निधि (सीएसआर) | (vi) | 671.58 | - | - |
| **योग** | | **41,764.14** | **40,941.62** | **25,439.20** |

**(i) प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षितियाँ**

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षितियों का उपयोग शेयर निर्गम पर प्रीमियम को अभिलिखित करने हेतु किया जाता है। उक्त आरक्षितियों का उपयोग कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | 7,407.41 | 7,407.41 |
| वर्ष के दौरान लेनदेन | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **7,407.41** | **7,407.41** |

**(ii) सामान्य आरक्षितियाँ**

पुराने कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत लागू विनियमों के अनुसार सामान्य आरक्षितियाँ निवल आय के विनिर्धारित प्रतिशत के वार्षिक अंतरण के माध्यम से सृजित की जाती थीं। इस अंतरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि किसी वर्ष में लाभांश भुगतान कंपनी की प्रदत्त पूँजी की 10% राशि से अधिक है, तो सामान्य आरक्षितियों मे विनिर्धारित दर पर अनिवार्य अंतरण करना बाध्यकर था। कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने के बाद निवल लाभ के विनिर्धारित प्रतिशत राशि को सामान्य आरक्षितियों में अंतरण की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, पहले से सामान्य आरक्षितियों में अंतरित की गई राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार ही किया जा सकेगा।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | 21,500.00 | 11,500.00 |
| वर्ष के दौरान लेनदेन* | 1,500.00 | 10,000.00 |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **23,000.00** | **21,500.00** |

* इसपर निर्णय लिया जाना है

**(iii) प्रतिधारित कमाई**

प्रतिधारित कमाई कंपनी का विनियोजन के पश्चात निवल लाभ है।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | 5,194.40 | 3,056.36 |
| वर्ष हेतु लाभ | 3,348.11 | 17,116.55 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण | (669.62) | (3,164.38) |
| सामान्य आरक्षितियों को अंतरित | (1,500.00) | (10,000.00) |
| विकास निधि में अंतरण | - | (200.00) |
| नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि में अंतरण | (671.58) | - |
| प्रदत्त लाभांश | (2,094.91) | (1,341.07) |
| लाभांश वितरण कर | (430.69) | (273.06) |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **3,175.72** | **5,194.40** |

**(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षितियाँ**

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-I सी के अंतर्गत सांविधिक आरक्षितियाँ रखती है जिसके अंतर्गत प्रतिधारित कमाई से एक विनिर्धारित राशि अंतरित की जाती है।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | 6,639.81 | 3,475.43 |
| वर्ष के दौरान लेनदेन | 669.62 | 3,164.38 |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **7,309.44** | **6,639.81** |

**(v) विकास निधि**

कंपनी अर्जित लाभ में से विकास निधि में राशि विनियोजित करती है।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | 200.00 | 200.00 |
| वर्ष के दौरान लेनदेन | - | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **200.00** | **200.00** |

**(vi) नैगम सामाजिक दायित्व निधि (सीएसआर)**

कंपनी नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि में राशि का विनियोजन करती है।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **वर्ष के आरंभ में शेष** | - | - |
| वर्ष के दौरान लेनदेन** | 671.58 | - |
| **वर्ष के अंत में शेष** | **671.58** | **-** |

** इसपर निर्णय लिया जाना है

## 20 ब्याज आय

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **ऋणों पर ब्याज** | | |
| (ए) बैंकों को पुनर्वित्त पर ब्याज | 38,841.30 | 32,735.72 |
| (बी) अल्प वित्त संस्थाओं/एनबीएफसी को प्रदत्त पुनर्वित्त पर ब्याज | 15,135.64 | 13,462.54 |
| एफडीआर एवं जमा प्रमाणपत्र पर ब्याज | 21,312.39 | 18,437.97 |
| पास थ्रू प्रमाणपत्रों पर ब्याज आय | 3,069.07 | 2,007.83 |
| **योग** | **78,358.40** | **66,644.05** |

## 21 शुल्क एवं कमीशन से आय

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| शुल्क से आय जिसे अवधि के दौरान स्वीकार किया गया है | 385.59 | 384.11 |
| **योग** | **385.59** | **384.11** |

## 22 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| (ए) लाभ अथवा हानि के माध्यम से वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य पर निवल लाभ | | |
| (i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर | | |
| - म्युचुअल निधियों में निवेश | (69.17) | 25.87 |
| (बी) अन्य | - | - |
| म्युचुअल निधियों के विक्रय पर लाभ | 7,416.84 | 13,462.02 |
| **उचित मूल्य परिवर्तनों पर सकल निवल लाभ** | **7,347.66** | **13,487.89** |
| उचित मूल्य परिवर्तन: | | |
| वसूल किया गया | 7,307.29 | 13,378.34 |
| अब तक वसूल नहीं किया गया | 40.37 | 109.54 |
| **उचित मूल्य परिवर्तनों पर सकल निवल लाभ** | **7,347.66** | **13,487.89** |

## 23 अन्य आय

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| अन्य | 1.13 | 1.07 |
| **योग** | **1.13** | **1.07** |

## 24 वित्तीय लागत

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| जमाराशियों पर ब्याज | 51,494.52 | 51,484.50 |
| **योग** | **51,494.52** | **51,484.50** |

## 25 वित्तीय लिखतों पर विपरीत प्रभाव

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| ऋण | (257.44) | 1,431.74 |
| निवेश | 28,491.46 | 8.54 |
| **योग** | **28,234.02** | **1,440.27** |

नीचे दी गई तालिका मूल्यांकन चरण के आधार पर लाभ और हानि में दर्ज वर्ष के लिए वित्तीय लिखतों पर ईसीएल शुल्क दर्शाती है:

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण | योग |
| परिशोधित लागत पर आकलित ऋण लिखतें (ऋण) | (257.44) | - | - | (257.44) |
| परिशोधित लागत पर आकलित ऋण लिखतें (निवेश) | - | | 28,491.46 | 28,491.46 |
| **कुल विपरीत प्रभाव हानि** | **(257.44)** | **-** | **28,491.46** | **28,234.02** |

| विवरण | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण | योग |
| परिशोधित लागत पर आकलित ऋण लिखतें (ऋण) | 1,431.74 | - | - | 1,431.74 |
| परिशोधित लागत पर आकलित ऋण लिखतें (निवेश) | 8.54 | - | - | 8.54 |
| **कुल विपरीत प्रभाव हानि** | **1,440.27** | **-** | **-** | **1,440.27** |

नोट: ईसीएल प्रविधि तथा मान्यताओं के लिये नोट संख्या 40(ए) देखें।

## 26 कर्मचारी अनुलाभ व्यय

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| वेतन एवं मजदूरी | 653.57 | 713.25 |
| **योग** | **653.57** | **713.25** |

# इसमें सिड्बी को पूर्व काल से संबंधित वेतन तथा परिलब्धियों हेतु की गयी ₹ शून्य (31 मार्च 2018 : ₹ 75.10 लाख) की प्रतिपूर्ति शामिल है।

## 27 मूल्यह्रास, परिशोधन तथा विपरीत प्रभाव

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों पर मूल्यह्रास (नोट संख्या 11 देखें) | 7.20 | 5.78 |
| अमूर्त आस्तियों का परिशोधन (नोट संख्या 12 देखें) | 1.90 | 1.59 |
| **योग** | **9.09** | **7.37** |

## 28 अन्य व्यय

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| किराया, दरें तथा कर | 70.01 | 93.26 |
| टेलिफोन व्यय | 0.03 | 0.14 |
| डाक व तार | 0.39 | 0.25 |
| यात्रा तथा वाहन व्यय | 11.82 | 23.15 |
| मुद्रण एवंस लेखन सामग्री | 10.74 | 11.45 |
| विज्ञापन एवं प्रचार | 11.52 | 6.29 |
| बैंक प्रभार | 0.06 | 0.03 |
| निदेशकों की सिटिंग फीस | 5.83 | 3.48 |
| लेखापरीक्षकों का शुल्क एवं व्यय | 2.80 | 3.03 |
| विधि एवं व्यावसायिक प्रभार | 68.81 | 14.10 |
| बीमा | 0.17 | 0.13 |
| प्रशासनिक व्यय | 70.48 | 32.36 |
| वेबसाइट तथा वेबपोर्टल व्यय | 7.09 | 5.48 |
| कम्प्यूटर उपभोज्य | 4.54 | 1.18 |
| प्रोसेसिंग तथा मॉनिटरिंग व्यय | 317.67 | 511.59 |
| **योग** | **581.94** | **705.93** |

## 28.1 लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षा | 2.00 | 2.12 |
| कराधान मामले | 0.55 | 0.60 |
| अन्य क्षमता में | - | 0.32 |
| **योग** | **2.80** | **3.03** |

## 28.2 सीएसआर के अंतर्गत किये गये व्यय का विवरण:

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| ए) वह राशि जिसे वर्ष के दौरान व्यय किया जाना वांछित है | 671.58 | NA |
| बी) वर्ष के दौरान निम्न पर व्यय की गई राशि: | | |
| i) किसी आस्ति के निर्माण/अभिग्रहण पर | - | NA |
| ii) उक्त (i) के अलावा कोई अन्य व्यय | - | NA |

## 29 आयकर व्यय

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| **वर्तमान कर** | | |
| उक्त अवधि हेतु लाभ पर वर्तमान कर | 11,641.79 | 9,469.08 |
| पूर्व अवधि के कर हेतु समायोजन | (6.92) | (13.13) |
| **कुल वर्तमान कर** | **11,634.87** | **9,455.95** |
| **आस्थगित कर व्यय (जमा)** | | |
| आस्थगित कर आस्तियों में जोड (नोट 10 देखें) | (9,863.34) | (406.70) |
| **कुल आस्थगित कर व्यय/(जमा)** | **(9,863.34)** | **(406.70)** |
| **कुल कर व्यय** | **1,771.53** | **9,049.25** |

## 29.1 प्रभावी कर दर का मिलान:

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| आयकर व्यय से पूर्व लाभ/(हानि) | 5,119.64 | 26,165.80 |
| | | |
| **कम्पनी पर लागू भारत में अधिनियमित आयकर की दर 34.944% (2016-2017: 34.608%)** | 1,789.01 | 9,055.46 |
| **निम्नलिखित का कर प्रभाव:** | | |
| विभेदक कर दरों के कारण अंतर | (3.65) | - |
| पूर्वावधि मदें | (6.92) | (13.13) |
| अन्य | (12.37) | 6.92 |
| **कुल कर व्यय** | **1,766.07** | **9,049.24** |
| **कर की प्रभावी दर** | 34.50% | 34.58% |

## 29.2 ईक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत राशियाँ

वर्तमान तथा आस्थगित कर की ऐसी कोई भी सकल राशि समीक्षाधीन अवधि के दौरान नहीं सामने आई है जिसे इक्विटी में शामिल किया गया हो।

## 30 प्रति शेयर कमाई

(₹ लाख)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|
| लाभ जिसका श्रेय कंपनी के शेयर धारकों को है (ए) | 3,348 | 17,117 |
| मूलभूत ईपीएस के लिये जारी शेयरों की औसत भारित संख्या (बी) | 1,67,59,25,926 | 1,67,59,25,926 |
| मंदित ईपीएस की गणना के लिये समायोजन (सी) | - | - |
| मंदित ईपीएस के लिये जारी शेयरों की औसत भारित संख्या (डी=बी + सी) | 1,67,59,25,926 | 1,67,59,25,926 |
| मूलभूत ईपीएस ₹ में. | 0.20 | 1.02 |
| मंदित ईपीएस ₹ में. | 0.20 | 1.02 |

## 31 सेग्मेंट रिपोर्टिंग

परिचालन सेगमेंट को कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय प्राधिकारी ("सीओडीएम") को की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप रिपोर्ट किया गया है. कंपनी मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष वित्तपोषण और ट्रेजरी के दो सेगमेंट में परिचालनरत है।

(₹ लाख)

| व्यवसाय सेग्मेंट | अप्रत्यक्ष वित्त | | ट्रेज़री | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण** | **वि.व. 2019** | **वि.व. 2018** | **वि.व. 2019** | **वि.व. 2018** | **वि.व. 2019** | **वि.व. 2018** |
| **1 सेग्मेंट राजस्व** | 57,431.60 | 48,590.20 | 28,660.05 | 31,925.86 | 86,091.65 | 80,516.05 |
| असाधारण मदें | - | - | - | - | 1.13 | 1.07 |
| **योग** | **57,431.60** | **48,590.20** | **28,660.05** | **31,925.86** | **86,092.78** | **80,517.12** |
| **2 सेग्मेंट परिणाम** | 19,966.60 | 18,706.46 | (13,969.95) | 8,415.32 | 5,996.65 | 27,121.78 |
| असाधारण मदें | - | - | - | - | 1.13 | 1.07 |
| **योग** | **19,966.60** | **18,706.46** | **(13,969.95)** | **8,415.32** | **5,997.78** | **27,122.85** |
| ग़ैर आवंटनीय व्यय | - | - | - | - | 878.14 | 957.05 |
| **परिचालन लाभ** | **19,966.60** | **18,706.46** | **(13,969.95)** | **8,415.32** | **5,119.64** | **26,165.80** |
| आयकर (प्रतिलेखन से निवल) | - | - | - | - | 1,771.53 | 9,049.25 |
| निवल लाभ | 19,966.60 | 18,706.46 | (13,969.95) | 8,415.32 | 3,348.11 | 17,116.55 |
| **3 अन्य सूचना** | | | | | | |
| सेग्मेंट अस्तियाँ | 1,183,404.34 | 1,051,415.74 | 47,695.83 | 185,563.12 | 1,231,100.17 | 1,236,978.86 |
| अनावंटित आस्तियाँ | - | - | - | - | 492,488.75 | 488,380.03 |
| **कुल आस्तियाँ** | | | | | **1,723,588.92** | **1,725,358.88** |
| सेग्मेंट देयताएँ | 1,183,404.34 | 1,051,415.74 | 330,058.74 | 465,142.54 | 1,513,463.08 | 1,516,558.27 |
| अनावंटित देयताएँ | | | | | 769.10 | 266.39 |
| **कुल देयताएँ** | **1,183,404.34** | **1,051,415.74** | **330,058.74** | **465,142.54** | **1,514,232.19** | **1,516,824.67** |

**भौगोलिक सेग्मेंट**

कंपनी की सभी आस्तियाँ और कंपनी के राजस्व का स्रोत भारत के भीतर है और इसलिए, किसी भी अलग भौगोलिक सेग्मेंट की पहचान नहीं की गई है।

**प्रमुख ग्राहकों के विषय में जानकारी**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए किसी एकल ग्राहक से कुल आय के 10% से अधिक का राजस्व ₹ 9,266.51 लाख अर्थात 10.76% है (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ शून्य') (31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 'लागू नहीं')।

## 32 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(ए) यथा दिनांक 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2018 तथा 01 अप्रैल, 2017 को कंपनी की कोई आकस्मिक देयताएँ नहीं हैं।

(बी) यथा 31 मार्च, 2019 को कंपनी की अमूर्त आस्तियों के विकास के प्रति ₹ 38.64 लाख की पूंजीगत प्रतिबद्धता है. (31 मार्च, 2018 : शून्य ; 01 अप्रैल, 2017 : शून्य)।

(सी) यथा 31 मार्च, 2019 को कंपनी का तुलनपत्र से इतर ₹ 39,425 लाख का असंवितरित संस्वीकृत ऋण एक्सपोज़र है. (21 मार्च, 2018 को ₹ 56,100 लाख; 01 अप्रैल, 2017 : ₹ 10,800 लाख)।

## 33 कर्मचारी अनुलाभ

सभी कर्मचारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा मुद्रा में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण तथा वेतन की बकाया राशियों का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है जिसने इस कंपनी में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया है। इसमें संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी शामिल नहीं हैं। साथ ही, मुद्रा ने वर्तमान वर्ष के दौरान ₹ 23.83 लाख की राशि (मार्च 2018 : ₹ 42.99 लाख) का प्रावधान लाभ हानि खाते में किया है। जब उक्त कंपनियों द्वारा मांग की जायेगी तब उक्त राशि का भुगतान सिडबी को किया जाएगा. संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये कोई भी नियोजनोपरांत अनुलाभ लागू नहीं है।

## 34 आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता समीक्षा

नीचे दी गई तालिका में संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण किया गया है, जब उनकी वसूली या निस्तारण संभावित है. ग्राहकों के लिए ऋण और अग्रिमों के संबंध में, कंपनी अपेक्षित अदायगी व्यवहार के आधार का उपयोग करती है जैसा कि प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

(₹ लाख)

| आस्तियाँ | 31 मार्च, 2019 | | | 31 मार्च, 2018 | | | 01 अप्रैल, 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 महीनों के भीतर | 12 महीनों के पश्चात | योग | 12 महीनों के भीतर | 12 महीनों के पश्चात | योग | 12 महीनों के भीतर | 12 महीनों के पश्चात | योग |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | | | | | | |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | 171,052.50 | - | **171,052.50** | 372,388.02 | - | **372,388.02** | 40,274.05 | - | **40,274.05** |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष | 308,055.20 | - | **308,055.20** | 110,390.31 | - | **110,390.31** | 174,260.44 | - | **174,260.44** |
| ऋण | 618,667.90 | 564,736.44 | **1,183,404.34** | 438,788.93 | 615,112.84 | **1,053,901.77** | 260,494.18 | 349,753.31 | **610,247.48** |
| निवेश | 40,040.37 | - | **40,040.37** | 176,049.62 | - | **176,049.62** | 179,681.76 | - | **179,681.76** |
| अन्य वित्तीय आस्तियाँ | 8,960.57 | - | **8,960.57** | 10,507.84 | - | **10,507.84** | 8,752.37 | - | **8,752.37** |
| **ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ** | | | | | | | | | |
| कर आस्तियाँ (निवल) | - | - | **-** | - | 247.31 | **247.31** | - | 749.71 | **749.71** |
| आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) | - | 10,950.61 | **10,950.61** | - | 1,087.28 | **1,087.28** | - | 680.57 | **680.57** |
| संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण | - | 7.78 | **7.78** | - | 14.79 | **14.79** | - | 12.28 | **12.28** |
| विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ | - | 47.50 | **47.50** | - | - | **-** | - | - | **-** |
| अन्य अमूर्त आस्तियाँ | - | 1.42 | **1.42** | - | 3.32 | **3.32** | - | 3.06 | **3.06** |
| अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ | 1,068.62 | - | **1,068.62** | 768.63 | - | **768.63** | 0.00 | - | **0.00** |
| कुल आस्तियाँ | | **575,743.75** | **1,723,588.92** | **1,108,893.35** | **616,465.53** | **1,725,358.88** | **663,462.80** | **351,198.93** | **1,014,661.72** |

(₹ लाख)

| आस्तियाँ | 31 मार्च, 2019 | | | 31 मार्च, 2018 | | | 01 अप्रैल, 2017 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 महीनों के भीतर | 12 महीनों के पश्चात | योग | 12 महीनों के भीतर | 12 महीनों के पश्चात | योग | 12 महीनों के भीतर | 12 महीनों के पश्चात | योग |
| वित्तीय देनदारियाँ | | | | | | | | | |
| देय राशियाँ | | | | | | | | | |
| I)व्यापार देनदारियाँ | - | - | **-** | - | - | **-** | - | - | **-** |
| II)अन्य देनदारियाँ | 253.10 | - | **253.10** | 263.05 | - | **263.05** | 64.89 | - | **64.89** |
| जमाराशियाँ | 312,500.00 | 1,187,500.00 | **1,500,000.00** | 500,000.00 | 1,000,000.00 | **1,500,000.00** | - | 812,500.00 | **812,500.00** |
| अन्य वित्तीय देनदारियाँ | 13,463.08 | - | **13,463.08** | 16,558.27 | - | **16,558.27** | 9,064.92 | - | **9,064.92** |
| ग़ैर वित्तीय देनदारियाँ | | | **-** | | | **-** | | | **-** |
| वर्तमान कर देनदारियाँ(निवल) | 473.40 | - | **473.40** | - | - | **-** | - | - | **-** |
| अन्य ग़ैर वित्तीय देनदारियाँ | 42.61 | - | **42.61** | 3.34 | - | **3.34** | 0.13 | - | **0.13** |
| **कुल देनदारियाँ** | **326,732.19** | **1,187,500.00** | **1,514,232.19** | **516,824.67** | **1,000,000.00** | **1,516,824.67** | **9129.933** | **812,500.00** | **821,629.93** |
| | | | | | | | | | |
| **निवल** | **821,112.98** | **(611,756.25)** | **209,356.73** | **592,068.69** | **(383,534.47)** | **208,534.21** | **654,332.86** | **(461,301.07)** | **193,031.79** |

## 35 पूँजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह एक कुशल पूंजी संरचना बनाए रखे और शेयरधारक मूल्य में अधिकतम वृद्धि हो। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों, वार्षिक परिचालन योजनाओं और दीर्घकालिक और अन्य रणनीतिक निवेश योजनाओं में परिवर्तन के प्रकाश में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की मात्रा को समायोजित कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी किसी भी बाहरी रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। 31 मार्च, 2019, 31 मार्च, 2018 और 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबंधन हेतु उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी 'समायोजित शुद्ध ऋण' और 'इक्विटी' के अनुपात से पूंजी की निगरानी करती है। इस प्रयोजनार्थ, समायोजित शुद्ध ऋण को कुल देनदारियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ब्याज वाले ऋण और उधारकर्ता, घटाएँ नकद और नकद समकक्ष, शामिल हैं। इक्विटी में शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी के सभी घटक शामिल हैं और इक्विटी शेयर धारकों के लिए अन्य सभी इक्विटी आरक्षितियाँ शामिल हैं। कंपनी का समायोजित शुद्ध ऋण एवं इक्विटी का अनुपात निम्नानुसार है।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ | 15,00,000.00 | 15,00,000.00 | 8,12,500.00 |
| घटाएँ: नकदी एवं नकदी समतुल्य | (4,79,107.70) | (4,82,778.33) | (2,14,534.49) |
| **समायोजित निवल ऋण** | **10,20,892.30** | **10,17,221.67** | **5,97,965.51** |
| कुल ईक्विटी | 2,09,356.73 | 2,08,534.21 | 1,93,031.79 |
| **समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित ईक्विटी का अनुपात** | **4.88** | **4.88** | **3.10** |

## 35.1 विनियामक पूँजी

नियामक पूंजी में सीईटी 1 पूंजी शामिल है, जिसमें शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम, चालू वर्ष के लाभ सहित प्रतिधारित कमाई शामिल है। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, इंड-एएस आधारित परिणामों और आरक्षितियों में कतिपय समायोजन किए गए हैं। विनियामक पूंजी का एक घटक अन्य टीयर 2 पूँजी लिखतें है, जिनमें जोखिम भारित परिसंपत्तियों के लिए 1.25% की सीमा तक प्रावधान शामिल हैं।

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| सामान्य ईक्विटी टीयर 1 (सीईटी1) पूँजी | 1,97,485.62 | 2,05,955.25 | 1,91,872.34 |
| अन्य टीयर 2 पूँजी | 2,228.59 | 4,221.81 | 2,139.86 |
| **कुल पूँजी** | **1,99,714.21** | **2,10,177.06** | **1,94,012.20** |
| | | | |
| जोखिम भारित आस्तियाँ | 3,10,601.66 | 4,65,213.25 | 3,45,366.85 |
| सीईटी 1 पूँजी अनुपात | 63.58 | 44.27 | 55.56 |
| सीईटी 2 पूँजी अनुपात | 0.72 | 0.91 | 0.62 |
| **कुल पूँजी अनुपात** | **64.30** | **45.18** | **56.18** |

## 36 रिपोर्टिंग की तारीख के बाद की घटनाएँ

रिपोर्टिंग की तारीख के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसका इन वित्तीय वक्तव्यों में प्रकटीकरण आवश्यक है।

## 37 वित्तीय गतिविधियों से देनदारियों मे हुए परिवर्तन

परिचालन सेग्मेंट की रिपोर्टिंग इस तरह से की गयी है कि वह कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) को दी गयी रिपोर्टिंग के साथ मेल खाती है। कम्पनी दो व्यवसाय सेग्मेंट्स में परिचालन करती है - अप्रत्यक्ष वित्तपोषण तथा ट्रेज़री परिचालन।

(₹ लाख)

| विवरण | 01 अप्रैल, 2018 | नकदी प्रवाह | उचित मूल्य में परिवर्तन | विनिमय अंतर | अन्य | 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ | 15,00,000.00 | - | - | - | - | 15,00,000.00 |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से कुल देनदारियाँ** | **15,00,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15,00,000.00** |

(₹ लाख)

| Particulars | 01 अप्रैल, 2017 | नकदी प्रवाह | उचित मूल्य में परिवर्तन | विनिमय अंतर | अन्य | मार्च 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ | 8,12,500.00 | 6,87,500.00 | | | | 15,00,000.00 |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से कुल देनदारियाँ** | **8,12,500.00** | **6,87,500.00** | **-** | **-** | **-** | **15,00,000.00** |

## 38 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

### ए. सबंधित पक्षों के नाम तथा संबंध की प्रकृति:

| संबंध का वर्णन | संबंधित पक्ष का नाम |
|---|---|
| धारक कंपनी | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) |
| महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) | श्री जीजी माम्मेन - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अप्रैल, 2018 तक) |
| | श्री आलोक गुप्ता - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अगस्त 2018 से प्रभावी) |
| | श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव - मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (दिसंबर 2018 तक) |
| | श्रीमती रजनी सूद - मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (फरवरी 2019 से प्रभावी) |
| | कु. पूजा कुकरेती - कंपनी सचिव (सीएस) (फरवरी 2019 से प्रभावी) |
| | श्रीमती शालिनी बघेल - कंपनी सचिव (सीएस) (नवंबर 2017 तक) |
| सबंधित पक्ष | श्री पंकज जैन - धारक कंपनी के निदेशक |
| | श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा - अध्यक्ष सिडबी |
| | श्री अजय कपूर - धारक कंपनी के उप प्रबंध निदेशक |
| | श्री मनोज मित्तल - धारक कंपनी के उप प्रबंध निदेशक |

**बी. संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण:**

| सबंधित पक्ष का नाम | लेनदेन की प्रकृति | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु |
|---|---|---|---|
| धारक कंपनी | जमा प्रमाणपत्रों पर ब्याज आय | 178.77 | 631.82 |
| | वेतन हेतु की गई प्रतिपूर्ति | 552.83 | 457.37 |
| | कार्यालय परिसर का किराया-व्यय | 92.49 | 83.94 |
| | मूल्यांकन तथा निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रभार | 295.46 | 469.35 |
| | अन्य व्यय | 118.73 | 153.04 |
| | कुल | 1,238.27 | 1,795.52 |
| महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) | **वेतन एवं भत्ते** | | |
| | जीजी माम्मेन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (प्रतिभूति पारिश्रमिक) | 2.50 | 62.97 |
| | आलोक गुप्ता, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक का पारिश्रमिक) | 46.48 | - |
| | सुरेंद्र श्रीवास्तव, सीएफओ (पारिश्रमिक) | 32.09 | 34.75 |
| | रजनी सूद, सीएफओ (पारिश्रमिक) | 11.44 | - |
| | पूजा कुकरेती, कम्पनी सचिव (फरवरी 2019 से) | 1.07 | |
| | शालिनी बघेल, कंपनी सचिव (पारिश्रमिक) | - | 6.01 |
| सबंधित पक्ष लेनदेन | निदेशकों को सिटिंग फीस को छोडकर | Nil | Nil |

**सी. संबंधित पक्ष लेनदेन में बकाया शेष का विवरण:**

(₹ लाख)

| संबंधित पक्ष का नाम | लेनदेन की प्रकृति | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 31 मार्च, 2017 |
|---|---|---|---|---|
| धारक कंपनी | नैगम जमाराशियों में निवेश | - | 12,821.23 | 6,046.51 |
| | देय व्यय | **42.79** | **68.93** | **0.09** |

**डी.** संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों पर किया जाता है जो आर्म्स लेंग्थ लेनदेन पर लागू होती हैं। वर्ष के अंत में बकाया शेष प्रतिभूतिरहित हैं और इनका निपटान नकदी में होता है। यह मूल्यांकन प्रत्येक वित्तीय वर्ष को संबंधित पार्टी की वित्तीय स्थिति और उस बाजार में उसकी जांच पडताल के माध्यम से किया जाता है जिसमें संबंधित पार्टी के परिचालन हैं।

## 39 उचित मूल्य माप

### ए. लेखांकन वर्गीकरण तथा उचित मूल्य

निम्न तालिका वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की उचित मात्रा और उचित मूल्यों को दर्शाती है, जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में उनका स्तर भी शामिल है। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है जो उचित मूल्य पर मापी नहीं जाती है यदि वहन राशि उचित मूल्य का उचित अनुमान है।

(₹ लाख)

| यथा 31 मार्च, 2019 को वित्तीय आस्तियाँ तथा देनदारियाँ | बही मूल्य राशि | | | | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाभ हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य | अन्य व्यापक आय के अनुसार उचित मूल्य | परिशोधित लागत | योग | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | योग |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | | | | | - |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | - | - | 171,052.50 | 171,052.50 | - | - | 171,052.50 | 171,052.50 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य को छोडकर अन्य बैंक शेष | - | - | 308,055.20 | 308,055.20 | - | - | 308,055.20 | 308,055.20 |
| ऋण | - | - | 1,183,404.34 | 1,183,404.34 | - | - | 1,183,404.34 | 1,183,404.34 |
| निवेश | 40,040.37 | - | - | 40,040.37 | - | 40,040.37 | - | 40,040.37 |
| अन्य वित्तीय आस्तियाँ | - | - | 8,960.57 | 8,960.57 | - | - | 8,960.57 | 8,960.57 |
| **योग** | **40,040.37** | **-** | **1,671,472.61** | **1,711,512.98** | **-** | **40,040.37** | **1,671,472.61** | **1,711,512.98** |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | | | | | | |
| देनदारियाँ | | | | - | | | | - |
| व्यापार संबंधी देनदारियाँ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य देनदारियाँ | - | - | 253.10 | 253.10 | - | - | 253.10 | 253.10 |
| जमाराशियाँ | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | - | - | 13,463.08 | 13,463.08 | - | - | 13,463.08 | 13,463.08 |
| | **-** | **-** | **1,513,716.18** | **1,513,716.18** | **-** | **-** | **1,513,716.18** | **1,513,716.18** |

(₹ लाख)

| यथा 31 मार्च 2018 को वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ | बही मूल्य राशि | | | | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाभ हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य | अन्य व्यापक आय के अनुसार उचित मूल्य | परिशोधित लागत | योग | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | योग |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | | | | | - |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | - | - | 372,388.02 | 372,388.02 | - | - | 372,388.02 | 372,388.02 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य को छोडकर अन्य बैंक शेष | - | - | 110,390.31 | 110,390.31 | - | - | 110,390.31 | 110,390.31 |
| ऋण | - | - | 1,053,901.77 | 1,053,901.77 | - | - | 1,053,901.77 | 1,053,901.77 |
| निवेश | 75,209.54 | - | 100,840.08 | 176,049.62 | - | 75,209.54 | 100,840.08 | 176,049.62 |
| अन्य वित्तीय आस्तियाँ | - | - | 10,507.84 | 10,507.84 | - | - | 10,507.84 | 10,507.84 |
| **योग** | **75,209.54** | **-** | **1,648,028.02** | **1,723,237.56** | **-** | **75,209.54** | **1,648,028.02** | **1,723,237.56** |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | | | | | | |
| देनदारियाँ | | | - | - | - | - | - | - |
| व्यापार संबंधी देनदारियाँ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य देनदारियाँ | - | - | 263.05 | 263.05 | - | - | 263.05 | 263.05 |
| जमाराशियाँ | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | - | - | 16,558.27 | 16,558.27 | - | - | 16,558.27 | 16,558.27 |
| **योग** | **-** | **-** | **1,516,821.33** | **1,516,821.33** | **-** | **-** | **1,516,821.33** | **1,516,821.33** |

(₹ लाख)

| यथा 31 मार्च 2017 को वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ | बही मूल्य राशि | | | | उचित मूल्य | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लाभ हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य | अन्य व्यापक आय के अनुसार उचित मूल्य | परिशोधित लागत | योग | स्तर 1 | स्तर 2 | स्तर 3 | योग |
| **वित्तीय आस्तियाँ** | | | | | | | | - |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | - | - | 40,274.05 | 40,274.05 | - | - | 40,274.05 | 40,274.05 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य को छोडकर अन्य बैंक शेष | - | - | 174,260.44 | 174,260.44 | - | - | 174,260.44 | 174,260.44 |
| ऋण | - | - | 610,247.48 | 610,247.48 | - | - | 610,247.48 | 610,247.48 |
| निवेश | 173,281.15 | - | 6,400.61 | 179,681.76 | - | 173,281.15 | 6,400.61 | 179,681.76 |
| अन्य वित्तीय आस्तियाँ | - | - | 8,752.37 | 8,752.37 | - | - | 8,752.37 | 8,752.37 |
| **योग** | **173,281.15** | **-** | **839,934.95** | **1,013,216.10** | **-** | **173,281.15** | **839,934.95** | **1,013,216.10** |
| **वित्तीय देयताएँ** | | | | | | | | |
| देनदारियाँ | | | | | | | | - |
| व्यापार संबंधी देनदारियाँ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| अन्य देनदारियाँ | - | - | 64.89 | 64.89 | - | - | 64.89 | 64.89 |
| जमाराशियाँ | - | - | 812,500.00 | 812,500.00 | - | - | 812,500.00 | 812,500.00 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | - | - | 9,064.92 | 9,064.92 | - | - | 9,064.92 | 9,064.92 |
| **योग** | **-** | **-** | **821,629.80** | **821,629.80** | **-** | **-** | **821,629.80** | **821,629.80** |

## बी. उचित मूल्य का माप

उचित मूल्य के आकलन के लिये निम्नांकित प्रविधियों तथा अनुमानों को अपनाया गया है:

ए. अन्य वर्तमान बैंक शेष, अन्य प्राप्तियों और व्यापार और अन्य देयताओं, इत्यादि सहित अन्य वित्तीय देनदारियों सहित नकदी की बही राशि को इनकी वर्तमान और अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

बी. कंपनी द्वारा नियत ब्याज दरों वाले वित्तीय साधनों का मूल्यांकन ब्याज दरों और प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत ऋण योग्यता जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो इन लिखतों में अपेक्षित नुकसान के लिए छूट को शामिल किया जाता है। इस प्रकार, ऊपर ए में दर्शाई गई परिशोधित लागत ईसीएल राशि समायोजन के बाद है।

## सी. उचित मूल्य पदानुक्रम

ऊपर बताए गए अनुसार वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पदानुक्रम समान परिसंपत्तियों या देनदारियों (स्तर 1 मापों) के लिए सक्रिय बाजारों में कीमतों को उद्धृत करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और असंगत इनपुट्स (स्तर 3 माप) के लिए सबसे कम प्राथमिकता देता है।

**स्तर 1:** स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापी गई वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें वे सूचीबद्ध इक्विटी लिखतें और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिन्होंने कीमत उद्धृत की है। सभी इक्विटी लिखतों के उचित मूल्य का मूल्यांकन, जिनका स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जाता है, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समापन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

**स्तर 2:** सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य का निर्धारण उन मूल्यांकन तकनीकों से किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती हैं और कंपनी-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम भरोसा करती हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

**स्तर 3:** यदि महत्वपूर्ण आदानों में से एक या अधिक अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो ऐसी लिखत को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

## 40 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास अपने व्यवसाय से संबंधित विभिन्न जोखिमों को मापने, निगरानी करने और उन्हें कम करने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति है। जोखिम प्रबंधन नीति के साथ साथ, कंपनी के दर्शन के साथ संरेखित करने के लिए इसके व्यवसाय के आकार और जटिलता के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी है। ये नीतियाँ कंपनी की रणनीतियों के अनुरूप अपनी नीतियों और प्रथाओं के बीच विसंगतियों और अंतराल को रोकने तथा व्यावसायिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। निदेशक मंडल/समितियां जोखिम प्रबंधन नीति और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती हैं। कम्पनी का वित्तीय जोखिम प्रबंधन अपनी व्यावसायिक रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने का एक अभिन्न अंग है।

कंपनी के पास वित्तीय लिखतों से उत्पन्न निम्नलिखित जोखिमों का एक्सपोज़र है:

- ऋण जोखिम
- तरलता जोखिम और
- बाजार ज़ोखिम

### (ए) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को होने वाले उस वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत के प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और यह जोखिम मुख्य रूप से कंपनी के व्यापार और अन्य प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन मात्रा अधिकतम ऋण जोखिम जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है।

#### i. परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण तथा वित्तीय आस्तियाँ

प्रत्येक रिपोर्टिंग की तारीख को इम्पेयरमेंट विश्लेषण किया जाता है.

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में एक हानि विश्लेषण किया जाता है। इम्पेयरमेंट हानि की गणना चूक वाले एक्सपोज़र (ईएडी)* चूक की संभावना(पीडी) तथा हानि देने वाली चूक(एलजीडी) के आधार पर की गई है।

आंतरिक रेटिंग मॉडल में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों जानकारी शामिल है और, उधारकर्ता के लिए विशिष्ट जानकारी के अलावा, यह ऐसी पूरक बाहरी जानकारी का भी उपयोग करता है जो उधारकर्ता के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है।

**चूक की संभावना (पीडी):** चूँकि कम्पनी के पास इसके अपने पोर्टफोलियो में चूक की संभावना की गणना का कोई पूर्व रुझान उपलब्ध नहीं हैं अत: कंपनी ने रेटिंग के आधार पर स्टेज 1 तथा स्टेज 2 के लिये अपनी धारक कंपनी के जोखिम आकलन मॉडल के अनुसार रेटिंग आधारित पीडी लिया है। जिन मामलों में रेटिंग उपलब्ध नहीं है वहाँ पीडी को ऋण पोर्टफोलिओ के औसत के आधार पर लिया गया है. पीडी को एक्सपोज़र के संभावित सूचना तथा इंड एएस 109 स्टेज वर्गीकरण को शामिल करने हेतु इंड-एएस ईसीएल की गणना के लिये समायोजित किया जाता है. स्टेज 3 के प्रयोजनार्थ पीडी को 100% माना जाता है।

**चूक के कारण घाटा (एलजीडी) एलजीडीई की गणना के लिये कंपनी का अपना चूक तथा वसूली का कोई इतिहास नहीं है. अत: ज़मानती ऋण पोर्टफोलियो के मामले में एलजीडी को धारक कंपनी के जोखिम आकलन मॉडेल में ऋण पोर्टफोलियो की प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर निर्धारित न्यूनतम एलजीडी के आधार पर माना जाता है. वर्तमान में समस्त पोर्टफोलियो प्राप्य राशि से प्रतिभूत है तथा एलजीडीई को इसके 50% पर लिया गया है।**

एलजीडी को 50% मानते समय मुद्रा द्वारा धारित संपार्श्विक प्रतिभूति (मुद्रा के पक्ष में लियन मार्क एफडीआर) को नगण्य मूल्य होने के कारण गणना में शामिल नहीं किया गया है।

प्रतिभूति रहित निवेशों के मामले में एलजीडी को 100% माना गया है क्योंकि इसकी वसूली का कोई पूर्व इतिहास उपलब्ध नहीं है ऐसी निवेशित कंपनियों की वर्तमान स्थिति पर आधारित कोई संभावित की वसूली की किसी भी परिस्थिति की संभावित सूचना उपलब्ध नहीं है।

**ऋण**

ऋणों का अवधि विश्लेषण (प्रावधान का सकल) उस तारीख से माना गया है जिस दिन संविदात्मक भुगतान देय होता है

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| 0-30 दिन अतिदेय | 12,24,117.94 | 11,35,986.68 | 6,22,187.48 |
| 30-90 दिन अतिदेय | - | - | - |
| 90 दिन से अधिक अतिदेय | - | - | - |
| **योग** | **12,24,117.94** | **11,35,986.68** | **6,22,187.48** |

**निम्न तालिका में अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके आकलित की जाने वाली क्षति की छूट में परिवर्तन को सारांशित किया गया है -**

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| आरम्भिक प्रावधान | 2,486.03 | 1,054.30 |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | - | 1,431.74 |
| प्रावधान का रिवर्सल | (257.44) | - |
| **योग** | **2,228.59** | **2,486.03** |

**परिशोधन लागत पर मापा गया निवेश**

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| ऋण जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं | - | 88,027.38 | - |
| ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि | - | - | - |
| चूकग्रस्त पोर्टफोलियो | 28,500.00 | - | - |
| **योग** | **28,500.00** | **88,027.38** | **-** |

**निम्न तालिका जीवन काल अपेक्षित ऋण हानि मॉडल का उपयोग करके मापी गई हानि की छूट में परिवर्तन को संक्षेप में बताती है**

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| आरम्भिक प्रावधान | 8.54 | - |
| वर्ष के दौरान प्रावधान | 28,491.46 | 8.54 |
| प्रावधान का रिवर्सल | - | - |
| **योग** | **28,500.00** | **8.54** |

**ii. नकदी और बैंक शेष**

कंपनी के पास यथा 31 मार्च, 2019 को ₹ 107 4,79,107.70 लाख (31 मार्च, 2018: ₹ 4,82,778.33 लाख; 1 अप्रैल, 2017: ₹ 2,14,534.4 लाख) की नकद और नकद समकक्ष और अन्य बैंक शेष राशि थी. उक्त राशियाँ अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बैंक और वित्तीय संस्थान के समकक्षों में रखी जाती हैं। इसके अलावा, कंपनी बैंक सावधि जमा में अपने अल्पकालिक अधिशेष धन का निवेश करती है जो कम अवधि के लिए म्होता है और इसमें कोई बाजार जोखिम नहीं होता है, इसलिए कंपनी को ऋण जोखिम के लिए उजागर नहीं करता है।

**iii. अन्य**

परिशोधन लागत पर मापे गये ऋण और निवेश के अलावा कंपनी के पास कोई अन्य वित्तीय आस्ति नहीं है जिसमें कोई महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम हो।

## (बी) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम इस बात का जोखिम है कि कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय आस्ति को वितरित करके निस्तारित किए जाते हैं। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी का प्रयास, यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि जहां तक संभव हो,जब भी कोई देयता हो तो कम्पनी के पास इतनी पर्याप्त तरलता हो कि, सामान्य या तनावपूर्ण परिस्थितियों में, बिना अस्वीकार्य नुकसान के या बिना कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए उनका निर्वह किया जा सके। प्रबंधन कंपनी की तरलता की स्थिति और अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समकक्षों के रोलिंग पूर्वानुमान की निगरानी करता है।

**(i) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता**

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। राशियाँ सकल और पूर्ण हैं, और इसमें संविदात्मक ब्याज भुगतान शामिल हैं।

(₹ लाख)

| यथा 31 मार्च, 2019 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता | 1 वर्ष अथवा कम | 1-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
|---|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ | 3,12,500.00 | 11,87,500.00 | - | 15,00,000.00 |
| अन्य देयराशियाँ | 253.10 | | | 253.10 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | 13,463.08 | - | - | 13,463.08 |
| **योग** | **3,26,216.18** | **11,87,500.00** | **-** | **15,13,716.18** |

(₹ लाख)

| यथा 31 मार्च, 2018 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता | 1 वर्ष अथवा कम | 1-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
|---|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ | 5,00,000.00 | 10,00,000.00 | - | 15,00,000.00 |
| अन्य देयराशियाँ | 263.05 | | | 263.05 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | 16,558.27 | - | - | 16,558.27 |
| **योग** | **5,16,821.33** | **10,00,000.00** | **-** | **15,16,821.33** |

(₹ लाख)

| यथा 31 मार्च, 2017 को वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता | 1 वर्ष अथवा कम | 1-3 वर्ष | 3 वर्ष से अधिक | योग |
|---|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ | - | 8,12,500.00 | - | 8,12,500.00 |
| अन्य देयराशियाँ | 64.89 | | | 64.89 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | 9,064.92 | - | - | 9,064.92 |
| **योग** | **9,129.80** | **8,12,500.00** | **-** | **8,21,629.80** |

### (सी) बाज़ार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन करता है- जैसे कि विदेशी मुद्रा दरों, ब्याज दरों और इक्विटी की कीमतें-कंपनी की आय या इसके वित्तीय साधनों की धारिता के मूल्य को प्रभावित करेगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य लाभ को अधिकतम स्तर पर रखते हुए स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। कंपनी का इन जोखिमों के प्रति एक्सपोज़र तथा इसके प्रबंधन के बारे में नीचे बताया गया है।

#### (i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्यत: भारतीय बाज़ार में ही कार्य करती है. अधिकांश लेनदेन कंपनी की काम काज की मुद्रा अर्थात रुपये में ही किया जाता है. अत: कम्पनी के लिये विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा नहीं है.

#### (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम इस बात का जोखिम है कि बाजार के ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भविष्य के नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव आ सकता है। बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज दरों पर कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्व से संबंधित है। कंपनी की निश्चित दर उधार राशि को परिशोधन लागत पर ही लिया जाता है। इसलिए वे इंड एएस 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं होगा, क्योंकि बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

**ब्याज दर जोखिम की संभावना**

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में बदलाव के प्रति कंपनी का ऋण निम्नवत है:

(₹ लाख)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2019 | यथा 31 मार्च, 2018 | यथा 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| निश्चित दर पर लिये गये ऋण | 15,00,000.00 | 15,00,000.00 | 8,12,500.00 |
| **कुल ऋण** | **15,00,000.00** | **15,00,000.00** | **8,12,500.00** |

#### (iii) मूल्य जोखिम

म्यूचुअल फंड मूल्य जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोजर कंपनी द्वारा धारित बैलेंस शीट में उचित मूल्य पर लाभ अथवा नुकसान के रूप में वर्गीकृत निवेश से उत्पन्न होता है। चूंकि म्यूचुअल फंड एक अत्यंत तरल ऋण उन्मुख निधियाँ हैं, इसलिए कंपनी को कोई महत्वपूर्ण मूल्य जोखिम नहीं है।

## 41 इंड एएस का प्रथमत: अंगीकरण

ये इंडएएस के अनुसार तैयार किये गये कंपनी के पहले वित्तीय विवरण हैं। नोट 3 में निर्धारित लेखांकन नीतियां 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू की गई हैं, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए इन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत तुलनात्मक जानकारी और एक उद्घाटन इंडस्ट्रीज़ एएस की तैयारी में 1 अप्रैल, 2017 को बैलेंस शीट (कंपनी की संक्रमण तिथि)। इंड एएस प्रारूप में अपनी शुरुआती बैलेंस शीट तैयार करने में, कंपनी ने कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 (संशोधित) और अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय वक्तव्यों में पहले बताई गई मात्रा को समायोजित कर दिया है,(विगत जीएएपी अथवा भारतीय जीएएपी)। पिछले जीएएपी से इंड एएस में संक्रमण का कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह परक्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या निम्न तालिकाओं और नोटों में की गई है।

## ए. लिये गये छूट और अपवाद

विगत जीएएपी से इंड एएस 101 में परिवर्तन के लिये लगाये गये प्रयोज्य इंड एएस 101 के अनुसार वैकल्पिक छूट तथा अनिवार्य अपवादों का विवरण नीचे दिया गया है।

### i. मानी गई लागत

प्रथम बार इंड एएस 101 प्रणाली अपनाने वालों को इंडएएस 101 इस बात की अनुमति देता है कि वे अपनी संपत्ति,सन्यंत्र और उपकरणों के उचित मूल्य के निर्धारण के लिए यथा इंड एएस 101 में संक्रमण की तारीख को पिछले जीएएपी के अनुसार आकलित तथा वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी लागत को मानें अथवा पूर्वव्यापी रूप से इंड एएस 101 संक्रमण के सिद्धांतों को लागू करें। इंड एएस 101 पहली बार यह प्रणाली अपनाने वालों को यह भी छूट देता है कि वे अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बही मूल्य को उसी रूप में अपना ले जैसा कि इंडएएस 101 अपनाने की तारीख को वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। इस छूट का उपयोग Ind-AS 38 द्वारा कवर की जाने वाली अमूर्त संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों, अमूर्त आस्तियों के बही मूल्य को इंडएएस 101 अपनाने की तारीख को लागत के रूप में अपनाने का विकल्प चुना है।

### ii. अनुमान

जब तक इन अनुमानों के ग़लत होने का कोई निष्पक्ष साक्ष्य सामने न हो, तब तक पिछले जीएएपी के अनुसार लेखांकन नीति मे किये गये किसी संशोधन के कारण किसी भी अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजन के बाद) , इंडएएस 101 के अनुसार इंडएएस का अनुमान संक्रमण की तारीख में इंडएएस 101 के के अनुमान के अनुरूप होगा। 1 अप्रैल, 2017 के अनुसार इंडएएस का अनुमान पिछले जीएएपी के अनुसार उसी तिथि के अनुमानों के अनुरूप है। कंपनी ने संक्रमण की तारीख में इंडएएस के अनुसार निम्नलिखित मदों के लिए अनुमान लगाया है क्योंकि ये पिछले माध्यम के तहत आवश्यक नहीं थे। जीएएपी: -अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर वित्तीय संपत्तियों की हानि।

### iii. वित्तीय आस्तियों का परिमापन और वर्गीकरण

इंडएएस 101 के अनुसार यह अपेक्षित है कि कंपनी द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और माप का आकलन इंड एएस 101 अपनाने की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाए।

### iv. वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की मान्यता

कंपनी ने संक्रमण की तारीख पर या उसके बाद होने वाली लेनदेन के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भावी आवश्यकता को लागू किया है।

## बी. पूर्ववर्ती जीएएपी और इंड एएस के बीच के अंतर का मिलान

इंड एएस 101 के अनुसार अपेक्षित है कि कंपनी द्वारा इक्विटी, कुल व्यापक आय और पूर्व अवधि के लिए नकदी प्रवाह का मिलान किया जाए। निम्न तालिका पूर्ववर्ती जीएएपी तथा इंडएएस पिछले के मिलान को दर्शाती है.

### i. संक्रमण की तारीख (1 अप्रैल, 2017) को तुलनपत्र का मिलान

(₹ लाख)

| विवरण | नोट्स | आईजीएएपी | इंडएएस समायोजन | इंड एएस |
|---|---|---|---|---|
| **आस्तियाँ** | | | | |
| वित्तीय आस्तियाँ | | | | |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | | 40,274.05 | - | 40,274.05 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष | | 1,74,260.44 | - | 1,74,260.44 |
| ऋण | ए, सी, एफ | 6,11,997.15 | (1,749.67) | 6,10,247.48 |
| निवेश | बी | 1,79,598.08 | 83.67 | 1,79,681.76 |
| अन्य वित्तीय आस्तियाँ | | 8,752.37 | - | 8,752.37 |
| **ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ** | | | | |
| चालू कर आस्तियाँ (निवल) | | 749.71 | - | 749.71 |
| आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) | ई | - | 680.57 | 680.57 |
| संपत्ति, सन्यंत्र एवं उपकरण | | 12.28 | - | 12.28 |
| निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियाँ | | | | - |
| अन्य अमूर्त आस्तियाँ | | 3.06 | - | 3.06 |
| अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ (स्पष्ट उल्लेख करें) | डी | 226.18 | (226.18) | 0.00 |
| **कुल आस्तियाँ** | | **10,15,873.32** | **(1,211.59)** | **10,14,661.72** |
| **देयताएँ तथा ईक्विटी** | | | | |
| देयताएँ | | | | |
| वित्तीय देयताएँ | | | | |
| देय राशियाँ | | | | |
| ट्रेड संबंधी देय | | | | |
| अन्य देय | | 64.89 | - | 64.89 |
| जमाराशियाँ | | 8,12,500.00 | - | 8,12,500.00 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | | 9,064.92 | - | 9,064.92 |
| **ग़ैर वित्तीय देयताएँ** | | | | |
| प्रावधान | एफ | 2,139.86 | (2,139.86) | - |
| चालू कर देयताएँ (निवल) | | - | - | - |
| आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | ई | 1.95 | (1.95) | - |
| अन्य ग़ैर वित्तीय देयताएँ | | 0.13 | - | 0.13 |
| **कुल देयताएँ** | | **8,23,771.74** | **(2,141.81)** | **8,21,629.93** |
| **ईक्विटी** | | | | |
| ईक्विटी शेयर पूँजी | | 1,67,592.59 | - | 1,67,592.59 |
| अन्य ईक्विटी | ए, बी, सी, डी, ई | 24,508.98 | 930.22 | 25,439.20 |
| **कुल ईक्विटी** | | **1,92,101.57** | **930.22** | **1,93,031.79** |
| **कुल देयताएँ एवं ईक्विटी** | | **10,15,873.32** | **(1,211.59)** | **10,14,661.72** |

### ii. यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र का मिलान

(₹ लाख)

| विवरण | नोट्स | आईजीएएपी | इंडएएस समायोजन | इंड एएस |
|---|---|---|---|---|
| **आस्तियाँ** | | | | |
| वित्तीय आस्तियाँ | | | | |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य | | 3,72,388.02 | - | 3,72,388.02 |
| नकदी एवं नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष | | 1,10,390.31 | - | 1,10,390.31 |
| ऋण | ए, सी, एफ | 10,56,937.56 | (3,035.79) | 10,53,901.77 |
| निवेश | बी | 1,75,948.61 | 101.01 | 1,76,049.62 |
| अन्य वित्तीय आस्तियाँ | | 10,507.84 | - | 10,507.84 |
| **ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ** | | | | |
| चालू कर आस्तियाँ (निवल) | | 247.31 | - | 247.31 |
| आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) | ई | - | 1,087.28 | 1,087.28 |
| संपत्ति, सन्यंत्र एवं उपकरण | | 14.79 | - | 14.79 |
| निर्माणाधीन अमूर्त आस्तियाँ | | - | - | - |
| अन्य अमूर्त आस्तियाँ | | 3.32 | - | 3.32 |
| अन्य ग़ैर वित्तीय आस्तियाँ (स्पष्ट उल्लेख करें) | डी | 919.42 | (150.78) | 768.63 |
| **कुल आस्तियाँ** | | **17,27,357.17** | **(1,998.29)** | **17,25,358.88** |
| **देयताएँ एवं ईक्विटी** | | | | |
| देयताएँ | | | | |
| वित्तीय देयताएँ | | | | |
| देय राशियाँ | | | | |
| ट्रेड संबंधी देय | | | | |
| अन्य देय | | 263.05 | - | 263.05 |
| जमाराशियाँ | | 15,00,000.00 | - | 15,00,000.00 |
| अन्य वित्तीय देयताएँ | | 16,558.27 | - | 16,558.27 |
| **ग़ैर वित्तीय देयताएँ** | | | | |
| प्रावधान | एफ | 4,221.81 | (4,221.81) | - |
| चालू कर देयताएँ (निवल) | | - | - | - |
| आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | ई | 1.34 | (1.34) | - |
| अन्य ग़ैर वित्तीय देयताएँ | | 3.34 | - | 3.34 |
| **कुल देयताएँ** | | **15,21,047.82** | **(4,223.15)** | **15,16,824.67** |
| **ईक्विटी** | | | | |
| ईक्विटी शेयर पूँजी | | 1,67,592.59 | - | 1,67,592.59 |
| अन्य ईक्विटी | ए, बी, सी, डी, ई | 38716.76137 | 2,224.86 | 40,941.62 |
| **कुल ईक्विटी** | | **2,06,309.35** | **2,224.86** | **2,08,534.21** |
| **कुल देयताएँ एवं ईक्विटी** | | **17,27,357.17** | **(1,998.29)** | **17,25,358.88** |

* विगत वर्ष के पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत तैयार किये गये आँकडों को इंडएएस की प्रेज़ेंटेशन अपेक्षाओं के अनुरूप रखने के उद्देश्य से इस नोट के प्रयोजनार्थ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**iii. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय का मिलान**

(₹ लाख)

| विवरण | नोट्स | आईजीएएपी | इंडएएस समायोजन | इंड एएस |
|---|---|---|---|---|
| **परिचालनों से आय** | | | | |
| ब्याज आय | | 66,644.05 | - | 66,644.05 |
| शुल्क एवं कमीशन आय | सी | 238.50 | 145.61 | 384.11 |
| उचित मूल्य बदलाव से निवल लाभ | बी | 13,462.02 | 25.87 | 13,487.89 |
| **परिचालनों से कुल आय** | | **80,344.57** | **171.48** | **80,516.05** |
| अन्य आय | | 1.07 | - | 1.07 |
| **कुल आय (I+II)** | | **80,345.64** | **171.48** | **80,517.12** |
| **व्यय** | | | | |
| वित्तीय लागतें | | 51,484.50 | - | 51,484.50 |
| शुल्क एवं कमीशन व्यय | | | | - |
| उचित मूल्य बदलाव से निवल हानि | | | | - |
| वित्तीय लिखतों पर विपरीत प्रभाव | ए | 2,081.95 | (641.68) | 1,440.27 |
| कर्मचारी अनुलाभ व्यय | | 713.25 | - | 713.25 |
| मूल्यह्रास, परिशोधन तथा विपरीत प्रभाव | | 7.37 | - | 7.37 |
| अन्य व्यय | डी | 781.33 | (75.39) | 705.93 |
| **कुल व्यय (IV)** | | **55,068.40** | **-717.07** | **54,351.33** |
| **अपवादात्मक मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)** | | **25,277.24** | **888.55** | **26,165.80** |
| अपवादात्मक मदें | | | | |
| **कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)** | | **25,277.24** | **888.55** | **26,165.80** |
| **कर संबंधी व्यय:** | | | | |
| वर्तमान कर | | 9,455.95 | - | 9,455.95 |
| आस्थगित कर | ई | (0.61) | (406.09) | (406.70) |
| **उक्त अवधि हेतु लाभ/(हानि) (VI-VII)** | | **15,821.91** | **1,294.64** | **17,116.55** |
| अन्य व्यापक आय | | | | |
| मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाना है | | | | - |
| मदें जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाना है | | | | - |
| **अन्य व्यापक आय/(हानि) (ए+बी)** | | | | **-** |
| **कुल व्यापक आय** | | **15,821.91** | **1,294.64** | **17,116.55** |

* विगत वर्ष के पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत तैयार किये गये आँकडों को इंडएएस की प्रेज़ेंटेशन अपेक्षाओं के अनुरूप रखने के उद्देश्य से इस नोट के प्रयोजनार्थ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

iv. **यथा 31 मार्च, 2018 तथा 01 अप्रैल, 2017 को कुल ईक्विटी का मिलान**

(₹ लाख)

| विवरण | नोट्स | 31 मार्च, 2018 | 01 अप्रैल, 2017 |
|---|---|---|---|
| **पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कुल ईक्विटी (शेयरधारक की पूँजी)** | | 2,06,309.35 | 1,92,101.57 |
| **समायोजन:** | | | |
| इंडएएस 109 के अंतर्गत - वित्तीय लिखतें | | | |
| • ईसीएल मॉडल के अनुसार ऋण हानि प्रावधान | ए | (2,486.03) | (1,054.30) |
| • मानक आस्ति प्रावधान का व्युत्क्रम | ए | 4,221.81 | 2,139.86 |
| • निवेश पर परिशोधित लागत पर आकलित विपरीत प्रभाव | ए | (8.54) | - |
| • म्युचुअल निधियों का उचित मूल्य निर्धारण | बी | 109.54 | 83.67 |
| • ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की मान्यता | सी | (549.76) | (695.37) |
| बट्टे खाते में डाला गया प्रारम्भिक व्यय | डी | (150.78) | (226.18) |
| इंडएएस 12 के अंतर्गत आस्थगित कर | ई | | |
| • ईसीएल मॉडल के अनुसार ऋण हानि प्रावधान | | 860.37 | 364.87 |
| • निवेश पर परिशोधित लागत पर आकलित विपरीत प्रभाव | | 2.95 | |
| • म्युचुअल निधियों का उचित मूल्यांकन | | (37.91) | (28.96) |
| • ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की मान्यता | | 190.26 | 240.65 |
| बट्टे खाते में डाला गया प्रारम्भिक व्यय | | 72.95 | 105.96 |
| **योग** | | **2,08,534.21** | **1,93,031.79** |

v. **यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कुल व्यापक आय की मान्यता**

(₹ लाख)

| विवरण | नोट्स | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| **पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार कर उपरांत लाभ** | | **15,821.91** |
| **समायोजन:** | | |
| इंड एएस 109 के अंतर्गत - वित्तीय लिखतें | | |
| • ईसीएल मॉडल के अनुसार ऋण हानि प्रावधान | ए | (1,431.74) |
| • मानक आस्ति प्रावधान का व्युत्क्रम | ए | 2,081.95 |
| • निवेश पर परिशोधित लागत पर आकलित विपरीत प्रभाव | ए | (8.54) |
| • म्युचुअल निधियों का उचित मूल्यांकन | बी | 25.87 |
| • ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की मान्यता | सी | 145.61 |
| बट्टे खाते में डाला गया प्रारम्भिक व्यय | डी | 75.39 |
| इंडएएस 12 के अंतर्गत आस्थगित कर | ई | |
| • ईसीएल मॉडल के अनुसार ऋण हानि प्रावधान | | 495.50 |
| • निवेश पर परिशोधित लागत पर आकलित विपरीत प्रभाव | | 2.95 |
| • म्युचुअल निधियों का उचित मूल्यांकन | | (8.95) |
| • ईआईआर मॉडल के अनुसार ऋण अपफ्रंट शुल्क की मान्यता | | (50.39) |
| बट्टे खाते में डाला गया प्रारम्भिक व्यय | | (33.01) |
| **योग (इंडएएस के अनुसार)** | | **17,116.55** |

**vi. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह पर इंडएएस अपनाने के प्रभाव**

जैसा कि पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है नकदी प्रवाह विवरणी में कोई महत्वपूर्ण समायोजन नहीं किये गये हैं.

**नोट्स**

**ए संभावित ऋण हानि के अनुसार विपरीत प्रभाव हेतु प्रावधान**

भारतीय जीएएपी के तहत, कंपनी ने केवल आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर ग्राहक को प्रदत्त ऋण के लिए प्रावधान किया है। इंड एएस 109 के अंतर्गत वित्तीय साधनों के अनुसार इंडस्ट्रीज़ के अनुसार संभावित ऋण हानि मॉडल (ईसीएल) के आधार पर विपरीत प्रभाव हानि का निर्धारण किया गया है।

**बी एफवीटीपीएल पर आकलित निवेश**

कंपनी ने लाभ और हानि पर उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश को चिन्हित किया है। इंड एएस में संक्रमण की तारीख को, मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये निवेश के उचित मूल्य और आईजीएएपी के अनुसार बही मूल्य की राशि के बीच अंतर को प्रतिधारित आय में मान्यता दी गई है। लाभ और हानि के विवरण में उचित मूल्य लाभ को मान्यता दी गई है।

**सी प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)**

भारतीय जीएएपी के तहत, ग्राहकों से प्राप्त अपफ्रंट शुल्क को एक निश्चित समय पर लाभ और हानि के रूप में मान्यता दी जाती थी, जबकि इंड एएस के तहत, ऐसी लागतों को वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता राशि में शामिल किया जाता है और प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके इसे ब्याज आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

**डी बट्टे खाते में डाले गये प्रारंभिक व्यय**

आईजीएएपी के अंतर्गत प्रारंभिक व्यय का परिशोधन 5 वर्षों की अवधि में किया जाता है। तथापि, इंड एएस के अंतर्गत इस व्यय को संक्रमण की तारीख पर प्रतिधारित आमदनी को प्रभारित कर दिया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रारंभिक खर्चों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है।

**ई आस्थगित कर**

प्रतिधारित आय तथा लाभ हानि विवरणी को इंडएएस संक्रमण समायोजनों के फलस्वरूप समायोजित किया गया है जिससे जहाँ भी लागू होता हो, आस्थगित कर तथा अतिरिक्त आस्थगित कर (जहाँ इसे पूर्ववर्ती आईजीएएपी में मान्यता नहीं दी गई है) पर भी तद्विषयक प्रभाव पडा है.

**एफ मानक/ग़ैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) प्रावधान का पुनर्वर्गीकरण**

भारतीय जीएएपी के तहत एनपीए तथा मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, इंड एएस के अंतर्गत परिशोधित लागत (बड़े पैमाने पर ऋण) पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों को अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान के पश्चात निवल रूप में प्रस्तुत किया गया है।

**42** जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि वर्तमान वर्ष के आँकडों के साथ उनकी तुलना की जा सके.

**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वांछित अतिरिक्त प्रकटन**

## 43 नकदी एवं जोखिम भारित आस्तियाँ अनुपात (सीआरएआर)

(₹ करोड)

| विवरण | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| सीआरएआर(%)* | 64.30 | 45.18 |
| सीआरएआर-टियर I पूँजी (%) | 63.58 | 44.27 |
| सीआरएआर-टियर II पूँजी (%) | 0.72 | 0.91 |
| टियर II पूँजी के रूप में संग्रहीत सबऑर्डिनेट ऋण की राशि | - | - |
| निरंतर ऋण लिखत के निर्गम से प्राप्त राशि (₹) | - | - |

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र सं. डीएनबीआर(पीडी) सं. 0026/03.10.001/2015-16 दिनांकित 03 जुलाई, 2015 के माध्यम से आरआरबी सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान किए गए सभी पुनर्वित्त को शून्य जोखिम भार प्रदान करने को मंजूरी दी है। उपरोक्त अनुपात उसी पर आधारित हैं।

* ₹ 394 करोड की असंवितरित राशि शामिल है. विगत वर्ष के आँकडे आईजीएएपी के अनुसार है।

## 44 पूँजी बाज़ार में एक्सपोज़र

(ए) 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली इसी अवधि के लिए कंपनी का रियल एस्टेट सेक्टर मे कोई एक्सपोज़र नहीं है।

(बी) 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाली इसी अवधि के लिए कंपनी का पूँजी बाज़ार मे कोई एक्सपोज़र नहीं है।

## 45 आस्ति देयता प्रबंधन

| विवरण | 31/31 दिन तक | 1 माह से अधिक किंतु 2 माह के भीतर | 2 माह से अधिक किंतु 3 माह के भीतर | 3 माह से अधिक तथा 6 माह तक | 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक | 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक | 5 वर्ष से अधिक | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमाराशियाँ* | 803.05 | 902.49 | - | 1,236.07 | 1,844.48 | - | - | - | 4,786.09 |
| अग्रिम | 87.24 | 170.93 | 235.79 | 1,264.44 | 3,582.74 | 6,366.29 | 139.50 | - | 11,846.93 |
| निवेश ** | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 |
| उधार *** | - | - | - | 1,250.00 | 1,875.00 | 11,875.00 | - | | 15,000.00 |
| विदेशी मुद्रा देयताएँ | - | - | - | - | - | - | - | | - |

* जमाराशियों में बैंकों में रखी गई सावधि जमा शामिल हैं

** निवेशों में कॉर्पोरेट्स (प्रावधान से निवल) तथा म्युचुअल निधि में रखी गई जमाराशियाँ शामिल हैं.

*** उधार में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये आवंटन के अनुसार बैंकों से प्राप्त प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र शॉर्टफाल निधि शामिल है.

## 46 वित्तीय विनियामकों के साथ पंजीकरण का विवरण

| विनियामक | पंजीकरण संख्या |
|---|---|
| कंपनी मामले मंत्रालय | सीआईएन यू65100एमएच2015पीएलसी274695 |
| भारतीय रिज़र्व बैंक | एन-14.03313 |

नोट: वर्तमान तथा विगत वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी विनियामक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है।

## 47 निवेश

(₹ करोड)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | **निवेशों का मूल्य** | | |
| | **निवेशों का सकल मूल्य** | | |
| | भारत में | 685.00 | 1,726.52 |
| | भारत के बाहर | - | - |
| | | - | - |
| | **मूल्यह्रास हेतु प्रावधान** | | |
| | भारत में | 285.00 | - |
| | भारत के बाहर | - | - |
| | | - | - |
| | **निवेशों का निवल मूल्य** | | |
| | भारत में | 400.00 | 1,726.52 |
| | भारत के बाहर | - | - |
| | | | |
| 2 | **निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु रखे गये प्रावधान का चलन** | | |
| | आरम्भिक शेष | - | - |
| | जोडें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 285.00 | - |
| | घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना/ वापस लेना | - | - |
| | अंतिम शेष | 285.00 | - |

## 48 वर्ष के दौरान रखे गये प्रावधान तथा आकस्मिक व्यय

(₹ करोड)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|
| | **लाभ हानि खाते में व्यय के तहत दिखाए गए 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' का विवरण** | | |
| 1 | निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान | 285.00 | - |
| 2 | अनर्जक आस्ति हेतु प्रावधान | - | - |
| 3 | आयकर हेतु प्रावधान | 116.35 | 94.69 |
| 4 | मानक आस्तियों हेतु प्रावधान | (2.57) | 20.82 |
| 5 | अन्य प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय (विवरण सहित) | - | - |
| 6 | आस्थगित कर जमा हेतु प्रावधान | 98.63 | 0.01 |

## 49 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

चालू और पिछले वर्ष के दौरान डेरिवेटिव में कंपनी का कोई लेनदेन/एक्सपोज़र नहीं है।
चालू और पिछले वर्ष के दौरान असुरक्षित विदेशी मुद्रा में कंपनी का कोई एक्सपोज़र नहीं है।
चालू और पिछले वर्ष के दौरान कंपनी का रेपो में कोई लेनदेन नहीं है।

## 50 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटन

1. वर्तमान और पिछले वर्ष के लेनदेन के लिए एनबीएफसी द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं हैं, अत:

   (ए) प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार कोई प्रतिभूतिकृत आस्तियाँ नहीं हैं।

   (बी) बैलेंस शीट की तारीख तक एमआरआर का अनुपालन करने के लिए एनबीएफसी द्वारा कोई एक्सपोज़र नहीं रखा गया है।

2. कंपनी के पास मौजूदा वर्ष और पिछले वर्ष में एमआरआर के अलावा अन्य प्रतिभूतिकरण लेनदेन में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

3. कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी भी वित्तीय आस्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को नहीं बेचा है।

4. कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान कोई समनुदेशन लेनदेन नहीं किया है।

5. कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अनर्जक वित्तीय आस्ति की खरीद/बिक्री नहीं की है।

## 51 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष में आस्ति पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को नहीं बेचा है।

## 52 खरीदे/बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का विवरण

कंपनी ने चालू और पिछले वर्ष में अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री नहीं की है।

## 53 मूल कंपनी के उत्पादों के वित्तपोषण का विवरण

कंपनी ने पिछले वर्ष में सिडबी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की खरीद में, 1,21,89,41,100/- के निवेश को छोड़कर चालू और पिछले वर्ष में अपनी मूल कंपनी के किसी भी उत्पाद को वित्तपोषित नहीं किया है।

## 54 प्रतिभूतिरहित अग्रिम

कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष में कोई प्रतिभूतिरहित अग्रिम नहीं है।

## 55 एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

आरबीआई ने अपने पत्र सं. डीएनबीआर (पीडी).सीओ.संख्या 244/03.10.001/2015-16 दिनांक 03 अगस्त, 2015 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इसके जोखिम के संबंध में मुद्रा को क्रेडिट एकाग्रता मानदंड (एकल उधारकर्ता) की प्रयोज्यता से छूट दी है। हालांकि, अन्य जोखिमों के संबंध में, मुद्रा आरबीआई द्वारा निर्धारित या वर्ष के दौरान एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र मानदंड का अनुपालन करता है, कंपनी ने प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट्स - एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा (GBL)का अतिक्रमण नहीं किया।

## 56 आरक्षितियों से ड्रॉ डाउन

चालू और पिछले वर्ष के दौरान भंडार से कोई ड्रॉ डाउन नहीं किया गया है।

## 57 निवल ब्याज मार्जिन संबंधी सूचना

| विवरण | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|
| औसत ब्याज (ए) | 5.52% | 6.07% |
| औसत प्रभावी उधार लागत (बी) | 4.13% | 4.72% |
| निवल ब्याज मार्जिन (ए-बी) | 1.39% | 1.35% |

## 58 ग्राहक शिकायतें*

कंपनी को अपने प्रत्यक्ष ग्राहकों से कोई शिकायत नहीं मिली है। इसमें प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर व्यक्तियों की सामान्य पूछताछ/शिकायतें या बैंकों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा शिकायतें शामिल नहीं हैं।

## 59 सेक्टर वार अनर्जक आस्तियाँ तथा अनर्जक आस्ति चलन

### ए) सेक्टर वार अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड)

| विवरण | उक्त सेक्टर में कुल अग्रिम में अनर्जक आस्ति का % |
|---|---|
| कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ | - |
| एमएसएमई | - |
| नैगम उधारकर्ता* | 2.35% |
| सेवाएँ | - |
| प्रतिभूतिरहित वैयक्तिक ऋण | - |
| ऑटो ऋण | - |
| अन्य वैयक्तिक ऋण | - |

* कॉर्पोरेट उधारकर्ता में बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई के साथ-साथ कॉर्पोरेट्स में किए गए निवेश शामिल हैं।

### बी) अनर्जक आस्तियों का चलन

| विवरण | 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष | 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष |
|---|---|---|
| **i) निवल अग्रिम हेतु निवल एनपीए (%)** | **2.33** | **0.00%** |
| **ii) एनपीए का चलन (सकल)** | | |
| ए) आरंभिक शेष | - | - |
| बी) वर्ष के दौरान बढे | 286.22 | - |
| सी) वर्ष के दौरान घटे | 1.22 | - |
| डी) अंतिम शेष | 285.00 | - |
| **iii) एनपीए का चलन (निवल)** | | |
| ए) आरंभिक शेष | - | - |
| बी) वर्ष के दौरान बढे | 286.22 | - |
| सी) वर्ष के दौरान घटे | 286.22 | - |
| डी) अंतिम शेष | - | - |
| **iv) एनपीए हेतु प्रावधान का चलन (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोडकर)** | | |
| ए) आरंभिक शेष | - | - |
| बी) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान | 285.00 | - |
| सी) बट्टे खाते में डाले गये/वापस लिये गये अतिरिक्त प्रावधान | - | - |
| डी) अंतिम शेष | 285.00 | - |

## 60 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गयी रेटिंग्स

कंपनी को क्रिसिल द्वारा अक्टूबर 2018 में "सीसीआर एएए/स्टेबल" तथा इकरा द्वारा अक्टूबर 2018 में "[इकरा]एएए(स्टेबल)" की रेटिंग दी गयी है।

## 61 अग्रिम का घनत्व,एक्सपोज़र तथा एनपीए

(₹ करोड)

| क्र. सं. | विवरण | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल अग्रिम तथा बीस विशालतम उधारकर्ताओं को एक्सपोज़र* | 10,999.62 | 8,848.00 |
| 2 | शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र | Nil | Nil |
| 3 | बैंकों तथा अल्प वित्त संस्थाओं को प्रदत्त कुल अग्रिम में बीस विशालतम उधारकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम तथा एक्सपोज़र का प्रतिशत | 92.85% | 79.60% |

* उधारकर्ताओं की राशि में असंवितरित संस्वीकृत ऋण की राशि शामिल नहीं है।

**62** रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचना सं. आरबीआई/डीएनबीआर/2016-17/45 मास्टर दिशा डीएनबीआर.पीडी. 008/03.10.119/2016-17 जोकि 16 अप्रैल 2019 को अद्यतन की गयी ("अधिसूचना") के माध्यम से जारी किए गए गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी - व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुलग्नक XIV के अनुसार वांछित कंपनी के बैलेंस शीट की अनुसूची से संबंधित प्रकटीकरण।

| विवरण | बकाया राशि (₹ करोड) | | अतिदेय राशि (₹ करोड) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
| **देयता पक्ष :** | | | | |
| 1 ग़ैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा किये गये ऋण एवं अग्रिम जिसमेन उपचित किंतु देय नहीं ब्याज भी शामिल है: | | | | |
| ए) डिबेंचर : | | | | |
| i) ज़मानती | - | - | - | - |
| ii) प्रतिभूति रहित (सार्वजनिक जमा के अंतर्गत आने वाली राशि को छोडकर) | - | - | - | - |
| बी) आस्थगित क्रेडिट | - | - | - | - |
| सी) सावधि ऋण (बैंकों द्वारा जमा की गयी प्राथमिकता क्षेत्र शॉर्टफॉल निधि) | 15,000 | 15,000 | - | - |
| डी) अंतर्नैगम ऋण एवं उधार | - | - | - | - |
| ई) वाणिज्यिक प्रलेख | - | - | - | - |
| एफ) सार्वजनिक जमाएँ | - | - | - | - |
| जी) अन्य ऋण | - | - | - | - |
| | | | | |
| 2 उपर्युक्त 1(एफ) का विवरण (बकाया सार्वजनिक जमाराशियाँ तथा उनपर उपचित ब्याज जोकि अदा नहीं किया गया है) : | | | | |
| ए) प्रतिभूतिरहित डिबेंचरों के रूप में | - | - | - | - |
| बी) आंशिक रूप से जमानती डिबेंचरों के रूप में, अर्थात वे डिबेंचर जिनमें प्रतिभूति के मूल्य में कोई शॉर्टफॉल नहीं है। | - | - | - | - |
| सी) अन्य सार्वजनिक जमाराशियाँ | - | - | - | - |

| विवरण | बकाया राशि (₹ करोड) | | अतिदेय राशि (₹ करोड) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
| **आस्ति पक्ष :** | | | | |
| 3 **ऋण एवं अग्रिम का विवरण जिसमें बिल प्राप्य शामिल हैं (निम्नांकित (4) के अंतर्गत शामिल को छोडकर) :** | | | | |
| ए) ज़मानती | 11,834.04 | 10,554.52 | - | 1.22 |
| बी) प्रतिभूतिरहित | - | - | - | - |
| | | | | |
| 4 **एएफसी गतिविधियों के अंतर्गत शामिल की जाने वाली - लीज़ पर दी गयी आस्तियों तथा भाडे पर स्टॉक एवं अन्य आस्तियों का विवरण** | | | | |
| ए) लीज़ आस्तियाँ जिसमें विविध देनदार के अंतर्गत लीज़ किराया शामिल है | | | | |
| i) वित्तीय लीज़ | - | - | - | - |
| ii) परिचालनगत लीज़ | - | - | - | - |
| | | | | |
| बी) विविध ऋणी के तहत किराया शुल्क सहित किराये पर स्टॉक | | | | |
| i) भाडे पर आस्तियाँ | - | - | | - |
| ii) वापस ली गयी आस्तियाँ | - | - | | - |
| सी) अन्य ऋण जिनकी गणना एएफसी गतिविधियों के अंतर्गत की गई है | - | - | | - |
| i) ऋण जिनमें आस्तियाँ वापस ले ली गयी हैं | - | - | - | - |
| ii) उपर्युक्त को छोडकर अन्य ऋण | - | - | - | - |
| | | | | |
| 5 **निवेशों का विवरण :** | | | | |
| **चालू निवेश:** | | | | |
| ए) **उद्धृत:** | | | | |
| i) शेयर: ए. ईक्विटी | - | - | - | - |
| बी. वरीयता | - | - | - | - |
| ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड | - | - | - | - |
| iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ | - | - | - | - |
| iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| v) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | - | - | - | - |
| | | | | |
| बी) **अनुद्धृत:** | | | | |
| i) शेयर: ए. ईक्विटी | - | - | - | - |
| बी. वरीयता | - | - | - | - |
| ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड | - | - | - | - |
| iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ | 400.40 | 751.00 | - | - |
| iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| v) अन्य- जमा प्रमाणपत्र तथा नैगम जमाराशियाँ | 285.00 | 975.52 | - | - |

| विवरण | बकाया राशि (₹ करोड) | | अतिदेय राशि (₹ करोड) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
| **दीर्घावधि निवेश :** | | | | |
| ए) **उद्धृत:** | | | | |
| i) शेयर: ए. ईक्विटी | - | - | - | - |
| बी. वरीयता | - | - | - | - |
| ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड | - | - | - | - |
| iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ | - | - | - | - |
| iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| v) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) | - | - | - | - |
| | | | | |
| बी) **अनुद्धृत :** | | | | |
| i) शेयर: ए. ईक्विटी | - | - | - | - |
| बी. वरीयता | - | - | - | - |
| ii) डिबेंचर एवं बॉण्ड | - | - | - | - |
| iii) म्युचुअल निधियों की इकाइयाँ | - | - | - | - |
| iv) शासकीय प्रतिभूतियाँ | - | - | - | - |
| v) अन्य | - | - | - | - |

**6 यथा उपर्युक्त (3) एवं (4) में वित्तपोषित आस्तियों का उधारकर्ता समूहवार वर्गीकरण :**

(राशि ₹ करोड)

| श्रेणी | ज़मानती | | प्रतिभूतिरहित | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (प्रावधान से निवल राशि) | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
| ए) संबंधित पक्ष | - | - | - | - | - | - |
| i) सहायक संस्थाएँ | - | - | - | - | - | - |
| ii) उसी समूह की कंपनियाँ | - | - | - | - | - | - |
| iii) अन्य संबंधित पक्ष | - | - | - | - | - | - |
| बी) संबंधित पक्षों से इतर | 11,834.04 | 10,554.52 | - | - | 11,834.04 | 10,554.52 |
| **योग** | **11,834.04** | **10,554.52** | **-** | **-** | **11,834.04** | **10,554.52** |

**7 शेयरों और प्रतिभूतियों में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह-वार वर्गीकरण (उद्धृत और अनुद्धृत दोनों):**

(राशि ₹ करोड)

| श्रेणी | बाज़ार मूल्य/विवरण अथवा उचित मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य | | बही मूल्य (प्रावधानों से निवल) | |
|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 | 31 मार्च, 2019 | 31 मार्च, 2018 |
| ए) संबंधित पक्ष | | | | |
| i) सहायक संस्थाएँ | - | - | - | - |
| ii) उसी समूह की कंपनियाँ | - | 121.89 | - | 121.89 |
| iii) अन्य संबंधित पक्ष | - | - | - | - |
| बी) संबंधित पक्षों से इतर | 400.40 | 752.09 | 400.00 | 751.00 |
| **योग** | **400.40** | **873.98** | **400.00** | **872.89** |

**8 अन्य सूचनायें**

| विवरण | राशि | |
|---|---|---|
| | **31 मार्च 2019** | **31 मार्च 2018** |
| **ए) सकल अनर्जक आस्तियाँ** | | |
| i) संबंधित पक्ष | - | - |
| संबंधित पक्षों से इतर | 285.00 | - |
| **बी) निवल अनर्जक आस्तियाँ** | | |
| i) संबंधित पक्ष | - | - |
| संबंधित पक्षों से इतर | - | - |
| सी) **ऋण की संतुष्टि (वसूली) हेतु अभिगृहीत आस्तियाँ** | - | - |

अनर्जक आस्तियों में निवेश तथा अग्रिम शामिल हैं।
पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष की प्रविधि के अनुरूप पुन: व्यवस्थित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

**हेतु पी. सी. घडियाली**
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या: 103132डब्ल्यू/डब्ल्यू-100037

**वास्ते निदेशक मंडल**

**सचिन घडियाली**
भागीदार
सदस्यता सं.: 133178

**आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ
डीआईएन: 08195214

**मनोज मित्तल**
निदेशक
डीआईएन: 02781399

**रजनी सूद**
मुख्य वित्तीय अधिकारी

**पूजा कुकरेती**
कंपनी सचिव
A48834

स्थान: मुम्बई
दिनांक: जून 03, 2019

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MICRO UNITS DEVELOPMENT & REFINANCE AGENCY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019**

The preparation of financial statements of Micro Units Development & Refinance Agency Limited for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 03.06.2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Micro Units Development & Refinance Agency Limited for the year ended 31 March 2019 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Roop Rashi)
Director General of Commercial Audit and
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai
Date :28.08.2019

# सदस्यों को नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड ("मुद्रा") की 4 वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को शाम 4.00 बजे सिडबी कार्यालय, आत्मा राम हाउस 1, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 110001, निम्नलिखित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए

## सामान्य व्यवसाय:

निम्नांकित सामान्य संकल्पों पर विचार करने तथा यदि सही माने जाएँ तो संशोधनों सहित अथवा बिना किसी संशोधन के पारित करने हेतु:

**1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रा की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों तथा निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, पर विचार करने और अपनाने के लिए।**

**"संकल्प पारित किया जाता है कि** 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ नोट्स शामिल हैं जो उक्त अवधि के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक खातों का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ, जिन्हें कि पहले से ही कंपनी के सदस्यों के बीच परिचालित किया गया है, एतद्द्वारा प्राप्त, माना, स्वीकृत और अपनाया गया है।"

**2) यथा 31 मार्च, 2019 क़ो इक्विटी शेयरों पर प्रति ईक्विटी शेयर आईएनआर 0.02 का अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु जिसकी कुल राशि ₹ 3.35 होगी।**

**"संकल्प पारित किया जाता है कि** 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये कंपनी की ₹ 1675.93 की शेयर पूंजी पर प्रति इक्विटी शेयर ₹ 0.02 का लाभांश, उन इक्विटी शेयर धारकों को भुगतान हेतु घोषित किया जाता है जिनके नाम 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज थे जोकि लाभांश वितरण कर को छोड़कर आनुपातिक आधार पर 31 मार्च 2019 को कुल मिलाकर ₹ 3.35 करोड़ है।"

**3) श्री अजय कपूर (डीआईएन 00108420) को नियुक्त करने के लिए, जो इस बैठक में आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के नाते, नामित निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं तथा वे आवृत्ति से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।**

**"संकल्प पारित किया जाता है कि** श्री अजय कपूर (डीआईएन 00108420) कम्पनी में सिडबी के नामिती निदेशक जो इस बैठक में आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण नामित निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत किया है उन्हें पुन: नामिती निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे आवृत्ति से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।"

**4) श्री आलोक गुप्ता (डीआईएन 08195214) को नियुक्त करने के लिए, जो इस बैठक में आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के नाते, निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं तथा वे आवृत्ति से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।**

**"संकल्प पारित किया जाता है कि** श्री आलोक गुप्ता (डीआईएन 08195214) जो कि कम्पनी के प्रबंध निदेशक हैं तथा जो इस बैठक में आवृत्ति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत किया है उन्हें पुन: प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है तथा वे आवृत्ति से सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।"

**5) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुद्रा के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक को नोट करने के लिये।**

**"संकल्प पारित किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 2013 की धाराओं 139(5), 142(1) तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 (समस्त सांविधिक संशोधनों तथा पुनरधिनियमन सहित) के के

प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मुद्रा की सांविधिक लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों मैसर्स वी. सी. शाह एंड कंपनी (बीओ0824) को उक्त कार्य हेतु ₹ 2.00 लाख का समग्र पारिश्रमिक, प्रयोज्य कर अतिरिक्त देय होगा तथा फुटकर व्यय यदि कोई हो तो वास्तविक आधार पर देय होगा।

साथ ही यह भी संकल्प लिया जाता है कि लेखापरीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ₹ 0.50 लाख तक फुटकर व्यय वास्तविक आधार पर यदि कोई हो तो तथा प्रमाणन शुल्क भी अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते **माइक्रो यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड**

**आलोक गुप्ता**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
पता: स्वावलम्बन भवन, सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051.

दिनांक: 26/09/2019
स्थान: मुम्बई

---

1. *वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य खुद के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित लिखत, प्रभावी होने के लिए, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से अडतालीस घंटे जमा होना चाहिए। लिमिटेड कंपनियों, सोसाइटियों, आदि की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, उपयुक्त संकल्पों/ प्राधिकरण द्वारा समर्थित होने चाहिए। एक व्यक्ति अधिकतम पचास (50) और कंपनी के कुल शेयर पूंजी का अधिकतम 10% होल्डिंग की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार देने वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक सदस्य रखने के लिए एक प्रॉक्सी का प्रस्ताव किया जाता है, तो ऐसा प्रॉक्सी किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।*

2. *सदस्यों की सुविधा के लिए, एक उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फॉर्म और मीटिंग स्थल के रूट मैप को संलग्न किया गया है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने हस्ताक्षर उपलब्ध कराए गए स्थान पर करें और बैठक के स्थान पर उपस्थिति पर्ची पर सौंप दें। एक सदस्य की प्रॉक्सी को उपस्थिति पर्ची पर 'प्रॉक्सी' के रूप में चिह्नित करना चाहिए।*

3. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन, कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 उप-धारा (1) के संदर्भ में, उनके पारिश्रमिक को कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में या इस तरह से तय किया जाना चाहिए जैसा कि कंपनी जनरल मीटिंग में निर्धारित कर सकती है। इस वार्षिक आम बैठक में आपकी कंपनी के सदस्यों ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया।*

4. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखा गया रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजेरियल पर्सनल और उनकी शेयरहोल्डिंग, सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।*

5. *अनुबंध या व्यवस्था का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों की रुचि है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखा गया है, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।*

6. *नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज वार्षिक आम बैठक पर निरीक्षण के लिए खुले हैं और इस तरह के दस्तावेज सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे।*

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक

**माइको यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)**

[सीआईएन: यू65100एमएच2015पीएलसी274695]

**पंजीकृत कार्यालय:** स्वावलम्बन भवन, सी 11, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई-400051

**दूरभाष:** 022-67221465 **फैक्स नंबर.:** लागू नही | **वेबसाइट:** www.mudra.org.in **ईमेल:** ceo@mudra.org.in

## उपस्थिति पर्ची

| **तारीख** | **स्थान** | **समय** |
|---|---|---|
| सितंबर 30, 2019 | सिडबी कार्यालय, आत्माराम हाउस, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001 | 4.00 बजे सायं |

कृपया उपस्थिति पर्ची भरकर बैठक के स्थल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें.

| **फोलिओ संख्या** | | ***डीपी आईडी नं.** | | ***ग्राहक आई डी संख्या** | |
|---|---|---|---|---|---|

सदस्य का नाम श्री/श्रीमती .....

हस्ताक्षर .....

प्रॉक्सी का नाम श्री./श्रीमती . ..... हस्ताक्षर .....

* इलेक्ट्रोनिक रूप में शेयर धारण करने वाले निवेशकों हेतु प्रयोज्य

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए पंजीकृत शेयरधारक/प्रॉक्सी हूं।

मैं सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को शाम 4.00 बजे सिडबी कार्यालय, आत्म राम हाउस 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित कंपनी की चौथी वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

.....
**सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर**

**नोट:** उपस्थिति स्लिप और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ 4 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत है, जब तक कि किसी भी बैठक में इसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त करने वाले शेयरधारक जो 4 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले रहे हैं इस उपस्थिति पर्ची की प्रतिलिपि प्रिंट कर सकते हैं।

उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ चतुर्थ वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रतिलिपि उन सभी सदस्यों को अनुमत माध्यम से भेजी जाती है, जिनका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है या उन्होंने हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध किया है।

चतुर्थ वार्षिक आम बैठक

**माइको यूनिट्स डेवेलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा)**

[सीआईएन: यू65100एमएच2015पीएलसी274695]

**पंजीकृत कार्यालय:** स्वावलम्बन भवन, सी 11, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई-400051

**दूरभाष:** 022-67221465 **फैक्स नंबर.:** लागू नही | **वेबसाइट:** www.mudra.org.in **ईमेल:** ceo@mudra.org.in

## फॉर्म संख्या एमजीटी-11
## प्रॉक्सी हेतु फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनियों के नियम 19 (3)
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार]

| | | | |
|---|---|---|---|
| सदस्यों के नाम | : | ईमेल आईडी | : |
| पंजीकृत पता | : | फोलिओ संख्या | : |
| | | *डीपी आईडी | : |
| धारित शेयरों की संख्या | : | *ग्राहक आईडी | : |

* इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारण करने वाले निवेशकों हेतु प्रयोज्य

मैं/हम, मुद्रा के ..... शेयर के सदस्य होने के नाते निम्नांकित को अपने/हमारे प्रॉक्सी के रूप में मेरी/हमारी ओर से सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को शाम 4.00 बजे सिडबी कार्यालय, आत्माराम हाउस 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110001 पर कंपनी की 4 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से ऐसे संकल्पों पर मतदान करने के लिये और उसके बाद के स्थगन के संबंध में जो नीचे दिए गए हैं नियुक्त करते हैं:

1. श्री/श्रीमती ..... ईमेल आईडी:.....
   पता: .....
   ..... हस्ताक्षर:.....

2. श्री/श्रीमती ..... ईमेल आईडी:.....
   पता: .....
   ..... हस्ताक्षर:.....

3. श्री/श्रीमती ..... ईमेल आईडी:.....
   पता: .....
   ..... हस्ताक्षर:.....

** मेरी इच्छा है कि मेरा उक्त प्रॉक्सी नीचे बॉक्स मे दिये तरीके से मतदान करे:

| क्र. सं. | संकल्प | धारित शेयरों की संख्या | हेतु | विरुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| **सामान्य व्यवसाय** | | | | |
| 1 | कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रा के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को स्वीकार करना. | | | |

| क्र. सं. | संकल्प | धारित शेयरों की संख्या | हेतु | विरुद्ध |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 मार्च, 2019 तक इक्विटी शेयरों पर इक्विटी प्रति शेयर आईएनआर 0.02 की दर पर कुल ₹ 3.35 करोड़ के अंतिम लाभांश की घोषणा करना | | | |
| 3 | श्री अजय कपूर (डीआईएन 00108420) को नियुक्त करने के लिए, जो इस बैठक में रोटेशन से रिटायर हो रहे हैं और पात्र होने के नाते नामांकित निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी की नियुक्ति | | | |
| 4 | श्री आलोक गुप्ता (डीआईएन 08195214) को नियुक्त करने के लिए, जो इस बैठक में रोटेशन से रिटायर हो रहे हैं और पात्र होने के नाते, निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होंगे. | | | |
| 5 | वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मुद्रा के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक को नोट करने के लिये. | | | |

** यह वैकल्पिक है। कृपया बॉक्स में दर्शाए गए प्रस्तावों के खिलाफ उपयुक्त कॉलम में एक टिक मार्क (✓) लगाएं। यदि कोई सदस्य किसी भी या सभी प्रस्तावों के खिलाफ "फॉर" या "अगेंस्ट" कॉलम को खाली छोड़ देता है, तो प्रॉक्सी को उसके उपयुक्त तरीके से वोट देने का अधिकार होगा। यदि कोई सदस्य विशेष संकल्प पर मतदान करने से परहेज करना चाहता है, तो उसे संकल्प के विरुद्ध बक्सों में "अबस्टेन" लिखना चाहिए।.

सदस्यों का हस्ताक्षर

एक रुपये का राजस्व डाक टिकट चिपकाएं

1._____

2._____

3._____

**2019 के ..... दिन को हस्ताक्षरित**

**नोट्स:**

1. प्रॉक्सी के प्रभावी होने की सूचना बैठक शुरू होने से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
2. प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
3. संयुक्त धारकों के मामले में, वोट देने वाले वरिष्ठ का वोट, चाहे वह व्यक्ति में हो या प्रॉक्सी में, अन्य संयुक्त धारकों के वोट के बहिष्करण के लिए स्वीकार किया जाएगा। वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जाएगी जिसमें नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
4. मतदान की माँग करने या मतदान में शामिल होने के लिए प्रॉक्सी प्राधिकारियों का फार्म।
5. सदस्य द्वारा प्रॉक्सी के फॉर्म इस तरह प्रस्तुत किए जाएंगे कि वे सदस्य को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और बैठक में मतदान करने से नहीं रोकेंगे।
6. यदि कोई सदस्य अपने मतों का अलग-अलग उपयोग करना चाहता है, तो उसे उपयुक्त "कॉलम" या "अगेंस्ट" कॉलम के तहत शेयरों की संख्या का संकेत देना चाहिए।

# नोट्स

# नोट्स

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः
स्वावलम्बन भवन, प्लॉट क्र. सी-11, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुम्बई-400051, महाराष्ट्र
www.mudra.org.in | Email: ceo@ mudra.org.in